मंगलवार,
१६ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १६ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ताड़गुड़ प्रशिक्षण स्कूल

*१०३२. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उस राज्य का क्या नाम है जहां के विद्यार्थी केन्द्रीय ताड़ गुड़ प्रशिक्षण स्कूल में सबसे अधिक संख्या में प्रशिक्षण पाते हैं;

(ख) यह स्कूल जिस राज्य में स्थित है यदि उसी राज्य के प्रशिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है तो इस संस्था का कार्य भार उसी राज्य को न सौंप देने के क्या कारण हैं; तथा

(ग) प्राक्कलन समिति की छठी रिपोर्ट के पृष्ठ ५२ पर पैरा ११२ के अनुसार उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मद्रास राज्य ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय ताड़गुड़ प्रशिक्षण

स्कूल के कार्यभार को राज्य सरकार को सौंप देने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: इस स्कूल के निमित्त केन्द्रीय सरकार को कितना वार्षिक व्यय करना पड़ता है तथा राज्य इसमें किस हद तक अंशदान करते रहते रहे हैं ।

श्री करमरकर: गत वर्ष खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इस स्कूल पर, ६०,००० रुपये व्यय किये किन्तु किसी राज्य ने इसमें अंशदान नहीं दिया, यद्यपि उसमें बहुत से राज्यों के प्रशिक्षार्थी थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रशिक्षण के लिये प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रविष्ट किया जाता है, तथा उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद उनका क्या होता है ?

श्री करमरकर: इस स्कूल के आरम्भ होने से अब तक ३८५ विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनमें से अधिकांश ताड़ गुड़ के विकास कार्य में लगा लिये जाते हैं।

श्री एस० एन० दास: क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि दूसरे २ प्रान्तों के कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है ?

श्री करमरकर: मैं नमूने के तौर पर कुछ राज्यों के फिगर्स माननीय मेम्बर के

सामने रक्खे देता हूं जो इस प्रकार हैं :

मद्रास	२०४
राजस्थान	४५
सौराष्ट्र	१४
हैदराबाद	७०

बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो बिहार से सात विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है ।

कोसी परियोजना

*१०३४. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कोसी बांध परियोजना पर कितना खर्च हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): जनवरी १९५४ की समाप्ति तक कोसी परियोजना की जांच पड़ताल पर कुल ८८,४६,३८१ रुपया व्यय हुआ ।

सेठ गोविन्द दास: इस योजना के पूरा हो जाने तक कितना धन खर्च होगा, इस सम्बन्ध में क्या कोई बात निश्चित हो गयी है ?

श्री हाथी: इस परियोजना पर ४० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

सेठ गोविन्द दास: यह ४० करोड़ रुपये की धनराशि कितने वर्षों में लगायी जायगी, इसका कुछ अन्दाज़ है ?

श्री हाथी: यह परियोजना छै वर्ष बाद पूरी हो जायगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि पूना में जो अनुसंधान शाला है उसने कोसी बांध का माडल बना कर जो एक्सपेरीमेंट किया है और उसके अनुसार अपनी सिफ़ारिशें गवर्नमेंट के पास भेजी हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री हाथी: पूना अनुसंधान शाला में जो मॉडल है केन्द्रीय जनवास्तु विभाग ने उसकी जांच की है ।

श्री झनझुनवाला: यह चालीस करोड़ रुपये लगा देने से क्या पूरा फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) हो जायगा ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): जी हां, इससे पूर्ण बाढ़ नियंत्रण हो सकेगा ।

अरब राज्यों को आर्थिक शिष्ट मंडल

*१०३५. **श्री एस० एन० दास**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या व्यापार समझौता करने के लिये अरब राज्यों को आर्थिक शिष्ट मंडल भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार के शिष्टमंडल के निकट भविष्य में भेजे जाने की कोई सम्भावना है ; तथा

(ग) अरब राज्यों से सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने के लिये यदि कोई कार्य किये गये हैं तो कौन कौन से कार्य किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख) . भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये मध्यपूर्व के देशों को, जिनमें अरब राज्य भी सम्मिलित हैं, एक व्यापार शिष्ट मंडल भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । किसी विशेष अरब राज्य से व्यापार समझौता करने का कोई विचार नहीं है । मिस्र तथा इराक़ के साथ तो हमने पहिले से ही व्यापार समझौते कर लिये हैं और सीरिया के साथ भी हमारी मैत्री तथा व्यापार संधि है ।

(ग) मिस्र, इराक, सीरिया, जोर्डन, लबानन तथा लीबिया के साथ हमारे राज-नयिक सम्बन्ध हैं । सौदी अरब में हमारा महा-वाणिज्य दूतावास है जिसे शीघ्र ही राजदूता-वास के स्तर पर करने का विचार है । ईराक

तथा सीरिया के साथ हमारी मैत्री सन्धि है। गत वर्ष इस प्रयोजन के लिये किये गये विभिन्न कार्यों की अधिक विस्तृत बातें जानने के लिये माननीय सदस्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय की वर्ष १९५३–५४ की वार्षिक रिपोर्ट देखें, जो शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत सरकार को पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने के बारे में १९५३ में इनमें से किसी देश से कोई नये प्रस्ताव मिले थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : किसी विशेष सन्धि के लिये कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे सभी देशों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में, इन देशों में आन्तरिक गड़बड़ी के कारण इन सम्बन्धों में कुछ तनाव हो गया है या वहां कोई वैदेशिक हस्तक्षेप हो रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : किसी देश के आन्तरिक कार्यों का हमारे मैत्री सम्बन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी उनके साथ पहिले के समान ही मित्रता है।

टेक्निकल कर्मचारियों का सर्वेक्षण

*१०३६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने—

(१) भारत में उपलब्ध टैक्निकल कर्मचारियों की संख्या ; तथा

(२) इस प्रकार के उन कर्मचारियों की जो उपयुक्त नौकरी में नहीं लगे हैं, संख्या जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है; तथा

(ख) क्या आयोग का इस बात का सुनिश्चयन करने का विचार है कि मानव श्रम तथा टैक्निकल योग्यता बेकार नहीं जायगी ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) (१) योजना आयोग ने भारत में उपलब्ध सभी टैक्निकल कर्मचारियों का सामान्य सर्वेक्षण कार्य नहीं किया था, किन्तु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् और श्रम मंत्रालय ने थोड़ी सी सूचना एकत्रित की है।

(२) गत जनवरी के अन्त में श्रम मंत्रालय के नौकरी दफ्तरों ने टैक्निकल योग्यता वाले ५३,३७६ बेकार आदमियों के नाम दर्ज किये।

(ख) यह राष्ट्रीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : इस बात को जानने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं कि भारत में टैक्निकल कर्मचारी बेकार न रहें ?

श्री नन्दा : हमने जो कार्य किये हैं उनके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय इस मामले में कार्य कर रहा है ?

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सच है कि टैक्निकल प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये कुछ व्यक्ति वहां से लौटने के बाद से बेकार हैं और उनके टैक्निकल ज्ञान का लाभ नहीं उठाया जा रहा है ?

श्री नन्दा : जहां तक हमें अपने अभिलेखों से पता है, जितने प्रशिक्षार्थी विदेश गये हैं उनमें से लगभग ९० प्रतिशत नौकरी में लगा लिये गये हैं। शेष के बारे में पता नहीं लग सका है किन्तु हमारी सूचना यह है कि ऐसे बहुत थोड़े से ही व्यक्ति होंगे जो बेकार होंगे।

श्री सारंगधर दास : क्या यह सच है कि १९४८ में या उसके लगभग सरकार ने भारत में उपलब्ध टैक्निकल कर्मचारियों का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया था, और क्या

तब से कोई कार्य किया गया है ?

श्री नन्दा : जी हां, वैज्ञानिक जनशक्ति गवेषक समिति की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप, एक सर्वेक्षण किया गया था । कुछ रजिस्टर तो पूरे कर दिये गये हैं और कुछ को पूरा किया जा रहा है ।

डी० वी० सी० द्वारा बिजली का प्रदाय

***१०३७. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत तार लगाने तथा वितरण करने की व्यवस्था में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कितने मील लम्बी तारों की लाइन बनाई गई है;

(ग) बेचे जाने वाली बिजली के लिये कितनी लाइन बनाई गई; तथा

(घ) इस समय कितने ग्रिड सब-स्टेशन तथा रिसीविंग स्टेशन (प्राप्तकर्त्ता स्टेशन) काम कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). १५-२-१९५४ तक डी० वी० सी० ने बिजली के तार की ३११ मील लम्बी लाइन पांच सब-स्टेशन तथा पांच रिसीविं स्टेशन बनाये हैं । तीन ग्रिड सब-स्टेशनों को बनाने का कार्य आंशिक रूप से पूरा हो गया है ।

(ग) १५४ मील लम्बी ।

(घ) चार ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन तथा पांच रिसीविंग स्टेशन पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं जबकि दो ग्रिड स्टेशनों से आंशिक रूप से बिजली दी जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या सामग्री की कमी है ?

श्री हाथी : यह कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है । जहां तक सामग्री का सम्बन्ध है, सब-स्टेशन के लिये अपेक्षित कुछ उपकरण आये नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : सिन्द्री व्यवस्था को डी० वी० सी० से कब मिला दिया गया था तथा यह इस समय किस प्रकार काम कर रहा है ?

श्री हाथी : सिन्द्री फ़ैक्टरी की बिजली बोकारो थर्मल स्टेशन से मिला दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : किन कोयला खानों को तत्काल बिजली मिली है ?

श्री हाथी : आसनसोल कोयला खानों तथा झरिया कोयला खानों को सिन्द्री बिजली से १९५२ से बिजली मिलती रही है ।

कार्यक्रम मंत्रणा समिति, जालन्धर

***१०३८. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जालंधर रेडियो स्टेशन के लिये कोई मंत्रणा समिति बनाई गई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति की कोई बैठकें हुईं; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो उसकी क्या सिफ़ारिशें हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). आकाशवाणी के जालंधर स्टेशन के लिये कार्यक्रम मंत्रणा समिति जनवरी, १९५० में बनाई गई थी तथा सितम्बर १९५३ में यह फिर से बनाई गई थी । एक विवरण, जिसमें पुरानी तथा वर्तमान समिति के सदस्यों के नाम दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १२]**

(ग) इस समिति की ६ बैठकें हुईं।

(घ) कार्यक्रम मंत्रणा समितियां उस स्टेशन के कार्यक्रमों में सुधार करने के बारे में सुझाव देती हैं और योजना तथा कार्यक्रम प्रसारण सम्बन्धी ऐसे मामलों पर परामर्श देती हैं जो कि उनको निर्दिष्ट किये जाते हैं। मैं यह बता दूं कि ये संविहित समितियां नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या जालंधर रेडियो स्टेशन से प्रसारित किये जाने वाले देहाती प्रोग्राम के काल में वृद्धि किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

डा० केसकर: सभी कायक्रम मंत्रणा समितियों की कार्यवाहियां केन्द्रीय निदेशालय में आती हैं और उन नये सुझावों पर उचित विचार किया जाता है जो ये समितियां सरकार के सम्मुख रखती हैं। समिति की पिछली बैठक की कार्यवाहियों को देखने से ज्ञात होता है कि उसमें एक सुझाव विस्तार के लिये नहीं वरन् देहाती कार्यक्रमों में कुछ विषय और बढ़ा देने के लिये रखा गया है।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या जालंधर आकाशवाणी केन्द्र में एक तीसरा ट्रांसमिशन चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

डा० केसकर: वहां केवल एक ट्रांसमिशन चालू है--मैं किसी दूसरे ट्रांसमिशन के विषय में नहीं जानता। निस्संदेह ही अमृतसर तथा जालंधर दो छोटे छोटे संयुक्त स्टेशन हैं किन्तु बड़े ट्रांसमिटरों के लग जाने के बाद, जो आशा है अगले महीने से चालू हो जाएंगे जालंधर केन्द्र की सेवाओं का हम पुनर्संगठन करना चाहते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: जहां तक स्कूलों के लिये प्रसारित कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, क्या उनमें कोई उन्नति करने का विचार किया जा रहा है?

डा० केसकर: मैं तत्काल उत्तर नहीं दे सकूंगा।

दृष्टांक (वीज़ा) कार्यालय

***१०४१. श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत पाकिस्तान पार-पत्र सम्मेलन के निर्णय के अनुसार क्या भारत तथा पाकिस्तान में अतिरिक्त दृष्टांक (वीज़ा) कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कराची का भारतीय वीज़ा कार्यालय पाकिस्तान के नागरिकों को भारत देखने के लिये प्रतिदिन चार सौ वीज़ा जारी करता रहा है;

(ग) क्या कराची का भारतीय शिष्ट मण्डल डाक द्वारा भी वीज़ा के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार कर रहा है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने भी भारत में ऐसा ही प्रबन्ध किया है?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) अतिरिक्त वीज़ा कार्यालय खोले जा रहे हैं और शीघ्र ही ये कार्यालय काम करने लगेंगे।

(ख) वर्तमान औसत लगभग ३०० वीज़ा प्रतिदिन है।

(ग) हां।

(घ) हां।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को विदित है कि भारतीयों को वीज़ा प्राप्त करने में विशेषत: दिल्ली के कार्यालय में अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है।

श्री अनिल के० चन्दा: जहां तक हमारे देश के लोगों का सम्बन्ध है उनको वीज़ा

मिलने में बड़ा विलम्ब होता है इस विषय में हमारे पास रिपोर्टें आई हैं।

श्री गिडवानी : वीज़ा देने के कार्य को शीघ्रगामी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पाकिस्तान सरकार ने समय-समय पर इस बात का आश्वासन दिया है कि वह इस व्यवस्था में सुधार करेगी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत से पाकिस्तान को प्रतिदिन कितने वीज़ा जारी किये जाते हैं ?

पश्चिमी जर्मनी में चाय का प्रचार

*१०४४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी में "अधिक चाय पियो" आन्दोलन आरम्भ किया है;

(ख) इस आन्दोलन के लिये अन्य यूरोपीय देशों में से पश्चिमी जर्मनी को ही चुने जाने का कारण;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों में इसी प्रकार के आन्दोलन आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; तथा

(घ) पश्चिमी जर्मनी में आन्दोलन पर हुआ व्यय ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (घ). पश्चिमी जर्मनी में चाय के विक्रय तथा उपभोग में उन्नति एवं सहायता करने के लिये एक निगम की स्थापना की गई है। स्थानीय चाय व्यापार तथा केन्द्रीय चाय बोर्ड इस निगम के अंग हैं। निगम का अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग ५ लाख रुपये है।

(ख) तथा (ग). चाय का उपभोग करने वाले प्रमुख देशों में इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या आन्दोलन आरम्भ करने के समय से अब तक जर्मनी में भारतीय चाय के उपभोग में समुचित वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर : यह प्रबन्ध हाल ही में हुआ है, किन्तु जर्मनी में पहले से ही भारतीय चाय की आयात मात्रा में वृद्धि हो रही है।

श्री भागवत झा आज़ाद : और किन-किन देशों में भारतीय चाय के उपभोग में वृद्धि सम्बन्धी प्रचार करने के लिये ऐसी व्यवस्था की गई है;

श्री करमरकर : अमरीका तथा कनाडा में हमने ऐसी ही व्यवस्था कर दी है और कुछ अन्य देशों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बर्मन : क्या केन्द्रीय चाय बोर्ड का कोई इसी प्रकार का कार्यालय स्विटज़रलैण्ड में, बर्न अथवा जेनेवा में, इस कार्य के लिये खोलने का प्रस्ताव था, और यदि ऐसा है तो उस सम्बन्ध में क्या हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जेनेवा में चाय का केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव था और एक इमारत प्राप्त कर ली गई थी किन्तु और ध्यान देने पर अब इस विचार को त्याग देने का विचार है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय चाय के उपभोग में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह प्रचार किया था ?

श्री करमरकर : सामान्य विचार यह है कि हम चाय के निर्यात में उन्नति करने में

विश्वास करते हैं । उदाहरणस्वरूप, हाल के कुछ वर्षों में जर्मनी को निर्यात की जाने वाली मात्रा में वृद्धि हुई है और हम इसमें और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं ।

श्री के० के० वसु : क्या पूर्वी यूरोपीय देशों में चाय के उपभोग का प्रचार करने का सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं अभी कह सकता हूं किसी विशेष संस्था के द्वारा ऐसा करने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है ।

नदी घाटी योजनाओं में विद्युत जनन

*१०४५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम, हीराकुड बांध योजना तथा भाखड़ा नंगल योजना द्वारा जनित विद्युत् की प्रति यूनिट तुलनात्मक लागत;

(ख) विद्युत् की मात्रा जिसके उपयोग किये जाने की आशा की जाती है; तथा

(ग) इन तीनों योजनाओं में से प्रत्येक में कितनी मात्रा बेकार रहेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) नवीनतम सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (घ). वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १३]**

श्री एल० एन० मिश्र : क्या राज्य सरकारें विद्युत् की अधिक मात्रा में खरीदार हैं, यदि ऐसा है तो इन नदी घाटी योजनाओं से उनको विद्युत् किस दर पर दी जा रही है तथा राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किया गया प्रति यनिट मल्य क्या है ?

श्री हाथी : हीराकुड बांध योजना के खरीदार राज्य सरकारें न होकर अधिकतर औद्योगिक कारखाने हैं । इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम के खरीदारों में से बिहार सरकार भी एक है, किन्तु इनमें अधिकांश संख्या औद्योगिक संस्थाओं की ही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : नई नदी घाटी योजनाओं की नीति में, जिन को सरकार चलाने जा रही है, क्या कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां-जहां पर राज्य सरकारों को बिजली दी जाती है, वहां उपभोक्ताओं से केन्द्रीय सरकार के रेटों से तिगुने से ज्यादा चार्ज किया जाता है ?

श्री हाथी : सामान्यत: जब विद्युत् अधिक मात्रा में दी जाती है, तो वह दर फुटकर दर से भिन्न होती है । यदि कोई राज्य सरकार अधिक मात्रा में विद्युत् क्रय करती है, तो स्वभावत: यह दर अधिक मात्रा के लिये निश्चित की गई दर होगी, और फुटकर दर निश्चय ही इससे अधिक होगी ।

श्री के० के० बसु : क्या राज्य सरकारों तथा विद्युत् सम्भरण निगमों से अधिक मात्रा में क्रय की गई विद्युत् के लिये भिन्न-भिन्न दरें लागू हैं ?

श्री हाथी : यह भार तथा भार के स्वरूप पर निर्भर करेगा, अर्थात् चाहे यह औद्योगिक कार्यों के लिये हो अथवा अन्य किसी कार्य के लिये ।

मैसूर में हथकरघा उद्योग

*१०४६. **श्री तिम्मय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर को कोई वित्तीय

सहायता उस राज्य के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों को कम करने के लिये दी गई हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो १९५३ में दी गई राशि; तथा

(ग) किन शर्तों पर यह राशि दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचरी): (क) तथा (ख). ऋणों तथा अनुदानों के द्वारा स्वीकृत की गई योग राशि ५,६४,००० रु० थी।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री तिम्मय्या : क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने उस राज्य के हथकरघा बुनकरों की स्थिति का पर्यालोकन किया है और कोई योजना प्रस्तुत की है तथा उस योजना द्वारा इस राशि के लिये स्वीकृत दे दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: नहीं, श्रीमान्। हथकरघा बोर्ड को स्वयं ही पर्यालोकन करने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं और अधिकांशतः यह राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना पर ही निर्भर करता है।

श्री तिम्मय्या: क्या मैसूर राज्य में हथकरघा बोर्ड की एक शाखा चलाने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारा एक केन्द्रीय विक्रय निदेशालय है, जिसका कार्यालय अब मद्रास में है। यह देखा गया है कि सम्बन्धित पदाधिकारी की दृष्टि से मैसूर तक आना-जाना मद्रास से बहुत निकट पड़ता है।

श्री तिम्मय्या: इस निधि के उपयोग का अधीक्षण कौन करेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अधिकांशतः यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे धन का उचित उपयोग करें, किन्तु केन्द्रीय विक्रय निदेशालय के द्वारा भी रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

कपड़ा मिलों के बन्द पड़े तकले

*१०४८. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों के १,१०,४२,००० तकलों में से केवल १,००,१०,००० तकले इस समय चल रहे हैं और १०,३२,००० तकले बन्द पड़े हैं;

(ख) इन बन्द पड़े तकलों से प्रतिदिन कितना सूत तैयार किया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी कि मिलों के सारे तकले चालू हों ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूती कपड़ा मिलों में लगे हुए तकलों की कुल अनुमानित संख्या ११,४२३,००० है बतलाया जाता है कि इन में से ११,२२७,००० तकले चल सकते हैं। उन तकलों की औसत संख्या जिन्हें प्रति दिन चलाया जाता है १०,२६२,००० है और शेष ९६५,००० तकले सामान्यतया विभिन्न कारणों से बन्द पड़े रहते हैं।

(ख) सूत की लगभग ३०० गांठें तैयार की जा सकती हैं।

(ग) सूती कपड़ा (नियंत्रण) आदेश, १९४८, के अधीन प्रत्येक मिल को बाजार के लिए खुले सूत की एक निश्चित मात्रा संभरित करनी पड़ती है। समय समय पर कपड़ा आयुक्त द्वारा प्रत्येक मिल के काम का पुनरीक्षण किया जाता है और उस मिल को, जो अपना काम पूरा नहीं कर सकती, अपनी असफलता के कारण बतलाने के लिये कहा

जाता है । यदि आवश्यकता हो तो मिल को अधिक पालियों में काम करने के लिये कहा जाता है, ताकि वह अपना कोटा पूरा कर सकें और हथकरण उद्योग के विकास के लिये यथा सम्भव अधिक से अधिक सूत उपलब्ध किया जा सके ।

श्री रघुनाथ सिंह : उत्तर प्रदेश की मिलों में कितने तकले बन्द पड़े हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास मिलों की एक सूची है । चार मिलों में पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है । इन में से तीन बिल्कुल बन्द हो गई हैं और चौथी ने दूसरी पाली बन्द कर दी है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इन तकलों के बन्द पड़े रहने के कारण क्या हैं ? क्या सूत का संभरित न किया जाना भी इसका एक कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लोगों को सूत तकलों द्वारा मिलता है । हम उन्हें सूत नहीं देते ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मिलें वित्तीय सहायता के अभाव के कारण बन्द की जा रही हैं और यदि हां, तो सरकार का ऐसी मिलों को वित्तीय सहायता या ऋण देने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के विभिन्न कारण हैं । कुछ मिलें इस लिए बन्द हो गई हैं क्योंकि उनकी मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है, और कुछ पर्याप्त वित्त के न मिलने कारण । एक या दो मामलों में श्रमिकों के झगड़े हुए थे । मेरे विचार में हाल में एक मिल कोयले की कमी के कारण बन्द हुई है । कुछ भी हो, इन सब का प्रबन्ध निजी उद्यम द्वारा किया जाता है और सरकार निजी उद्यम को जारी रखने के लिए आवश्यक धन नहीं दे सकती । स्पष्ट है कि इन मिलों को किसी बैंक से प्रार्थना करनी पड़ेगी । यदि उन की आस्तियां अच्छी हों, तो बैंक उन्हें अवश्य धन देगा ।

चाय अपमिश्रण

*१०४९. **श्री बर्मन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि बाज़ार में खुली चाय का अपमिश्रण चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत, इस मामले का सम्बन्ध स्थानीय प्राधिकारियों से है । खाद्य अपमिश्रण विधेयक में, जो कि सदन के सामने है, "खाद्य" में चाय भी सम्मिलित है ।

श्री बर्मन : सरकार ने अब तक चाय के अपमिश्रण के कितने मामलों का पता लगाया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री बर्मन : क्या सरकार इस उद्योग में रुचि लेती है और यदि हां, तो इस उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, हमें इस उद्योग में रुचि है ।

श्री बर्मन : तो फिर अपमिश्रित चाय के विक्रय को रोकने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : खाद्य पदार्थों तथा अन्य खाने पीने की चीज़ों के अपमिश्रण की समस्या काफ़ी गम्भीर है । मेरे माननीय सहयोगी, स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले का ज्ञान है ।

प्रशासनीय रूप से इस का उत्तरदायित्व उस मंत्रालय पर है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि समय समय पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते रहें।

श्री बर्मन : क्या नियमों को लागू करने के लिए और अपमिश्रण को रोकने के लिए एक निरीक्षण व्यवस्था स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कभी केन्द्रीय चाय बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

श्री करमरकर : चाय के अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार का नियम जारी करने का विचार है किन्तु उस अधिनियम के अन्तर्गत हम ऐसा नहीं कर सके। केन्द्रीय चाय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत हमारा ऐसे नियम जारी करने का विचार है।

केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के अघोषित कर्मचारी

***१०५१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अघोषित कर्मचारियों की वर्गीकृत सूचियों के सम्बन्ध में १७ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि क्या ये सूचियां अब बना ली गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां, सिवाय विभागीय अधिकारियों की वर्गीकृत सूची के जो कि छप रही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्रालय को इन वर्गीकृत सूचियों के तैयार करने के सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे सूचियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु इस हुए हैं कि कुछ कर्मचारियों की ज्येष्ठता उचित रूप से निश्चित नहीं की गई ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कितने मामलों में ज्येष्ठता के आधार की उपेक्षा की गई है और किन कारणों से ?

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि जहां हज़ारों कर्मचारियों का प्रश्न हो, तो यह बहुत लम्बी कार्यवाही हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त ऐसा करना प्रशासनीय विस्तार में जाना है।

शिमला में सरकारी इमारतें

***१०५२. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में इस समय केन्द्रीय सरकार की जो इमारतें खाली पड़ी हैं, उनका कुल कितना किराया आ सकता है ?

(ख) क्या सरकार इन इमारतों को प्रयोग में लाने के लिए कोई पग उठा रही है और यदि हां, तो क्या ?

(ग) इन इमारतों के संधारण पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : २८ फरवरी, १९५४ को शिमला में केन्द्रीय सरकार के जितने रहने के मकान थे, और इन में रक्षा मंत्रालय के मकान सम्मिलित नहीं हैं, उनका कुल २९,००० रुपये किराया आ सकता है। खाली कार्यालय स्थान के किराये के बारे में आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। खाली स्थान का प्रयोग करने के लिए सरकार का अपने कुछ कार्यालय और संस्थाएं शिमला ले जाने का विचार है।

(ग) खाली इमारतों (रहने की और

लगभग १,५२,००० रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इनमें से कुछ इमारतें अभी तक पंजाब सरकार के अधिकार में थीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, केन्द्रीय सरकार की कुछ इमारतें पंजाब सरकार के अधिकार में हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : खाली इमारतों के स्थान का क्षेत्र कितना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या राष्ट्रपति भवन का भी कुछ प्रयोग किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : राष्ट्रपति के निवास के लिए इसे तैयार रखा जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि इस पांच वर्ष के दौरान में कितने दफ़्तर शिमला से यहां लाये गये जो कि उन बिल्डिंगों में पहले मौजूद थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो दफ्तर शिमला में ले जाये जायेंगे तो वहां आफ़िसर्स को शिमला एलाऊंस देना पड़ेगा और उसकी बजह से खर्चा बढ़ जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मैं ऐसा नहीं समझता ।

सिन्दरी उर्वरक

*१०५३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक की कोई मात्रा भारत के बाहर किसी देश को निर्यात की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा और किन देशों को ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) १५,१०० टन, जिस में से १५,००० टन पाकिस्तान को और १०० टन सीलोन को कोलम्बो योजना के अधीन उपहार के रूप में भेजा गया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या वह मूल्य जिस पर इसे निर्यात किया गया था; उस मूल्य से कम था, जिस पर यह भारत में उपलब्ध कराया जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : अब या उस समय?

श्री एन० बी० चौधरी : निर्यात के समय ।

श्री आर० जी० दुबे : निर्यात का मूल्य ३३५ रुपये था । पाकिस्तान के मामले में, इसे कुछ बातचीत के बाद घटा कर ३२५ रुपये कर दिया गया था ।

श्री शिवनंजप्पा : इस निर्यात से कितनी राशि वसूल हुई थी ?

श्री आर० जी० दुबे : १५,१०० टन निर्यात किया गया था । मूल्य ३२५ रुपये था ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या १९५३ का सारा उत्पादन खप चुका है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं, श्रीमान्, संग्रह पड़ा है ।

श्री तिम्मय्या : क्या कुछ उर्वरक कृषकों में ऋण के आधार पर वितरित किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : हमें ज्ञात नहीं है । कठिनाई यह है कि वास्तविक वितरण राज्यों के हाथ में है । यह हमें मालूम नहीं कि वे कैसे वितरण करते हैं ।

सीमावर्ती घटना

*१०५४. **श्री बेली राम दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी

सीमावर्ती सैनिक दल द्वारा गारो की पहाड़ियों से २० जनवरी, १९५४, को या उस के आसपास २० ढोर उड़ा लिये गये; तथा

(ख) यदि यह सत्य है तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और ढोरों को वापस लेने अथवा मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के विषय में क्या पग उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, १९४८ के भारत-पाकिस्तान समझौते के अन्तर्गत आसाम-पूर्व बंगाल सीमा पर होने वाली ऐसी घटनाएं सम्बद्ध ज़िलों के ज़िला मजिस्ट्रेटों को निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर दी जाती हैं तथा उन्हें रोकने के बारे में उचित कार्यवाही भी उन्हीं को करनी होती है ।

इस घटना के सम्बन्ध में आसाम की गारो पहाड़ियों के डिप्टी कमिश्नर तथा मैमन सिंह (पूर्व बंगाल) के ज़िला मैजिस्ट्रेट उक्त घटना के तुरन्त पश्चात् मिले थे । इस घटना में दोनों ओर की पुलिस के बीच गोली भी चली थी । ज़िला मैजिस्ट्रेटों की सिपारिश के अनुसार आसाम तथा पूर्वी बंगाल की सरकारों ने इस सम्बन्ध में संयुक्त जांच करना मान लिया है ।

श्री बेली राम दास : क्या इस घटना में कोई व्यक्ति आहत भी हुए ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी तरफ कोई आहत नहीं हुआ ।

श्री बेली राम दास : क्या यह सत्य है कि एक सौ मील लम्बी सीमा में केवल दो सीमावर्ती पड़ताल चौकियां हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मुझे अपने माननीय मित्र से यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ है । मैं नहीं समझता कि इस सीमा पर हमारी केवल दो ही पड़ताल चौकियां हैं ।

सख़्त गत्ते

*१०५५. **श्री दामोदर मेनन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत स्वीडन तथा नार्वे से प्रति वर्ष भारत में कितनी मात्रा में सख्त गत्ते का आयात किया जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत के प्लाइवुड उत्पादकों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि सख्त गत्ते के आयात से प्लाइवुड उद्योग पर हानिपूर्ण प्रभाव पड़ा है ?

(ग) सरकार ने इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत के वैदेशिक व्यापार तथा नौवहन सम्बन्धी लेखों में सख्त गत्तों के आयात के बारे में पृथक आंकड़े नहीं दिये गये हैं । किन्तु जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत किसी देश से सख्त गत्ते के आयात के बारे में कोई वाग्बद्धता नहीं है ।

(ख) तथा (ग). हां, श्रीमान् । गत वर्ष के प्रारम्भ में प्लाइवुड उत्पादकों की कुछ संस्थाओं द्वारा इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । परन्तु ऐसा समझा जाता है कि जहां सख्त गत्ते का प्रयोग होता हो वहां सामान्यतया प्लाइवुड का प्रयोग नहीं हो सकता ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मद्रास सरकार ने दक्षिण भारत प्लाइवुड उत्पादकों की संस्था द्वारा सख्त गत्ते के आयात के हानिपूर्ण प्रभाव के बारे में किये गये अभ्यावेदन पर अपनी सिफारिश की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : किसी राज्य सरकार की सिपारिश मात्र से तथ्यों में परिवर्तन नहीं हो सकता । तथ्य यह है कि सदैव प्लाइवुड की जगह सख्त गत्ते का प्रयोग नहीं हो सकता ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह सत्य है कि यहां गत्ते की प्लाइवुड के साथ संस्पर्धा चल रही है, तथा वे लोग उसे बहुत सस्ते भाव बेच रहे हैं जिस के फलस्वरूप स्थानीय उत्पादित प्लाइवुड स्थानीय बाज़ार में बिक नहीं रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में स्थिति यह है कि इन का प्रयोग एक ही प्रकार के प्रयोजनों के लिये नहीं होता । हो सकता है कि प्लाइवुड उत्पादक ऐसा समझते हों कि यदि सख्त गत्ते का आयात नितान्त बन्द कर दिया जाय तो प्लाइवुड की बिक्री बढ़ जायेगी परन्तु इन का प्रयोग भिन्न प्रयोजनों के लिए और भिन्न परिस्थितियों में होता है । वास्तव में सख्त गत्ता नमी को नहीं चूसता किन्तु प्लाइवुड में यह बात नहीं है । प्रत्येक प्रयोजन के लिए एक के लिए दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार कोई पग इस आशय से उठायेगी कि ऐसी प्रकार के सख्त गत्ते जो प्लाइवुड के समान प्रयुक्त होते हों इस देश में आयात नहीं किये जायेंगे ?

श्री करमरकर : सख्त गत्ते के आयात के लिए जारी किये गये लाइसेंस केवल इन्सूलेशन बोर्डों के लिये ही मान्य होते हैं, अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या प्लाइवुड भी इस काम में लाई जाती है ?

श्री करमरकर : सम्भवत: प्लाइवुड भी काम में लाई जा सकती है परन्तु यह एक अधिक महंगी चीज़ है अत: यह कुछ ठीक नहीं समझा जाता कि एक सस्ती चीज़ अर्थात् गत्ते के होते हुए प्लाइवुड का प्रयोग किया जाय ।

आयात नीति

*१०५६. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मिशन की उस सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है जिस में उन्हों ने कहा है कि आगामी तीन या चार वर्षों में औसतन आयात की प्रत्याशा के आधार पर दीर्घकालीन आयात नीति का सूत्रपात करना चाहिए; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां । सरकार का सदैव ही यह सिद्धान्त रहा है कि आयात नीति यथासंभव स्थिर रहे; और आयात व्यापार के क्षेत्र में यह नीति पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रही है ।

श्री मरारका : क्या सरकार का ध्यान इस मिशन की उस आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकार की नीति स्थिर नहीं है और उस से सट्टेबाज़ी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है ।

श्री करमरकर : उन के द्वारा की गई नीति सम्बन्धी प्रशंसा तथा कुछ सुझावों के बारे में मुझे पता है ।

श्री मुरारका : क्या पौंड पावने का उपयोग करने के लिए सरकार का विचार आयात नीति को उदार बनाने का है ?

श्री करमरकर : स्थिति की आवश्यकता पर ही हमारी आयात नीति आधारित है और जहां कहीं भी आवश्यकता हुई है उसी के अनुसार यथा संभव उदारता से काम लिया गया है ।

श्री मुरारका : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी घाटे

की है, क्या सरकार का विचार आयात नीति में और विशेष रूप से उपभोक्ता सामान के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने का है ?

श्री करमरकर : इस के लिए मैं माननीय मित्र का ध्यान माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं ।

पीतल तथा तांबा उद्योग

***१०५७. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल का पीतल तथा तांबा उद्योग वस्तुतः समाप्त हो गया है; तथा

(ख) क्या इस की सहायता करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) पता चला है कि पश्चिमी बंगाल में पीतल तथा धातु के पट्टे बनाने वाले उद्योगों में बहुत से कारणों की वजह से अभी हाल में काफ़ी कठिनाई हुई थी ।

(ख) इस की सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कार्यवाही की है तथा केन्द्रीय सरकार ने भी आर्थिक सहायता दी है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि तांबा सम्बन्धी सम्पूर्ण कच्चा माल आयात किया जाता है और एक ब्रिटिश प्रबन्धक अभिकरण फर्म पीतल सम्बन्धी कच्चे माल के उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, तो क्या सरकार ने सस्ता तथा अच्छी किस्म का कच्चा माल तय्यार करने तथा उद्योग को आवश्यक प्रवधिक सहायता ने के बारे में कोई योजना बनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न का पूर्वार्द्ध ठीक नहीं है । तांबा सम्बन्धी कच्चे माल की जितनी आवश्यकता होती है उस का अधिकांशतः भाग भारतवर्ष में मिलता है, किन्तु उस तांबे को पीतल के ढेलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए केवल जस्ते की आवश्यकता पड़ती है । किन्तु मांग की कमी के कारण कोई भी कारखाना अपने उत्पादन के स्तर को ठीक न रख सका ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच नहीं है कि यहां मिलने वाला तांबा सम्बन्धी कच्चा माल इतनी बुरी किस्म का होता है कि उस से वस्तुतः ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जा सकतीं जो बाजार में बिक सकें, और यही कारण है कि हम अधिकतर उन विदेशी साधनों पर निर्भर रहते हैं जिन से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य से बहस तो मैं कर नहीं सकता किन्तु सच बात यह है कि इस काम के लिए जो कुछ भी कच्चा माल यहां मिलता है वह अच्छी किस्म का है । आज जो सुविधाएं हमारे पास हैं उन की सहायता से उस तांबे को इलेक्ट्रो-लेटिक तांबे में हम परिवर्तित नहीं कर सके । पीतल के ढेलों में परिवर्तित किये जाने के लिए यह तांबा अच्छा है ।

जापान के साथ व्यापार

***१०५८. श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष तथा जापान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): भारतवर्ष तथा जापान के बीच बिना किसी विघ्न बाधा के व्यापार चल रहा है । अतः कोई विशेष प्रयत्न करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या कपड़े में जापानी स्पर्द्धा को रोकने के लिए सरकार आगे कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री करमरकर : जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या सरकार यह बता सकती है कि विदेशों में जापानी कपड़े तथा भारतीय कपड़े में प्रतिस्पर्द्धा हो रही है ?

श्री करमरकर : जी हां । भारतीय कपड़े के साथ उसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा चल रही है जिस प्रकार कि संसार में अन्य सभी कपड़ों के उत्पादन के साथ हो रही है ।

औरंगाबाद आकाशवाणी केन्द्र

*१०६०. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री २३ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३९ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या औरंगाबाद प्रसारणं केन्द्र जो छः महीने पूर्व बन्द हो गया था, मराठवाड़ा की जनता द्वारा किये गये अभ्यावेदन के फलस्वरूप अब खुलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो कब तक खुलेगा; तथा

(ग) औरंगाबाद के केन्द्र में पड़े हुए ट्रांसमीटर तथा अन्य मशीनों के बारे में क्या कोई निर्णय हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग)। औरंगाबाद में बहुत कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर होने की वजह से और प्रसारण शक्ति कम होने के कारण वहां के केन्द्र को बन्द कर दिया गया था । औरंगाबाद में प्रयोगात्मक तथा सहायक पुनर्प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने की संभावना के बारे में प्रत्यधिक दृष्टि से विचार हो रहा है । यदि वहां कोई पुनर्प्रसारण केन्द्र बनाने का निर्णय हुआ तो अच्छा एवं नवीनतम ट्रांसमीटर वहां लगाया जायगा क्योंकि जो ट्रांसमीटर अब तक वहां काम करता था वह बहुत पुराना तथा अधिक उपयोग का नहीं था । प्रवधिक पर्यवेक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण पूरा हो जाने के बाद ही सहायक पुनर्प्रसारण केन्द्र बनाने के बारे में निश्चय किया जा सकता है।

श्री एच० जी० वैष्णव : इस केन्द्र को बन्द करने से पूर्व क्या वहां की राज्य सरकार से परामर्श लिया गया था ?

डा० केसकर : प्रसारण तो केन्द्रीय सरकार का विषय है किन्तु जब कभी आवश्यकता समझते हैं तो राज्य सरकारों से भी परामर्श कर लेते हैं और इस मामले में भी हमारे प्रस्ताव के बारे में वहां की राज्य सरकार को सूचना दे दी गई थी ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या औरंगाबाद आकाशवाणी केन्द्र को ग्रामीण प्रसारण केन्द्र के रूप में चालू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है

डा० केसकर : मेरे उत्तर को माननीय सदस्य ने ध्यानपूर्वक नहीं सुना । मैंने कहा था कि "सहायक पुनर्प्रसारण केन्द्र" के रूप में और वह निश्चय ही विचाराधीन है । हम कुछ प्रयोग इस बात को जानने के लिए कर रहे हैं कि क्या ऐसा सफलता के साथ किया जा सकता है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या उस केन्द्र से कार्यक्रम पुनर्प्रसारित करना उपयोगी नहीं है ।

डा० केसकर : हम तो ऐसा नहीं समझते क्यों कि प्रवधिक परामर्श जो हमें दिया गया है उस में कहा गया है कि यह वर्तमान ट्रांसमीटर बहुत कम शक्ति वाला है, उपयोग

के लिये बहुत पुराना है; और उपयोग की अपेक्षा उस पर व्यय अधिक होगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या राज्य सरकार तथा मराठवाड़ा की जनता की ओर से इस केन्द्र को बन्द न करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन नहीं मिले हैं और इस केन्द्र को बन्द करने के औचित्य को बताने में सरकार असफल नहीं रही है ?

डा० केसकर : मराठवाडा क्षेत्र से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं और इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस केन्द्र को बन्द करने के कारणों को उन्हें मनवाने में हम असमर्थ रहे हैं। उस के लिए मुझे खेद है, किन्तु अभ्यावेदनों के बाद भी केन्द्र को पहले की भांति चलाना हमारे लिए संभव नहीं था ।

लाल मणि

*१०६१. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में कुल कितने धन की लाल मणियों का आयात किया गया;

(ख) इस बीच कितने धन राशि की लाल मणियों का निर्यात किया गया; तथा

(ग) क्या उन के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का कोई शुल्क है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) बिना जड़ी हुई तथा आयातित बिना कटी हुई लाल मणियों पर उन के मूल्यानुसार २० प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाता है, तथा बिना जड़ी हुई और आयातित कटी हुई लाल मणियों पर उन के मूल्यानुसार २५ प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाता है । लाल मणियों के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : १९५३–५४ में लाल मणियों के निर्यात में जो असाधारण कमी हुई है क्या उस के कोई कारण सरकार बता सकती है ?

श्री करमरकर : कोई विशेष कारण तो नहीं है किन्तु संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि अब की बार उतना आयात नहीं हुआ है जितना कि हुआ करता था ।

अध्यक्ष महोदय : वह निर्यात की बात पूछ रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : विवरण के अनुसार १९५१–५२ में १,२७,४४२ रुपये का तथा १९५२–५३ में १४,३७७ रुपये का निर्यात हुआ था । लाल मणियों के निर्यात में जो यह असाधारण कमी हुई है उस के कारण मैं जानना चाहता हूं ।

श्री करमरकर : कोई ऐसा विशेष कारण तो प्रतीत नहीं होता क्योंकि पहिले वर्ष अर्थात १९५०–५१ में केवल २१,९४६ रुपये का निर्यात हुआ था । इस प्रकार का कोई विशेष कारण तो नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार को इस बात का ज्ञान है कि निर्यात करने वाली चीजें जैसे प्राचीन पुखराज तथा प्राचीन पन्ना त्रावणकोर-कोचीन राज्य के नेद्मंगर ताल्लुक में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं ?

श्री करमरकर : हो सकता है, किन्तु इस के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

सीमा की घटनायें

*१०६२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्निया जिले के गोआलपोखर थाना के अनेक ग्रामों में

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा पशु चुराने के, आग लगाने के तथा चोरी के अनेक अपराध किये गये हैं;

(ख) गत एक वर्ष में चुराये गये पशुओं की संख्या; तथा

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये किये गये तथा किये जाने वाले उपाय ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). अभी तक भारत सरकार को गोआलपोखर थाने से पशुओं की चोरी की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। ये दोनों घटनायें १२ जनवरी १९५४ को घटित हुईं। एक घटना के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय क्षेत्र में अनधिकार प्रवेष किया तथा कुट्टी बस्ती से दो पशु उठा ले गये। दूसरी घटना के अनुसार कन्थीगाछ से छै पशु चुरा लिये गये।

चोरी तथा पशु चुराने की और घटनाएं भी हुई हैं, जिन के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। १९५३ में कुल ३६ पशु चुराये गये।

(ग) सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किये गये हैं जिन में सीमान्त क्षेत्र की गश्त भी सम्मिलित है। पाकिस्तान सरकार को सुझाव दिया गया है कि जैसा प्रबन्ध पूर्वी बंगाल तथा पश्चिम बंगाल व आसाम के लिये कर दिया गया है, जिस के अनुसार, तत्सम्बन्धी ज़िलों के ज़िलाधीश आपस में मिलते हैं तथा ऐसी घटनाओं का निपटारा करते हैं तथा इन की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करते हैं, वैसा ही प्रबन्ध बिहार तथा पूर्वी बंगाल की सीमा के लिये भी कर दिया जाये।

श्री अनिरुद्ध सिंह: क्या यह सच है कि ये दुष्ट कार्य पुर्निया सीमा पर गत एक वर्ष से बिना किसी रोक टोक चल रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: सीमा के निकट पशु चुराने की ऐसी घटनायें अनेक बार हो चुकी हैं।

श्री अनिरुद्ध सिंह: चुरा कर ले जाये गये कितने पशुओं को फिर से प्राप्त किया गया तथा उन के पुराने स्वामियों के पास भेज दिया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा: अभी मेरे पास इस की जानकारी नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या सरकार कोई ऐसा रजिस्टर रखती है जिसमें चोरी जाने वाले पशुओं की जानकारी दर्ज की जाती हो ?

श्री अनिल के० चन्दा: हमारे देश के अन्य भागों में भी चोरियां हो रही हैं। पशुओं की चोरी में कोई ऐसी विशेषता नहीं है।

इस्पात संयंत्र

*१०६३. **श्री बी० सी० दास:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, रुरेवाला (उड़ीसा) में स्थापित किये जाने वाले, इस्पात संयंत्र का प्रशासन करने वाले, संचालक बोर्ड के, सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे): जर्मन फ़र्म्स के साथ किये गये क़रार के अनुसार दो संचालक ऐसे नियुक्त किये गये हैं जो 'क्रूप' तथा 'डेमाग' के प्रतिनिधि हैं। अन्य संचालकों का चुनाव उन की योग्यताओं, उन के उद्योग विशेष के अनुभव तथा अनेक क्षेत्रों के प्रशासन के अनुभव के आधार पर किया गया है।

श्री बी० सी० दास: क्या उड़ीसा को सरकार अथवा वहां की किसी सार्वजनिक संस्था की ओर से कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि संचालक बोर्ड में उस राज्य

के भी कुछ प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी): उड़ीसा सरकार के साथ हमारा पत्र व्यवहार हो रहा है। उन्हों ने कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है।

श्री बी० सी० दास: क्या सरकार को ज्ञात है कि, संचालक बोर्ड में किसी भी उड़िया के न रखे जाने पर, उड़ीसा राज्य में बड़ा क्षोभ फैला हुआ है ?

श्री के० सी० रेड्डी: नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या, इस्पात संयंत्र की ऐसी सभी नियुक्तियों को नियमित करने के लिये, सरकार कोई विधान बनाने का उपाय कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी: अभी ऐसी कोई प्रथा नहीं है। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, उस बात के लिये, जिस की ओर उन्होंने संकेत किया है, सरकार एक उपयुक्त विधान बनाने का विचार कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सच है कि जो अफ़सर इस परियोजना का प्रबन्ध संचालक बनाया गया था वह उस स्थान में अयोग्य पाया गया था जिस पर वह दामोदर घाटी निगम में पहले नियुक्त था तथा राव समिति प्रतिवेदन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उस के विरुद्ध हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: मेरे विचार से यह सत्य नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या जर्मन प्राविधिक परामर्शदाताओं ने भी बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श दिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: उन्हों ने कोई भी परामर्श नहीं दिया है। क़रार के अनुसार हमें जर्मन फ़र्म्स के दो प्रतिनिधि संचालक बोर्ड में लेने हैं। अन्य संचालकों के सम्बन्ध में हम अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं।

कमाया हुआ चमड़ा (आयात)

***१०६५. श्री बी० एन० कुरील:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में कितने मूल्य का कमाया हुआ चमड़ा विदेशों से भारत मंगाया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): ८,९६,००० रुपये ।

श्री बी० एन० कुरील: गत वर्ष कितने मूल्य का बिना कमाया चमड़ा भारत से निर्यात किया गया था ?

श्री करमरकर : २०,७९,६४,३१६ रुपये का सब प्रकार का चमड़ा ।

श्री के० के० बसु: कमाया हुआ चमड़ा किन देशों से आयात किया गया है ?

श्री करमरकर: इस बात के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक भ्रम दूर कर देना चाहता हूं। चमड़ा सामान्य रीति से क्रोम स्पलिट्स का बना होता है। यह आम तौर से तराशा जाता है। ऊपर की तह समाया हुआ चमड़ा होती है तथा नीचे की तह को हमारे देश में और बहुत से कामों में लाया जाता है ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि जो आयात किया गया चमड़ा है वह तले का चमड़ा है या क्रोम लेदर होता है ?

श्री करमरकर: मैं ने जैसा अंग्रेज़ी में कहा वह क्रोम लेदर होता है ।

पारपत्र प्रणाली

***१०६६. श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र प्रणाली भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रित की जा चुकी है; तथा

(ख) यदि हां तो इस केन्द्रीकरण का अभिप्राय क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि, प्रशासन के दृष्टिकोण से, पारपत्र जारी करने का कार्य, अनेक राज्य सरकारों के हाथ से ले लेना वांछनीय है। नयी व्यवस्था के विवरण तय्यार किये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये प्रादेशिक कार्यालय खोलने का विचार है।

श्री एस० एन० दास: विचाराधीन योजना के अनुसार पारपत्रों के कार्यालयों की संख्या घट जायेगी या बढ़ जायेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा: अभी पारपत्र जारी करने के २७ कार्यालय हैं। प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय है। अब प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यालय के हिसाब से पारपत्र जारी करने वाले पांच प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का विचार है।

श्री बी० एस० मूर्ति: यह नई व्यवस्था कब से लागू होगी ?

श्री अनिल के० चन्दा: आगामी कुछ सप्ताहों के भीतर ही।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

*१०६७. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सितम्बर से दिसम्बर १९५३ तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में धन दिया गया; और

(ख) इस प्रकार कुल कितना धन दिया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) ७२.

(ख) ३,३६,७६८ रुपये। इस के अतिरिक्त १६,५९,७९० रुपये के मूल्य की ५९७८ कच्ची झोपड़ियां प्रतिकर के रूप में ५९७८ दावेदारों को हस्तान्तरित कर दी गईं।

सेठ गोविन्द दास: इस में से पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को कितना दिया है और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को कितना दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन: यह सब का सब पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिया गया है।

सेठ गोविन्द दास: क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश से और जबलपुर से कुछ दरख्वास्तें आई हैं जिन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन: दरख्वास्तें आई हैं सभी पर विचार हो रहा है।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह बात सही नहीं है कि ये दरख्वास्तें खास कर मेरे प्रान्त और जबलपुर की बहुत दिन से माननीय मंत्री के सामने पेश हैं, और उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री ए० पी० जैन: इस में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि किसी को खास तरजीह दी जाती हो या किसी की खास बाद में ली जाती हो, यहां तो जिस का नम्बर आ जाता है, उसी को दिया जाता है।

भारतीय प्रमाप संस्था

*१०६८. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारतीय प्रमाप संस्था ने कितने प्रमाप जारी किये;

(ख) १९५२ तथा १९५३ में, भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने, प्रमापीकरण से सम्बन्ध रखने वाले विदेशों के कितने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया;

(ग) इस प्रकार भाग लेने का मुख्य अभिप्राय; तथा

(घ) ऐसे प्रतिनिधि मण्डलों पर व्यय किया गया रुपया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ८३.

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री एस० सी० सामन्त : ८३ प्रमापों में, क्या इस संस्था ने भारतीय खाद्यान्न भण्डार का ढांचा भी निश्चित कर दिया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास सूची है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह सूची सदन पटल पर रख दूं । मैं ८३ प्रमापों की व्याख्या नहीं कर सकता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन प्रमापों का पालन कराने के लिये, जिन को उस ने पास किया है, क्या इस संस्था को, राज्य सरकारों से कोई सहायता मिलती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : साधारण रीति से समझना तो यही चाहिये कि उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाती है । यदि माननीय सदस्य के दिमाग़ में कोई विशेष बात हो तो मैं उन की सहायता करने को तय्यार हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह संस्था उद्योग संचालकों के साथ परामर्श करने के लिये कोई सम्मेलन आयोजित करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात के पता लगाने के अभिप्राय से कि राज्य निश्चित किये गये प्रमापों के पालन कराने में सहायता देते हैं या नहीं उद्योग संचालकों के साथ कोई सम्मेलन नहीं किया गया है । परन्तु कभी कभी राज्यों के उद्योग संचालक, भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा बनाई जाने वाली उपसमितियों के सदस्यों के रूप में, भाग लेते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का दिल्ली से स्थानान्तरण

*१०६९. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री २३ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को, दिल्ली से अन्य स्थानों में, स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : हां । यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय दिल्ली से बाहर भेज दिये जायें विस्तृत विवरण तैय्यार किये जा रहे हैं ।

श्री गिडवानी : ये किन किन स्थानों पर ले जाये जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बहुत से स्थानों को जिन में शिमला जैसे स्थान और भूतपूर्व रियासतों के कुछ मुख्य नगर भी सम्मिलित हैं ।

श्री गिडवानी : क्या उन्हें स्थानान्तरित करने से पूर्व वहां कर्मचारियों के लिये आवास-स्थान मिल जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में दिल्ली की तुलना में उनको अवस्था बुरी नहीं रहेगी ।

श्री सारंगधर दास : क्या दिल्ली के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर विभिन्न स्थानों को भेजने का प्रस्ताव तीन या चार वर्ष से विचाराधीन है और अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य का यह कथन बिल्कुल ठीक है । यह काफी समय से विचाराधीन है, किन्तु इस में बहुत सी कठिनाइयां थीं और अब भी मैं यह नहीं कह सकता कि ये

सब वस्तुतः समाप्त ही हो गई हैं, परन्तु दिल्ली से बाहर उपयुक्त स्थान ढूंढने का गंभीरता से प्रयत्न किया जा रहा है और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि कुछ कार्यालयों को अवश्य भेज दिया जाये ।

श्री एन० एम० लिंगम उठे —

श्री सारंगधर दास : क्या मैं कठिनाइयों को जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री लिंगम :

श्री एन० एम० लिंगम : इन कार्यालयों को भेजने के लिये दिल्ली से बाहर स्थानों को चुनने की क्या कसौटी है और क्या सरकार को यह विदित है कि दक्षिण के कुछ पहाड़ी स्थानों में भूतपूर्व राजाओं के कई प्रसाद तथा अन्य खाली भवन हैं जिन का इन कार्यालयों को रखने के लिये बड़ी अच्छी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दिल्ली के बाहर किसी कार्यालय को रखने के लिये स्थान चुनते समय उस स्थान में उपयुक्त आवास स्थान की उपलब्धता ही प्रधान कारण होती है और यह सत्य है कि दक्षिण में तथा उत्तर में भी पहाड़ी स्थानों में कार्यालयों के बड़े बड़े भवन हैं या पहले के कुछ बड़ बड़ आवास भवन उपलब्ध हैं क्योंकि कुछ कारणों से पहाड़ी स्थानों की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है ।

सीमान्त की घटनायें

*१०७०. **श्री बेलीराम दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि १५ जनवरी, १९५४ को या उस के आस-पास सिलहट (पाकिस्तान) तथा खासी पहाड़ियों (भारत) के सीमान्त पर दोनों ओर से सीमान्त पुलिस द्वारा तीन दिन तक लगातार गोली चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे;

(ग) इस से भारतीय प्रजाजनों की यदि कोई क्षति हुई थी तो कितनी; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). १२ जनवरी १९५४ को पाकिस्तान सीमान्त पुलिस का एक दस्ता भारतीय प्रदेश में बंगालभेटा बस्ती में अनधिकृत रूप से घुस आया था और उस ने ग्रामीणों पर हमला करके बस्ती में आग लगा दी थी । १६ जनवरी १९५४ को भारतीय सीमान्त पुलिस का एक गश्ती दस्ता उस गांव में गया और पाकिस्तात पुलिस ने उस पर गोली चलायी । भारतीय दस्ते ने आत्मरक्षा के लिये प्रत्युत्तर में गोली चलायी । अगले दिन भी पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय पुलिस पर गोली चलाई और भारतीय पुलिस को उस के उत्तर में गोली चलानी पड़ी ।

(ग) गांव को जलाने के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों को कितनी हानि उठानी पड़ी यह ज्ञात नहीं है । भारतीय तथा पाकिस्तानी पुलिस के मध्य गोली चलने के परिणामस्वरूप कोई हानि नहीं हुई ।

(घ) आसाम सरकार ने पूर्वी बंगाल की सरकार से विरोध प्रकट किया था । तदनुसार संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों के उप आयुक्त और सिलहट के जिला मजिस्ट्रेट ने २२ जनवरी, १९५४ को एक संयुक्त जांच की थी । दोनों पक्ष तुरन्त गोली चलाना बन्द कर देने के लिये सहमत हो गये थे और यह निश्चय किया गया था कि कोई पक्ष किसी भी अवस्था में गोली न चलाये । इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उस क्षेत्र

में शीघ्र ही सीमा अंकित कर देने की भी सिफारिश की गई थी ।

श्री बेली राम दास: इस घटना के कारण पीड़ित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री बेली राम दास: आगे और घटनाओं को रोकने के लिये क्या सरकार इन सीमान्त चौकियों को सुदृढ़ बनाने का विचार कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा: हम जहां तक सम्भव हैं सीमान्त चौकियों की संख्या बढ़ाते रहे हैं और इन के कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करते रहे हैं ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

*१०७१. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन, वाशिंगटन, मास्को, पीकिंग, फ्रांस, मिस्र, तेहरान तथा टोकियो स्थित भारतीय दूतावासों को १९५३-५४ में मनोरंजन के लिये वस्तुत: कितनी राशि दी गई और उन्होंने अब तक कितनी खर्च की ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): विदेशस्थ भारतीय दूतावासों को मनोरंजन के लिये अलग से धन नहीं दिया जाता । दूतावासों के अध्यक्षों के मासिक प्रतिनिधित्व व्यय तथा दूतावासों में काम करने वाले पदाधिकारियों के निजी विदेश भत्ते में मनोरंजन के लिये भी कुछ अंश सम्मिलित होता है । इस अंश को विदेश भत्ते से अलग करना और यह बताना संभव नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित दूतावासों के लिय वस्तुत: कितनी राशि मंजूर की गई और उन्होंने कितनी व्यय की ।

श्री पी० एन० राजभोज: क्या सरकार को यह पक्का पता है कि यह राशि व्यक्तिगत मनोरंजन पर व्यय नहीं की जाती ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । इस में व्यक्तिगत मनोरंजन भी सम्मिलित हैं और जान-बूझ कर सम्मिलित किये गये हैं, क्योंकि बहुत से कूटनीतिज्ञों को व्यक्तिगत रूप से अन्य कूटनीतिज्ञों का मनोरंजन करना पड़ता है ।

श्री कासलीवाल: क्या यह सत्य है कि हमारे मास्को स्थित दूतावास को सब से अधिक धन दिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा: हां, श्रीमान् । मास्को को मनोरंजन के लिये सब से अधिक धन दिया जाता है :

श्री कासलीवाल : सब से अधिक धन देने का कारण क्या है—क्या इस का कोई विशेष कारण है या जीवन-यापन व्यय बहुत अधिक होने के कारण या उपभोग्य वस्तुओं के अभाव के कारण या ऐसी ही किसी अन्य बात के कारण ऐसा होता है ?

श्री अनिल के० चन्दा: उस स्थान में बहुत अधिक जीवनयापन व्यय ही इस का कारण है ।

ब्रिटिश सार्थों में विदेशी कर्मचारी

*१०७२. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश व्यापारिक सार्थों ने उन के द्वारा नियुक्त विदेशियों की संख्या के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने के लिये अधिक समय मांगा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): हां, श्रीमान्

न केवल कुछ विदेशी सार्थों से अपितु भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल संघ से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस के परिणाम-स्वरूप यह ब्यौरा प्रस्तुत करने की तिथि १५ अप्रैल, १९५४ तक बढ़ा देने का निश्चय किया गया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह प्रार्थना पहले ब्रिटिश सार्थों ने की थी या भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल संघ ने ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक ठीक तिथियों को स्मरण रखना तो मेरे लिये कठिन है । इन दोनों ने ही प्रार्थना की थी ।

श्री सैय्यद अहमद : किन किन विदेशी सार्थों ने अभ्यावेदन भेजे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सत्य है है कि कुछ यूरोपियन सार्थ अपने कर्मचारियों को वस्तुतः जितना धन देते हैं उस से अधिक की रसीदें ले रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं केवल इन सार्थों को ये ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये दिये गये समय के सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं । वे अपना हिसाब-किताब कैसे रखते हैं इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री से है, क्योंकि यह तो आय-कर से बचने का प्रश्न है ।

मिट्टी का तेल

*१०७४. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है; और

(ख) यह कैसे और कहां से प्राप्त किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से बताने की प्रथा नहीं है ।

(ख) मिट्टी के तेल आयात तथा स्वदेशी उत्पादन दोनों ही प्रकार से प्राप्त किया जाता है । फारस की खाड़ी, सुदूर पूर्व, हिन्देशिया तथा अन्य देशों से इस का आयात किया जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : गत वार आसाम आयल कम्पनी द्वारा मिट्टी के तेल का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में वाद विवाद हुआ था । इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यहां जो मिट्टी का तेल बेचा जाता है उस का एक ही मूल्य होता है या अलग अलग मूल्य होते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य उस चर्चा का उल्लेख कर रहे हैं जो कि गत सत्र में पैट्रोल के मूल्य के सम्बन्ध में हुई थी । सरकार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हाल ही में आसाम में पट्रोल का विक्रय मूल्य घट गया है ।

ऐनक के कांच का कारखाना

*१०७५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री २४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर को निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित ऐनक के कांच का कारखाना उस के बाद से खुल चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह कारखाना किस कारण नहीं बनाया जा रहा ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक बड़ा पेचिदा संयन्त्र है। हमारे पास कुछ जानकारी है, किन्तु सरकार ने यह अनुभव किया कि इस विषय में कोई निश्चय करने से पूर्व कुछ और जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि बहुत अधिक राशि की ऐनकों की चीज़ों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार इस कारखाने को खोलने का विचार क्यों नहीं कर रही ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने इस कारखाने को खोलने का निश्चय किया है किन्तु इसे खोलने से पूर्व हम कुछ और जनकारी इकट्ठी करना चाहते हैं । हम कुछ देशों और सार्थों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और सारी जानकारी इकट्ठी करने के पश्चात् सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सकेगी ।

विदेशों में भारतीय राजदूतावास

***१०७६. श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हमारे राजदूतों को इस बात का प्रतिषेध है कि वे जिन देशों में हों वहां के राष्ट्रजनों का आतिथ्य करते समय मद्यसारिक पेयों से उनका सत्कार न करें ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को सामान्य अनुदेश दिये गये हैं कि उन्हें सरकारी समारोहों पर, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर, कोई मद्यसारिक पेयों द्वारा अतिथि-सत्कार नहीं करना चाहिये, और हमारे पदाधिकारियों को सर्वदा संयम तथा गाम्भीर्य का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । अन्यथा, कोई पत्थर की लकीर के समान नियम नहीं बनाये गये हैं और यह मामला साधारणतः दूतावास के प्रमुख अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पालिसी है कि दूसरे देशों में ऐल्कोहोलिक ड्रिंक्स आफीशल फंक्शन पर न इस्तेमाल किये जायें, यह सब देशों के लिये यूनीफार्म पालिसी है या यह कि कहीं कोई पिये और कहीं कोई न पिये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

डा० सुरेश चन्द्र : इन अनुदेशों पर हमारे दूतावास कहां तक अमल करते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : सर्वथा, जहां तक मुझे पता है ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक

अल्प सूचना प्रश्न ६. डा० राम सुभग सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक दल में संयुक्त राज्य अमरीका के कुल कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) इन अमरीकियों में कितने लोग युद्ध विराम रेखा के इस ओर भारतीय क्षेत्र में हैं और कितने पाकिस्तान की ओर के क्षेत्र में हैं ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके प्रेक्षक दल को सरकार ने यह सूचना दे दी है कि अमरीकी प्रेक्षकों अब निरपेक्ष नहीं समझा जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रेक्षकों को काश्मीर से कब वापिस बुला लिया जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १८ सैनिक व्यक्ति हैं और तीन तीन असैनिक हैं ;

(ख) १ मार्च १९५४ को, भारत की ओर के क्षेत्र में दस अमरीकी सैनिक पदाधिकारी और एक असैनिक था, और युद्ध विराम रेखा की दूसरी ओर छै सैनिक पदाधिकारी और एक असैनिक था । दिल्ली तथा रावलपिंडी के मुख्यालय के कार्य पर दो सैनिक पदाधिकारी और एक असैनिक था । परन्तु युद्ध विराम रेखा के किसी ओर के क्षेत्र के लिये कोई विशेष संख्या नियत नहीं है और ये पदाधिकारी एक ओर से दूसरी ओर आते जाते रहते हैं ।

(ग) तथा (घ). हमने अपने विचार अनौपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय को भेज दिये हैं और आशा है कि वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : काश्मीर में अमरीकी प्रेक्षकों की स्थिति के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर संयुक्त राज्य के विदेश विभाग, पाकिस्तान के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव की अत्यन्त स्पष्ट टिप्पणियों को देखते हुए, सरकार काश्मीर में अमरीकी प्रेक्षकों सम्बन्धी अपने इरादों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मामला तो मूलतः भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच का है । जहां तक हमारा संबंध है, दूसरों के कुछ भी विचार हों, वे सर्वथा संगत नहीं हैं । जैसा कि मैं पहले कह चुका , हमारी राय म, काश्मीर के संयुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षकों म संयुक्त राज्य अमरीका के प्रेक्षकों का रहना उचित नहीं है अतः आगे के लिये वे नहीं रहने चाहिये । हमने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दिया है । कदाचित माननीय सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम से छपे वक्तव्य का ध्यान है । वह तो एक व्यापक सा वक्तव्य था, इस मामले से विशेष तौर से सम्बद्ध नहीं था । अस्तु, वह उनकी राय हो सकती है या न भी हो, मैं नहीं कह सकता । परन्तु इस मामले में हमारे विचार तो नितान्त स्पष्ट हैं और हम इस पर आगे कार्यवाही करेंगे । संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गत कई दिनों से मुख्यालय से दूर कहीं पर गये हुए हैं और इस सप्ताह लौटने वाले हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रधान मंत्री ने अभी बताया है कि यह मामला तो संयुक्त राष्ट्र से ही सम्बद्ध है । जैसा कि मुझे पता था, सुरक्षा परिषद् ने, भारत तथा पाकिस्तान की सहमति से, काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक दल में उन नौ देशों को प्रतिनिधित्व दिया था जिनके प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं । क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को या सुरक्षा परिषद् को या संयुक्त राष्ट्र संघ को, या जो भी उसे, यह स्पष्ट बता देगी कि इन अमरीकी प्रेक्षकों को, जिनके विषय में प्रधान मंत्री ने पहली मार्च १९५३ को अपने वक्तव्य में कहा था कि अब वे निरपेक्ष नहीं रहे हैं, अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्हें अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित करने का प्रश्न तो इस अवस्था पर उठता ही नहीं । हम सिद्धान्त के आधार पर आपत्ति कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के अस्वीकार्य व्यक्ति होने के आधार पर नहीं । यदि यह प्रश्न उठता है तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा । किन्तु इस समय तो हम यह समझते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब कि संयुक्त राज्य की सेना के किसी

पदाधिकारी को काश्मीर के इस विवाद में तटस्थ नहीं समझा जा सकता ।

श्री जयपाल सिंह : यह सूचना अनौपचारिक रूप में क्यों दी गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सामान्यतः सर्वप्रथम इसी प्रकार सूचनाएं दी जातीं हैं और बाद में, जब आवश्यक समझा जाता है तब औपचारिक सूचना दी जाती है । इस सभा में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके तुरन्त पश्चात् मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था । उसे अनौपचारिक कहा जा सकता है परन्तु उस पर हमारे प्रतिनिधि ने ध्यान आकृष्ट किया यही बात काफी औपचारिक थी ।

स्पष्ट रूप से कहा जाय तो बात यह है कि औपचारिक मांग उस रूप में नहीं की गई थी ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को कम से कम परेशानी हो ।

श्री साधन गुप्त : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर एटलांटिक गुट्ट के देश और तथाकथित ऐंजस गुट्ट के देश सामान्य रूप से अमरीकी नीति की सारभूत बातों से सहमत हैं, अतः उन देशों के पर्यवेक्षकों द्वारा हमारी सुरक्षा को खतरा न पहुंच सके इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम अमरीका से आने वाले पर्यवेक्षकों की चर्चा कर रहे हैं । माननीय सदस्य इस चर्चा को अन्य पर्यवेक्षकों पर लागू कर रहे हैं । दुर्भाग्यवश संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे देश बचे हैं जो किसी न किसी दृष्टिकोण से एक प्रकार से अतटस्थ नहीं हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सैय्यद अहमद : इस बात का निर्णय कौन करेगा कि ये अमरीकी पर्यवेक्षक तटस्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

गोआ

अल्प सूचना प्रश्न ७. श्री जोकिम आल्वा: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि गोआ में उस मोटरगाड़ी को, जिसमें भारतीय महावाणिज्य दूत जा रहे थे, पुर्तगाली पुलिस द्वारा रोक लिया गया था और उसकी तलाशी ली गई थी ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त घटना के समय महावाणिज्य दूत के साथ उनकी मोटरगाड़ी में जाते हुए मापुका, गोआ, के एक शल्यचिकित्सक डा० पी० गायतोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रवादी कार्यवाही के कथित आरोप पर, उनकी गिरफ्तारी के २४ घंटे के अन्दर, डा० गायतोंडे को उनकी पुर्तगाली पत्नी के साथ निर्वासित करके, एक सैनिक न्यायाधिकरण के सामने मुकदमा चलाने के लिये, एस० एस० इंडिया के द्वारा लिसबन भेज दिया गया था ?

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के इस उल्लंघन के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १७ फरवरी के प्रातःकाल जिस मोटरगाड़ी में महा वाणिज्य दूत अपनी पत्नी और डा० गायतोंडे के साथ मापुका से लौट रहे थे, उसके मार्ग में एक खाली टैक्सी ने रुकावट डाली थी जो कि उस एकतरफा मार्ग के प्रवेश स्थान पर खड़ी हुई थी जो वाणिज्य दूतावास की मोटरगाड़ी लाने वाली फ़ैरी से मुख्य सड़क को जाता था । बाद में कुछ पुलिस अधिकारी प्रकट हुए और, यद्यपि वास्तव

में मोटरगाड़ी की तलाशी नहीं ली गई थी, तथापि एक अधिकारी ने यह देखने के लिये क्या डा० गायतोंडे उसमें थे, उसके अन्दर देखा था ।

(ख) तथा (ग) .बाद में उसी दिन प्रातःकाल डा० गायतोंडे को उनके अपने मापुका के निवासस्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था । उन्हें एक पुर्तगाली जहाज "एस० एस० इंडिया" के द्वारा, पुर्तगाल भेज दिया गया था, जो मारमुगाओ बन्दरगाह से २० फरवरी को रवाना हुआ था । यद्यपि श्रीमती गायतोंडे गिरफ्तार नहीं की गई थीं, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें अपने पति के साथ जाने के लिये तैयार कर लिया था ।

(घ) सरकार ने पुर्तगाली दूतावास से कड़ी शिकायत की है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह पहला अवसर है जब कि भारत के एक सरकारी प्रतिनिधि के साथ विदेश में इस प्रकार से व्यवहार किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहले भी एक या दो छोटे मामले हो चुके हैं, परन्तु हमारे महावाणिज्य दूत के संबंध में नहीं ।

श्री जोकीम आल्वा : ऐसी स्थिति में जब कि पुर्तगाल स्थित हमारा मिशन वापस बुला लिया गया है, भारत सरकार का दिल्ली स्थित पुर्तगाली दूतावास के प्रति क्या रुख है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : फिलहाल इस मामले में हम कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं करते हैं । माननीय सदस्य को स्मरण रहे कि गोआ में हमारा महा वाणिज्य दूत है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जब कि यह स्पष्ट है कि पुर्तगाल ने गोआ को अपने अधिकार में बनाये रखने का निश्चय कर लिया है, और जब कि डा० सालाज़ार के अनुसार १९४९ में ब्रिटेन ने, आंग्ल-पुर्तगाली संधि के अधीन, विदेशों में पुर्तगाली राज्य-क्षत्रों की रक्षा करने की प्रत्याभूति दी है, तो क्या भारत यह बात स्पष्ट कर देगा कि वह उस क्षेत्र की जनता के आर्तक्रन्दन से अनिश्चित काल तक अप्रभावित नहीं रह सकता ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने अपनी प्रश्न या क्तव्य में बहुत सी बातें भर दी हैं । भारत ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि गोआ के संबंध में उसके इरादे क्या हैं । इस बात की कल्पना कदापि नहीं की जा सकती कि भारत में गोआ अथवा अन्य कोई विदेशी बस्ती जारी रहे । यह ठीक है कि हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि इन प्रश्नों को हल करने का सर्वोत्तम मार्ग शान्तिपूर्ण तरीक़ा है, चाहे हमें थोड़ा अधिक समय लग जाय । परन्तु मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि गोआ में जिस ढंग से चीज़ें हो रही हैं, उससे हमारा धैर्य समाप्त होता जा रहा है ।

माननीय सदस्य ने आंग्ल-पुर्तगाली संधि का जो हवाला दिया है, उसके संबंध में मैं फिलहाल यह नहीं कह सकता कि वैधानिक दृष्टि से उस संधि के इस मामले पर क्या परिणाम होंगे, और न मैं डा० सालाज़ार के उन परिणामों के निर्वचन को मानने के लिये ही तैयार हूं ; परन्तु अभी हाल ही में विभिन्न देशों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ये वाह्य संधियां गोआ और भारत पर किसी भी प्रकार से लागू नहीं होती हैं ।

डा० एन० बी० खरे : क्या सरकार को यह आशा है कि यह प्रश्न कभी भी शांतिपूर्वक हल हो सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अब मैं सदन की कार्यवाही को दूसरी मद आरंभ कर रहा हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*१०३३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समाचार पत्रों में छपे हुए इस समाचार में कोई सार है, कि मुसलमानों की निष्क्रान्त सम्पत्तियों का फिर से मूल्य निर्धारण का काम आरंभ किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अफ्रीका में मुस्लिम सम्मेलन

*१०३९. **श्री राधा रमण**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में अफ्रीका में एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ था ?

(ख) इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ?

(ग) उसमें क्या निर्णय हुए ?

(घ) क्या भारत के भी किसी व्यक्ति ने उसमें भाग लिया था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी हां ।

(ख) सरकार को जो समाचार प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार यह सम्मेलन ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के मुस्लिम समुदाय के सामने उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करन के लिये बुलाया गया था ।

(ग) उस सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखी जा रही हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) जी हां । इस सदन के सदस्य, मौलाना हिफ़जुर्रहमान ।

फलों का निर्यात

*१०४०. **पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशों में फलों के निर्यात को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है; तथा

(ख) वर्ष १९५३ में निर्यातित (१) आम तथा (२) अन्य फलों का मूल्य और उनकी मात्रा कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) निर्यात का मूल्य दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८)** । आमों के निर्यात के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

फैरो-मैंगनीज तथा माइकानाइट

*१०४३. **श्री नानादास**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फैरो-मैंगनीज और माइकानाइट के निर्माण के लिये सरकार की कोई योजना है; तथा

(ख) क्या दामोदर घाटी क्षेत्र म कोयला साफ़ करने का संयत्र स्थापित करने की कोई सरकारी योजना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) इस देश में माईकानाइट ग़ैर-सरकारी रूप से छोटे पैमाने पर बनाया जाता है

और उसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसके निर्माण की योजनाओं को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जहां तक फ़ैरो-मैंगनीज का संबंध है, सरकार उसके निर्माण की योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है और ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। ग़ैर-सरकारी उद्योगों द्वारा फ़ैरो मैंगनीज़ के निर्माण के संबंध में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है, एक सरकारी संयत्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बर्मा को कोयले का निर्यात

*१०४७. **श्री राघवय्या :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१–५२ और १९५२–५३ में बर्मा को कितना कोयला निर्यात किया गया ;

(ख) क्या १९५३-५४ में इस निर्यात की मात्रा में कोई कमी की जायेगी ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) १९५१–५२ १३६,१३० टन
१९५२–५३ २३१,५२४ टन

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

*१०५०. **श्री मनिस्वामी :**
श्री भीखाभाई :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सस्ते मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से टिकटों के विक्रय, तथा स्टालों के किराया आदि से १५ फरवरी, १९५४ तक कुल कितनी आय हुई; तथा

(ख) क्या देश के दूसरे भागों में ऐसी कोई प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १,९०,३१९ रुपये २ आने ।

(ख) देश के किसी दूसरे भाग में ऐसी कोई प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

खिलौने

*१०५९. **श्री गणपति राम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक के खिलौने भारत की आवश्यकतानुसार बनते हैं या नहीं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये खिलौने विदेशों से मंगाये जाते हैं, और किस किस देश से ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो क्या ये खिलौने बाहर भेजे जाते हैं ; और यदि हां, तो किस किस देश को ;

(घ) खिलौना उद्योग बड़े पैमाने का है या छोटे पैमाने का; तथा

(ङ) इस उद्योग से कितने लोगों का भरण पोषण होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बिल्कुल ठीक अनुमान संभव नहीं है ।

(ख) कुछ प्रकार के शिक्षात्मक खिलौने इंगलैण्ड, जापान तथा अमरीका से आयात किये जाते हैं ।

(ग) इंगलैण्ड, बर्मा, मध्य पूर्व और दूर पूर्व को कुछ खिलौने निर्यात किये जाते हैं।

(घ) यह बड़े और छोटे दोनों पैमानों पर होता है ।

(ङ) बिल्कुल ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जूता बनाने का उद्योग

*१०७३. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत जूता उद्योग में स्वावलम्बी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशों से आयात किये गये जूतों का कुछ मूल्य कितना है ;

(ग) कुटीर उद्योग और जूता फैक्टिरियों द्वारा कितने प्रतिशत मांग पूरी की जाती है ;

(घ) इस उद्योग को विकसित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ; तथा

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग को केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ के नौ महीनों में क्रमश: २३,०८१ रुपये, २३,३१२ रुपये और २०,००० रुपयों के मूल्य के जूते आयात किये गये हैं ।

(ग) सरकार के पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

(घ) तथा (ङ). विवरण सदन पटल पर रख जाते हैं [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९**]

[बीड़ी बनाने की मशीन

*१०७७. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बीड़ी बनाने की मशीनें प्रत्येक राज्य में कितनी चल रही हैं; और

(ख) प्रत्येक मशीन कितने मज़दूरों का काम करती हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) मशीनों से काम करने पर यह अनुमान लगाया गया है कि ३ व्यक्तियों का उत्पादन १० व्यक्तियों के उत्पादन के बराबर होगा ।

मिल की बनी धोतियां

१९०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) संसद के पिछले सत्र में जो धोती उत्पादन (अतिरिक्त) शुल्क अधिनियम पारित हुआ था, उक्त अधिनियम में प्रत्याशित सूती कपड़ा के मिलों को अपने कुल उत्पादन में से धोतियों का ६० प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने से रोकने में कहां तक प्रभावशाली रहा है;

(ख) उक्त अधिनियम के लागू होने से हाथ करघा धोतियों का कितना अधिक उत्पादन हुआ है ; तथा

(ग) क्या उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् मिलों ने सफेद किनारी वाली धोतियां तैयार की हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो किन मिलों ने ऐसा किया है और किस मात्रा में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) मिलों ने साधारणतया धोतियों के उत्पादन को रोकन वाल आदेशों का पालन किया है ;

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि बहुत से हाथ करघों ने जो इस से पहले धोतियां नहीं बनात थे हाल में धोतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]**

मैसूर में सामुदायिक परियोजनायें

१९१. श्री एन० राचय्या : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मैसूर में और अधिक सामुदायिक परियोजनाएं और विकास खण्ड प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने, कब और किन जिलों में ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां ।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा को पुनर्वास ऋण

१९२. श्री दशरथ देव : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने १९५३-५४ में त्रिपुरा सरकार को विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास ऋण देने के लिये कुछ राशि दी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) ७० लाख रुपये ।

आकाशवाणी प्रकाशन

१९३. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२, और १९५३ के अन्तर्गत प्रत्येक महीने में "इण्डियन लिसनर," "आवाज" और "सारंग" का कुल कितना परिचालन हुआ है ?

(ख) कितनी प्रतियां विदेशों को, देशवार भेजी गई थीं ;

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**.

फरीदाबाद मशीनरी

१९४. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद की विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में कितनी लागत की मशीनरी लगाई गई है ;

(ख) अब तक अवक्षयण के लिये कुछ रक़म, यदि कोई, कम कर दी गई है तो कितनी ?

(ग) ऐसी मशीनरी की संस्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य के लिये प्रयोग में लाया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]**.

फरीदाबाद कालोनी में कृषि सम्बन्धी परियोजनायें

१९५. **श्री वी० पी० नायर**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फ़रीदाबाद की विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में कृषि संबंधी कार्य करने की कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, नहीं । फ़रीदाबाद मुख्यतया एक नगरीय एवं औद्योगिक कालोनी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

सूअर के बालों का निर्यात

१९६. **श्री एम० आर० कृष्ण** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे ऐशियाई देशों के साथ प्रतियोगता होने के कारण भारत से सूअर के बालों का निर्यात कम हो गया है; तथा

(ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष निर्यात व्यापार में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मात्री की दृष्टि १९५२ की अपेक्षा १९५३ में सूअर के बालों के हमारे निर्यात में लगभग ८६० हंडरवेट की कमी हुई है । परन्तु जो वास्तविक आय हुई वह अधिक थी । अन्य एशियाई देशों के साथ कितनी प्रतियोगिता है इसकी ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के घोषित कर्मचारी

१९७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने १ जनवरी, १९५४ तक केन्द्रीय जन वस्तु विभाग के घोषित कर्मचारियों की श्रेणी वार सूची तैयार कर ली है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) अभी तैयार नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

Par. S. 18. II. 24. 54.
285

अंक २

संख्या २४

मंगलवार,

१६ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गए पत्र—

कोरिया के सम्बन्ध में वक्तव्य [पृष्ठ भाग १५३९—१५४९]

दामोदर घाटी निगम की १९५१-५२ की रिपोर्ट का भाग १ [पृष्ठ भाग १५५०]

दामोदर घाटी निगम के १९५४-५५ के आयव्ययक के प्राक्कलन [पृष्ठ भाग १५५०]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग १५५०]

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग १५५०—१६०८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

28 PSD

लोक सभा

मंगलवार, १६ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

कोरिया के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): : श्रीमान् जी, आपकी अनुमति से मैं कोरिया के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सदन पटल पर रखना चाहता हूं।

वक्तव्य

कोरिया में जो भी घटनायें घटित हुई हैं संसद् को उनसे सूचित रखा गया है और दिसम्बर में दोनों सदनों में जो वादविवाद हुआ था उसके दौरान में तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग तथा भारत के संरक्षक कटक के काम का निर्देश किया गया था।

२. निर्देश्य पदों के अनुसार, तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग को अपना कार्य तीन प्रक्रमों में करना था। पहिला स्पष्टीकरण का प्रक्रम था जो कि २३ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त हुआ। उसके बाद तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग को शेष बन्दियों के मामले राजनैतिक सम्मेलन को निर्दिष्ट करने थे और २२ जनवरी १९५४ तक इसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी थी। अन्तिम तथा तृतीय प्रक्रम वह था जिसमें छोड़े गये उन युद्ध बन्दियों को, जो कि असैनिकों की स्थिति में आ गये थे, तटस्थ देशों में भेजने में सहायता दी जानी थी। यह प्रक्रिया एक महीने के अन्दर समाप्त की जानी थी और तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग को २२ फरवरी को विसर्जित होना था।

३. जैसा कि सुविदित है, कठिनाइयां पैदा हुईं और तटस्थ राष्ट्र प्रत्यवर्त्तन आयोग समझौते की शर्त्तों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकता था। जब यह प्रक्रिया समाप्त हुई तब बन्दियों की संख्या के केवल एक दसवें भाग को ही स्पष्टीकरण दिया गया था। कुछ दिन बाद, २८ दिसम्बर, १९५३ में तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग ने दोनों कमानों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्पष्टीकरण प्रक्रिया की असफलता के कारण दिये हुए थे। बहुमत रिपोर्ट पर भारत पोलैण्ड तथा चैकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे और एक पृथक् बहुमत रिपोर्ट थी जिस पर स्वीडन तथा स्विटज़रलैण्ड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे। बहुमत रिपोर्ट में यह बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र कमान ने जिन बन्दियों को सौंपा था वे दलों में सुसंगठित थे तथा जिस पक्ष ने पहिले उन्हें

अपने कब्ज़े में रख रखा था उसके प्रभाव से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं थे । युद्धबन्दी संगठन तथा इसके नेताओं के कार्य अबाध रूप से प्रत्यावर्त्तन के अधिकार का प्रयोग करने के मामले में उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने में सहायक नहीं थे । इन कार्यों ने प्रत्यावर्त्तन आयोग के संरक्षण तथा नियंत्रण का अंशलोप कर दिया और इच्छा व्यक्त करने की स्वतन्त्रता स्थापित करने के मामले में कठिनाई पैदा कर दी । इस बात की पुष्टि अल्पसंख्यक रिपोर्ट से हो गई जिस में इस बात को माना गया कि जो युद्धबन्दी प्रत्यावर्त्तन चाहते थे उन पर इस संगठन का कड़ा नियंत्रण था ।

४. २३ दिसम्बर को उत्तरी कमान ने प्रत्यावर्त्तन आयोग से स्पष्टीकरण कार्य को जारी रखने की प्रार्थना की । उसने कहा कि निर्धारित नब्बे दिनों में से केवल दस दिन तक ही स्पष्टीकरण कार्य किया गया है और इसका उत्तरदायित्व युद्धबन्दी संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र कमान पर है । इस प्रार्थना का प्रत्यावर्त्तन आयोग के चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैण्ड के सदस्य ने समर्थन किया किन्तु स्विटज़रलैण्ड और स्वीडन के सदस्यों ने इसका विरोध किया । भारतीय प्रतिनिधि का यह विचार था कि समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिये स्पष्टीकरण की अवधि में वृद्धि करना आवश्यक है इसमें वृद्धि तभी की जा सकती थी जबकि दोनों कमान इस बात को मान लेतीं । कोई नया समझौता न होने से प्रत्यावर्त्तन आयोग को स्पष्टीकरण करने वाले प्रतिनिधियों को २३ दिसम्बर के बाद स्पष्टीकरण करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं था । दूसरी जनवरी, १९५४ को भारतीय प्रतिनिधि ने, जो कि उस आयोग के अध्यक्ष भी थे, दोनों कमानों से पूछा कि क्या वे इस अवधि में वृद्धि करने की बात को मानते हैं । संयुक्त राष्ट्र कमान ने कहा कि वह इस बात पर विचार करने के लिये तय्यार नहीं ।

५. चूंकि अवधि में वृद्धि करने के बारे में कोई समझौता नहीं था और स्पष्टीकरण कार्य जारी नहीं रखा जा सकता था, प्रत्यावर्त्तन आयोग को २२ जनवरी को किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में निश्चय करना था जब इसका संरक्षण सम्बन्धी उत्तरदायित्व समाप्त होना था । इस प्रश्न पर भी प्रत्यावर्त्तन आयोग के सदस्यों में मतभेद था । प्रत्यावर्त्तन आयोग के निर्देश पदों के अनुच्छेद ११ में यह स्पष्ट था कि शेष बन्दियों के मामले राजनीतिक सम्मेलन को भेज दिये जाने चाहियें । स्विटज़रलैण्ड तथा स्वीडन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र कमान के इस निर्वचन को माना कि यह बात अनिवार्य नहीं है । पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के सदस्यों ने उत्तरी कमान के निर्वचन का समर्थन किया जो कि इस बारे में था कि जब तक राजनैतिक सम्मेलन की बैठक न हो तब तक बन्दी संरक्षण में रहें । भारतीय प्रतिनिधि का यह विचार था कि जब तक राजनैतिक सम्मेलन युद्ध बन्दियों के मामले पर विचार न कर ले वे असैनिक स्थिति में नहीं आ सकते; किन्तु दोनों कमानों के बीच एक नया समझौता न होने से २२ जनवरी के बाद संरक्षण कार्य जारी नहीं रखा जा सकता था । ऐसा समझौता न होने की दशा में प्रत्यावर्त्तन आयोग के समक्ष केवल दो ही मार्ग थे, या तो वह २२ जनवरी को बन्दियों को दोनों कमानों के संरक्षण में रखे जाने के लिये वापिस कर देता, या उस तारीख को अपना संरक्षण कार्य समाप्त कर देता ।

६. आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले के बारे में दोनों कमानों को लिखा । उन्होंने कहा कि राजनैतिक सम्मेलन की बैठक

नहीं हुई है और इसकी बैठक होने की भी कोई सम्भावना नहीं है। उन्होंने इन दोनों को इस स्थिति पर विचार करने तथा नये निदेश देने की बात पर विचार करने के लिये कहा। उत्तरी कमान ने उत्तर दिया कि संरक्षण कार्य खत्म नहीं किया जाना चाहिये, जबकि संयुक्त राष्ट्र कमान ने यह स्पष्ट कर दिया कि बन्दियों का संरक्षण किसी भी हालत में २२ जनवरी के बाद जारी न रखा जाय।

७. यह स्पष्ट था कि कोई नया समझौता न होने की दशा में संरक्षणकार्य जारी नहीं रखा जा सकता था। सेना तथा बन्दियों को वहां रखने तथा हटाने के मामले में प्रत्यावर्त्तन आयोग दोनों कमानों पर निर्भर था। राजनीतिक सम्मेलन को बन्दियों के मामले निर्दिष्ट किये बिना यह उन्हें असैनिक स्थिति में नहीं कर सकता था और न यह संरक्षण कार्य जारी रख सकता था। संरक्षण कार्य समाप्त करने से अराजकता तथा अव्यवस्था फैल जाती इसलिये अध्यक्ष ने दोनों कमानों से बन्दियों को २२ जनवरी से अपने संरक्षण में ले लेने के लिये कहा।

८. उत्तरी कमान ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लेने से इंकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान ने विरोध करते हुए बन्दियों को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि २२ जनवरी के बाद से युद्धबन्दी असैनिक समझे जायेंगे। अध्यक्ष ने पुनः यह बताया कि ऐसा करना निर्देश्य पदों को भंग करना होगा और संयुक्त राष्ट्र कमान से राजनीतिक सम्मेलन होने तक बन्दियों को अपने संरक्षण में रखने के लिये कहा। युद्धबन्दी संयुक्त राष्ट्र कमान को २० जनवरी को वापिस कर दिये गये थे और अध्यक्ष के यह कहने पर भी कि उन्हें संरक्षण में रखा जाय, संयुक्त राष्ट्र कमान ने उन्हें २२ जनवरी को छोड़ दिया। अध्यक्ष की इस बात को आयोग के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। उनकी सम्मति में इस किये गये कार्य से निर्देश्य पद भंग हो गये थे।

९. चूंकि उत्तरी कमान ने बन्दियों को लेने से इंकार कर दिया था, प्रत्यावर्त्तन आयोग ने अपना संरक्षण २२ जनवरी को हटा लिया था। लगभग तीन सौ चालीस बन्दी भारतीय संरक्षक कटक के संरक्षण में उत्तरी कैम्प में रहे। कुछ दिन बाद, चीन तथा उत्तर कोरिया की रेड क्रॉस ने इन बन्दियों को अपनी देख रेख में ले लिया और इन बन्दियों ने उत्तरी कैम्प छोड़ दिया। दो बन्दी, जिन्होंने तटस्थ देशों में जाने की इच्छा प्रकट की थी, भारतीय संरक्षक कटक के संरक्षण में रहे।

१०. दक्षिणी कैम्प के बन्दियों को जब संयुक्त राष्ट्र कमान के संरक्षण में दिया जा रहा था तो एक सौ सोलह बन्दियों ने प्रत्यावर्त्तित किये जाने के लिये कहा। उनकी बात को मान लिया गया था और उन्हें उसी दिन अपने देश वापिस भेज दिया गया था।

११. एक सौ एक बन्दी, जो कि पहिले अपने आहातों से भाग आये थे और जिन्होंने तटस्थ देशों में जाने की इच्छा प्रकट की थी, भारतीय संरक्षक कटक के संरक्षण में रहे। इस प्रकार दोनों कैम्पों के कुल एक सौ तीन बन्दी भारतीय संरक्षक कटक के संरक्षण में रहे।

१२. भारतीय संरक्षक कटक की संरक्षता में रहने वाले एक सौ तीन बन्दियों में से बहुत अधिक बन्दियों ने उन देशों में भेजे जाने के लिये कहा जो कि सौलह युद्ध रत देशों में थे। उन बन्दियों को यह बताया गया कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे केवल तटस्थ देश में जाने के लिये ही कह सकते थे। यदि वे अपनी इस इच्छा को नहीं बदलना चाहते थे तो पहिले वे जिस पक्ष के युद्धबन्दी थे उसी के पास उन्हें जाना पड़ेगा। उनमें से अधि-

कांश उस पक्ष के पास जाने के लिये तैयार थे किन्तु इसमें शर्त यह थी कि संयुक्त राष्ट्र कमान उन्हें इस बात का आश्वासन दे कि वे दक्षिण कोरिया या फारमूसा सरकारों को नहीं सौंप दिये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र कमान ये आश्वासन देने के लिये तय्यार नहीं थी और उसने यह निश्चयात्मक रूप से बता दिया था कि जो बन्दी उन्हें सौंपा जायगा उसे दक्षिण कोरिया या फारमूसा सरकार को सौंप दिया जायगा। अन्त में, इन एक सौ तीन बन्दियों में से पन्द्रह बन्दी संयुक्त राष्ट्र कमान के संरक्षण में दे दिये जाने के लिये राजी हो गये। वे संयुक्त राष्ट्र कमान को वापिस दे दिये गये थे और इसने उन्हें एक दम छोड़ दिया था।

१३. शेष अट्ठासी बन्दी भारतीय संरक्षक कटक के संरक्षण में रहे। उनमें से कुछ ने भारत में बस जाने की इच्छा प्रकट की जबकि दूसरे अन्य देशों में जाना चाहते थे। इन अट्ठासी बन्दियों के मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव को निर्दिष्ट कर दिये गये थे और यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि जब तक उनके भविष्य के बारे में अन्तिम रूप से तय न कर दिया जाय, संयुक्त राष्ट्र की ओर से इन्हें हमारे संरक्षण में रखा जायगा।

१४. इन युद्धबन्दियों के अतिरिक्त दक्षिणी कैम्प में हत्या आदि कर देने के अपराधों के लिये सत्रह बन्दियों पर मुकद्दमा चलाया गया। इन सब मामलों में जांच पड़ताल की गई थी और हत्या का एक प्रत्यक्ष मामला पाया गया था। प्रत्यावर्त्तन आयोग इन मुकदमों के सम्बन्ध में कार्यवाहियों को पूरा करना चाहता था और संयुक्त राष्ट्र कमान से अन्य प्रकार से सफाई के गवाह भेज कर सहयोग करने की बार बार प्रार्थना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र कमान ने सफाई के गवाह भेजने में अपनी असमर्थता प्रकट की और प्रत्यावर्त्तन आयोग से इन बन्दियों को सौंप देने के लिये कहा। चूंकि २२ फरवरी को प्रत्यावर्त्तन आयोग खत्म होने वाला था इसलिये इसके पास विरोध पकट करके इन बन्दियों को सौंप देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। ये बन्दी १८ फरवरी को सौंप दिये गये थे और संयुक्त राष्ट्र सरकार से इस बात का ध्यान रखने की प्रार्थना की गई थी कि अपराधी लोगों को उचित दण्ड दिया जाय। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र कमान द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में हमारे पास कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

१५. भारतीय संरक्षक कटक तथा अन्य भारतीय कर्मचारी कोरिया से दलों में वापिस आये। हमारे सैनिक पांच जहाजों में लाये गये थे। पहिला दल वहां से नौ फरवरी को चला और २१ फरवरी को भारत आया। वे अट्ठासी बन्दी भी इस दल में थे। चौथा जहाज १३ मार्च को भारत आया। संरक्षक कटक के कमांडर, मेजर-जनरल थोराट इसी जहाज़ में आये। ऐसी आशा की जाती है कि पांचवां और अन्तिम दल १८ मार्च को भारत आ जायगा। प्रत्यावर्त्तन आयोग के अध्यक्ष लैफ्टिनेंट जनरल थिमैया भारत आ गये हैं।

१६. भारत लाये गये अट्ठासी युद्धबन्दी इस समय दिल्ली छावनी में रह रहे हैं। उनमें चौहत्तर उत्तर कोरिया, दो दक्षिण कोरिया तथा बारह चीन के हैं। उनमें से अधिकांश युवक हैं और उनमें सबसे बड़ा दल विद्यार्थियों का है। उनमें कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायिक कारीगर, टैक्निशियन तथा खेतिहर हैं। उनकी योग्यताओं के बारे में तथा जिन तटस्थ देशों को वे जाना चाहते हैं उनके बारे में भी जांच की जा रही हैं। इस जांच पड़ताल को समाप्त कर लेने के बाद, पूरी सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को भेज दी जायगी।

१७. प्रत्यावर्त्तन आयोग ने दोनों कमानों को अपनी अन्तिम रिपोर्ट २१ फरवरी को दे दी थी। और यह आयोग २२ फरवरी को खत्म हो गया था। प्रत्यावर्त्तन आयोग की दोनों रिपोर्टें इस समय छापी जा रही हैं और शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेंगी। भारत में लाये गये अट्ठासी युद्धबन्दियों को अन्य देशों को भेजने के अतिरिक्त कोरिया में भारत को दिये गये उत्तरदायित्व समाप्त हो गये हैं। युद्धबन्दियों के प्रत्यावर्त्तन के प्रश्न को तय करने में सहायता देने के अभिप्राय से भारत ने दोनों कमानों के कहने पर इन उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया था। इस प्रश्न पर दोनों कमानों के बीच मतभेद होने के कारण युद्ध विराम संधि पर एक वर्ष से अधिक समय तक हस्ताक्षर नहीं किये जा सके। अन्त में एक समझौता हुआ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को महा सभा के सातवें अधिवेशन में भारत द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों पर आधारित था।

१८. कोरिया में भारत के प्रतिनिधियों को जटिल समस्या का सामना करना पड़ा और दोनों कमानों में मतभेद होने के कारण उनकी कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई थीं। इस कठिन तथा नाजुक कार्य को करने में आयोग तथा संरक्षक कटक के भारतीय प्रतिनिधियों ने कर्त्तव्य परायणता प्रदर्शित की। अनक विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने धैर्य, अपनी कार्य कुशलता तथा अपनी दृढ़ता के कारण उन सब का सम्मान प्राप्त हुआ जो उनके सम्पर्क में आये।

कोरिया के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने जो वक्तव्य सदन पटल पर रखा है, वह काफ़ी लम्बा है और मैं इसे सारा पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। यह एक तथ्य सम्बन्धी विवरण है और इस में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, जिसे माननीय सदस्य नहीं जानते था जो समय समय पर प्रेस में प्रकाशित नहीं हो चुकी। वास्तव में इस में यह बतलाया गया है कि गत दिसम्बर के बाद जब कि मैं ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था, कोरिया में हमारे सैनिकों को क्या क्या करना पड़ा है। अब जहां तक तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग का सम्बन्ध है, यह अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है।

एक मामला जो शेष है, यह है कि दिल्ली में हमारे पास ८८ पुराने युद्ध बन्दी हैं, जिन्हें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से--अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ कमान की ओर से नहीं, बल्कि न्यूयार्क संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की ओर से—रखे हुए हैं। हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से पूछा है कि इन के सम्बन्ध में हमें क्या करना है।

ये ८८ व्यक्ति वे हैं, जिन्हों ने प्रत्यावर्तित होने से इन्कार कर दिया था और अपने पुराने निरोधक पक्षों के पास वापस जाने से भी इन्कार कर दिया था। इन ८८ में से २ दक्षिणी कैम्प के हैं और ८६ उत्तरी कैम्प के। इन्हों ने पहले विभिन्न तटस्थ देशों को जाने की इच्छा प्रकट की थी और तटस्थ देशों में भारत का नाम भी था। किन्तु वे तब तक तटस्थ देशों को नहीं भेजे जा सकते थे, जब तक कि वे देश उन्हें लेना स्वीकार न करें और उन्हें भेजने के लिए प्रबन्ध न किये जायें।

उस समय उन में से कुछ बन्दी कहते थे कि वे अमेरिका जाना चाहते हैं, किन्तु अमेरिका तटस्थ देश नहीं है इस लिए उन्हें वहां नहीं भेजा जा सका। इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सका था। हमारे संरक्षक कटक के वापस आने से पहले हम ने यह चीज़ उन्हें बतलाई थी। हम ने फिर कहा कि या तो हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें अपने घरों को वापस भेज सकते हैं या उन्हें संयुक्त राष्ट्र कमान को सौंप सकते हैं। उन में कुछ बन्दियों ने कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र कमान के पास जाने के लिए तैयार हैं, किन्तु इस शर्त पर कि उन्हें पहले यह आश्वासन और गारंटी दी जाये कि उन्हें उत्तरी कोरिया सरकार या फ़ारमोसा की सरकार के हवाले नहीं किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र कमान यह गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था और वास्तव में उस ने उन से यह कहा था : "हमारे पास आते ही, हम आप को रिहा कर देंगे और आप जहां चाहें जा सकते हैं"। परिणाम यह था कि हमारे पास विकल्प यह था कि या तो हम उन्हें कैम्प में छोड़ कर चले आते या उन्हें अपने साथ ले आते। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हम जाने वाले हैं, तो कुछ बन्दियों को बहुत शंका हुई कि वे पीछे रह जायेंगे और कुछ एक ने तो आत्महत्या करने की धमकी भी दी। वे कहने लगे कि "यदि आप चले गये, तो हम यहां सुरक्षित नहीं होंगे, इस लिए हमारे लिए आत्म-हत्या कर लेना ही उचित होगा"। हो सकता है कि यह केवल बेकार की धमकी थी किन्तु हम उन्हें कठिनाई में छोड़ कर नहीं आ सकते थे, इसलिए हम उन्हें अपने साथ यहां ले आये और इस समय वे हमारे पास ही हैं।

हम न्यूयार्क के संयुक्त राष्ट्र प्रधान कार्यालय से पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि इन के सम्बन्ध में क्या किया जाय। इस के साथ, तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्त्तन आयोग और संरक्षक कटक के सम्बन्ध में कोरिया में हमारा जो काम था, वह लगभग समाप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है कि सदन मुझे यह अनुमति देगा कि मैं पहले की तरह उस की ओर से कोरिया में हमारे प्रतिनिधियों के कार्य की सराहना करूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चतुर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। **[[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस– ८०।५४]**

सदन पटल पर रखे गये पत्र

१९५१-५२ के लिये दामोदर घाटी निगम की रिपोर्ट का पहला भाग १९५४-५५ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक प्राक्कलन

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान्, दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत, मैं वर्ष १९५१–५२ के लिए दामोदर घाटी निगम की रिपोर्ट के पहले भाग की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस––७६।५४]**

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत मैं १९५४–५५ के लिए दामोदर घाटी आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति भी पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकाल में रखी गई। देखिये संख्या एस–७७।५४).**

सामान्य आयव्ययक----सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० एम० टामस अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) पहले मैं इस बात की ओर निर्देश कर रहा था कि आवंटित राशि भी पूरी खर्च नहीं की

जाती, क्योंकि हमारी प्रशासनीय मशीनरी शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकती ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं ने यह भी कहा था कि पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं का यह इरादा था कि योजना के लिए दिये गये धन में से कुछ धन को ग्राम पंचायतों द्वारा प्रयोग किया जाये । किन्तु यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया । यदि ऐसा किया जाता तो स्थानीय कार्य आदि के लिए जो धन दिया गया था, वह बच न रहता । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जब अगले वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे तो उस में धन के पूरा, खर्च न किये जाने के कारण उन्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

राजस्व के बारे में, श्री तुलसीदास किलाचन्द ने संतोष प्रकट किया है कि प्रत्यक्ष करों में कोई वृद्धि नहीं की गई । किन्तु मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट के तुरन्त पश्चात् जहां भी संभव हो, केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ा देगी ।

अपने आय-व्ययक भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को हमारा १८ करोड़ रुपया देना है । उन्हों ने यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने अपने आय-व्ययक में ५ करोड़ रुपये की जो कि भारतीय मुद्रा में ७.४ करोड़ रुपये होते हैं, व्यवस्था की है और हम ने अपने आय-व्ययक में ९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । सदन यह जानना चाहेगा कि इस धन का क्या हुआ और केन्द्रीय सरकार अभी तक यह धन वसूल क्यों नहीं कर सकी । आय-व्ययक भाषण में इस पहलू के बारे में कुछ नहीं कहा गया ।

करारोपण प्रस्ताव के बारे में, मैं यह कहूंगा कि सीमेंट, साबुन और जूतों पर जो "साधारण शुल्क" लगाया गया है वह उचित नहीं है । सीमेंट पर शुल्क लगाये जाने के कारण मकान कम बनाये जायेंगे और स्थान की कमी की शिकायत और भी बढ़ जायेगी । जूता उद्योग की स्थिति पिछले वर्ष भी संतोषजनक नहीं थी । वर्तमान कर के कारण जूतों का मूल्य बढ़ जायेगा और इस का प्रभाव विक्रय पर और अन्त में स्वयं उद्योग पर पड़ेगा । जहां तक साबुन उद्योग का सम्बन्ध है, छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत हानि पहुंचेगी । मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस में कुछ ऐसे रूपभेद करने की संभावना पर विचार करें जैसे कि मूल्य के आधार पर करारोपण और उत्पादन के आधार पर छूट की सीमा निश्चित करना जिस से कि उन उद्योगों को होने वाली कठिनाई दूर हो सके । सुपारी पर कर के बारे में कुछ कहना मेरे लिये ठीक न होगा क्योंकि मैं केन्द्रीय ऐरकानट समिति का सदस्य हूं और इस वर्ष के लिये इस का प्रधान हूं । किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस विषय में सरकार की नीति से अन्ततोगत्वा खपत बढ़गी नहीं और इसलिए मांग भी नहीं बढ़ेगी । इस सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्रालय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उपाय करे ।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि देश के जिस भाग से मैं आया हूं वहां से काली मिर्च के निर्यात पर लगे शुल्क के सम्बन्ध में काफ़ी शिकायतें की गई हैं, किन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । उद्योग को आशा थी कि वित्त मंत्री इस महत्वपूर्ण वस्तु पर निर्यात शुल्क घटा देंगे किन्तु ३० प्रतिशत शुल्क अब भी लगाया जा रहा है ।

घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग मत प्रकट किये गये हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने बचत के लिए पर्याप्त आन्दोलन नहीं किया । मैं यह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय एक सरकारी लाटरी आरम्भ करे । मैं यह भी कहूंगा कि

[श्री ए० एम० टामस]

त्रावनकोर-कोचीन में जो योजना लागू करने के लिए दी गई है उस से वहां बेकारी कम नहीं होगी। यह बताया गया था कि इस राज्य के लिए संशोधित योजना में ३·४ करोड़ रुपये अलग रखे गये हैं। मेरे विचार में इस से इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान या इस विस्तृत योजना में इस राज्य के और अधिक औद्योगीकरण का प्रयत्न करना चाहिए। बिजली का सामान और टेलीफोन बनाने वाले उद्योग देश के मेरे भाग में स्थापित होने चाहियें, इस से वहां बेकारी की स्थिति सुधर जायगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह माननीय वित्त मंत्री का चौथा आय-व्ययक है और मुझे यह कहना पड़ता है कि यह संभवतः उन का सब से अधिक खराब आय-व्ययक है। हमें इस से बड़ी निराशा हुई है।

किन्तु वित्त मंत्री की यह राय नहीं है। उन्होंने देश की सम्पन्नता का भ्रांतिजनक चित्र खींचा है। उन्हों ने उस तथाकथित उन्नति का उल्लेख किया है, जो वे समझते हैं कि हो गई है। परन्तु उन के इस कथन के पीछे वह गम्भीर आर्थिक संकट उठ रहा है, जिस के चिह्न उन्हें देखने चाहियें।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारी आर्थिक प्रगति कम से कम समय में होनी चाहिए। उन्होंने समय को विशेष महत्व दिया है।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने इस संकट पर भी ध्यान दिया होगा जो अब स्पष्ट ही हमारे सम्मुख आ गया है। उन्होंने कहा है कि १९५३ में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य देशनांकों में वृद्धि हुई है किन्तु उत्पादन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पटसन, चाय तथा सीमेंट की चादरों आदि के उद्योग की दशा भी चिन्ताजनक ही है। यदि वह मंदी जिसकी आशंका है, उसके आने से पूर्व ही स्थिति ऐसी हो गई है तो उस निश्चिन्तता को कोई भी स्थान नहीं जो वित्त मंत्री ने अपने शेष आयव्ययक में दिखाई है।

ईस्टर्न इकानोमिस्ट पत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी औद्योगिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है और हम वे वस्तुयें तक विदेशों से मंगाते हैं जिनका निर्माण हम स्वयं ही कर सकते हैं। यद्यपि रसायनों में कुछ सुधार हुआ है किन्तु हमारा औद्योगिक उत्पादन सही मार्ग पर नहीं चल रहा है। लोहे तथा इस्पात का उत्पादन भी लगभग गिर रहा है। अतः इस सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

दूसरे बेकारी की समस्या की गम्भीरता एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होने की बात एक साथ ही सुनने में आती है। वित्त मंत्री आर्थिक मामलों में अत्यधिक अनुभव रखने के कारण कुछ भी कारण बता सकते हैं किन्तु एक साधारण व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आ सकती कि ये दोनों चीजें एक साथ किस प्रकार चल सकती हैं।

गरीबों की भांति बेकारी की समस्या भी हमारे साथ लगी हुई है। पूंजी वादियों के कथनानुसार यह समस्या सदैव ही चलती रहेगी। ईस्टर्न इकानोमिस्ट के अनुसार अब से सात वर्ष बाद तक जब कि विनियोग की वर्तमान राशि ६०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष से बढ़ते बढ़ते १३०० करोड़ रुपया हो जायगी तो भी समय समय पर बेकारों की संख्या बढ़ती ही जायगी। हम सारे ही लोगों को काम नहीं दे सकते हैं।

आज लाखों मजदूरों को बेकार करके कहा यह जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि उसी श्रम की शक्ति से की गई होगी जो बेचारे अत्यधिक दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं जबकि जमीदार तथा पूंजीपति लोग लगान और ब्याज आदि के रूप में राष्ट्र की कुल उत्पत्ति का बहुत बड़ा अंश जमा करके रख लेते हैं ।

१९५२ की अपेक्षा १९५३ में निर्यात आय में कमी होने पर भी यह राशि वित्त मंत्री के मतानुसार संतुलन से अधिक थी। आयात में भी कमी हुई थी । इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है । वास्तव में स्थिति यह है कि हमने वस्तुयें उतनी ही मात्रा में भेजी किन्तु अब उन का मूल्य हमें कम ही मिला है। और दूसरी ओर से हमें विदेशों से कम माल मिला है । अतः इनके संतुलन नहीं जाना पड़ता है । जिन वस्तुओं को हमें बेचना चाहिये उनको हम क्रय करते हैं और जिनको हम क्रय करना चाहते हैं वे मिलती ही नहीं हैं। इन चीजों को माननीय वित्त मंत्री साधारण बातें समझते हैं । उन्होंने अपने भाषण में योजना को हमारी आर्थिक बुराइयों को दूर करने का सार्वभौमिक उपचार बताया है । फिर उन्होंने स्वयं ही विकास सम्बन्धी व्यय में कमी की बात कही है ।

पंचवर्षीय योजना की प्रगति को पढ़ कर हमें संतोष नहीं होता । यदि अभी से यह दशा है तो आगे पता नहीं क्या हो ? संकट और भी बढ़ रहा है और सरकार की आय भी कम होती जा रही है । इस वर्ष २६·०६ करोड़ का घाटा हमारे आयव्ययक में दिखाया गया है । इसके साथ ही राज्यों के आयव्ययकों में भी लगभग ७०–७५ करोड़ रुपये का घाटा होगा । दो वर्षों में हमारे पूंजीगत व्यय में ३७८ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । घाटे की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह दूर से भले ही आकर्षक जान पड़े किन्तु मुझे भय है कि वह हमारे देश की सारी सम्पत्ति समाप्त कर देगी और हमारे लिये कुछ भी न रह जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने घाटे की अर्थ व्यवस्था का निरोध किया है । किन्तु भारत जैसे पिछड़े हुये देश के पास इतनी बड़ी योजना को कार्यान्वित करने के लिये कुछ उपाय भी तो नहीं हैं । नियंत्रण से स्थिति सुधर सकती है किन्तु वित्त मंत्री ऐसा करना नहीं चाहते । वे देश के बहुत से साधनों को जिनका उपयोग नहीं किया गया है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं । इसके अतिरिक्त अमीर लोगों को छूट देकर सरकार करों में कमी कर रही है और दूसरी ओर जन-साधारण के लिये आवश्यकता की वस्तुओं पर नये कर लादे जा रहे हैं । वास्तव में बात तो यह है कि सरकार पूंजी-पतियों के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहती यदि वह उन पर कर लगाना चाहती तो लगा सकती थी किन्तु उसमें इतना साहस कहां ।

हाल की घटनाओं को देखते हुये भी वित्त मंत्री विदेश पूंजी और विदेशी सहायता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार रखते हैं । बहुत सी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियां लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा कमाती हैं । डनलप तथा फायरस्टन व अन्य विदेशी कम्पनियां सारा मुनाफा कमा कर अपने देशों को भेज देती हैं । सरकार को कुछ उच्चतम राशि निर्धारित कर देनी चाहिये उससे अधिक होने पर वह कुछ प्रतिशत कर रूप में वसूल कर सकती है ।

पूंजीपतियों का कहना है कि श्रम नियमों को कठोर बनाइये, मजदूरी में कमी कीजिये, जिससे निजी पंजी को प्रोत्साहन मिले ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

इण्डियन फाइनेन्स नामक पत्र ने अनुमान लगाया है कि हमारी योजना को लागू किये जाने से निजी पूंजी के विनियोग में कमी हो गई है । यह राशि मेरे अनुमान से पिछले तीन वर्षों में ६० करोड़ रुपया थी । जब कि योजना में इस राशि का प्रति वर्ष का अनुमान ४०·६६ करोड़ रुपया लगाया गया था । इससे स्पष्ट है कि बड़े बड़े उद्योगपति तब तक पूंजी लगाने को तैयार नहीं जब तक कि उन्हें गरीबों से खूब तगड़ा मुनाफा ऐंठने को न मिले ।

एकाधिकारियों पर नियंत्रण लगाने के लिये मैं बारम्बार जोर दूंगा । इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों की अपार धन राशि का अभी तक पता नहीं चल सका कि इन्होंने कितनी पूंजी संचित कर रखी है ।

अतः देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पूंजीपतियों के मुनाफे का उपयोग देश की सामान्य आर्थिक व्यवस्था के विकास में करने की व्यवस्था की जानी चाहिये और केवल निर्यात व्यापार की चिन्ता ही समुचित नहीं । ऐसे विनियोगों से एकदम बड़ी राशि में लाभ की आशा नहीं करनी चाहिये किन्तु इससे उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों के लाभ में अवश्य कुछ रोक लग जायेगी । इस नियंत्रण का तात्पर्य राष्ट्रीयकरण करना नहीं है । वह हो भी नहीं सकता किन्तु मुनाफों की सीमा निर्धारित की जा सकती है । व्यापारी उद्योग बीमा अथवा अन्य प्रकार के उद्योगों का प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का मुनाफा ब्रिटेन भेजने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है । सभी प्रकार के मुनाफों के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अपनाई जानी चाहिये , जैसा कि सरकार ने निश्चय किया है, जिससे उसका उपयोग उन उद्योगों में किया जा सके जो औद्योगीकरण में सहायता करते हैं और लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमको भय हो सकता है जिसके लिये अपने ही लोगों की सहायता से रक्षात्मक उपायों को निश्चयात्मक एवं दृढ़तापूर्वक अपनाना चाहिये ।

कलकत्ता में क्षय रोग बहुत होता है । यह रोग गरीबी, भोजन में पौष्टिक पदार्थों की कमी तथा मुख्यतः रहन सहन की खराब स्थिति के कारण होता है । मैंने ट्रावनकोर-कोचीन के एक जटा उद्योग के कारखाने में काम करने वाली लड़कियों तथा स्त्रियों की जो दशा देखी उससे मुझे बड़ी निराशा हुई । उनको साढ़े तीन आने के लिये साढ़े चौदह घंटे काम करना पड़ता है । हमारे प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री कहते हैं कि लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिये । हमारे मज़दूर जितना कठिन परिश्रम करते हैं उतना कौन करता है, फिर भी उन्हें पेट भरने को पैसे तक नहीं मिलते । उनको और कुछ करने का अवसर ही कहां मिलता है वह बेचारे तो अपना पेट ही नहीं भर पाते । हमारे देश के लोगों को यदि इसका भान हो जाय कि उनके बच्चों आदि को जो कुछ हम प्राप्त करेंगे उसमें भाग मिलेगा तो वह बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं । किन्तु हम ऐसा करते कहां हैं । "हम प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिये और अधिक अवसर चाहते हैं ।" इस उद्देश्य के लिये तो एक ऐसा समाज होना चाहिये जिसमें लाभ की भावना न हो किन्तु हमारी आज की सरकार में तो लोग इसी को चाहते हैं । इसीलिये मैं कहता हूं कि हम लोग जिस नये विश्व की स्थापना करना चाहते हैं उसकी पूर्ति यह आयव्ययक नहीं करता है ।

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़) : कम्यूनिस्ट दल के उप-नेता कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने सम्पन्नता का विकृत स्वरूप उपस्थित किया है । उन्होंने ईस्टर्न इकोनामिस्ट से कुछ उद्धरण दिये हैं, जो पूंजीपतियों का पत्र है ।

वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति का एक काल्पनिक रूप न दे कर उसका वास्तविक एवं स्थिर स्वरूप प्रस्तुत किया है ।

हमें पंचवर्षीय योजना को पूर्ण करना है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व हमारी ओर उत्सुकता की दृष्टि से इस समय देख रहा है । यह योजना जनतन्त्रवाद पर आधारित है, एकतन्त्रवाद पर नहीं । अतः यह स्वाभाविक ही है कि हमारा आयव्ययक उसी से सम्बद्ध है ।

घाटे की अर्थव्यवस्था से मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं । मैं इसे दो कारणों से आवश्यक समझता हूं । एक तो इस लिये कि देश में कुछ मुद्रासंकुचन की विचार धारायें चल रही हैं । उनको सही करना होगा । मेरे मित्र श्री किलाचन्द ने कल कहा था कि धनोपार्जन में कमी हो गई है । इससे भी पता लगता है कि देश में मुद्रासंकुचन विचार धारा चल रही है । और यदि देश में मुद्रा प्रसार का रुख है भी तो विदेशों से विनिगम की दृष्टि से हमारी स्थिति अच्छी कही जा सकती है और आयात को बढ़ाकर मुद्रा प्रसार सम्बन्धी विचार धाराओं को रोका जा सकता है ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आर्थिक स्थिति का सिंहावलोकन करते हुये हमें बताया कि किस प्रकार कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता रहा है । उन्होंने आंकड़ों द्वारा हमें यह दर्शाया है कि हड़तालों के होते हुये और कोयला, लोहा, चीनी तथा इस्पात के उत्पादन में कमी हो जाने पर भी औद्योगिक उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सार्वजनिक क्षेत्र में भी उत्पादन काफी बढ़ा है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न का अभाव नहीं रहा है और हम इस विषय में शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की आशा करते हैं ।

हमारी रक्षा सेवाओं और तत्सम्बन्धी प्राक्कलनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के प्राक्कलनों में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये । मैं आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध कर सकता हूं कि १९५१-५२ से हमारा नौसेना सम्बन्धी व्यय उतने का उतना ही रहा है । उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है । एक टैंकर अवश्य खरीदा गया है । माननीय रक्षा संगठन मंत्री को हमारे लम्बे समुद्र तट को ध्यान में रखते हुये सोचना चाहिये कि क्या इस प्रकार हम कभी इस तट की प्रभावशाली रूप से रक्षा करने के योग्य हो सकेंगे । गत चार वर्षों में हम केवल एक क्रूज़र खरीद सके हैं । मैं समझता हूं कि न केवल बंगाल की खाड़ी की रक्षा का ही दायित्व हम पर आता है अपितु दक्षिण सागर तथा अरब सागर की रक्षा का भार भी हमीं पर है और इस के लिये हमें अधिक क्रूजरों की और विध्वंसक पोतादि की आवश्यकता है ।

१९५२-५३ में नौसेना के लिये अनुमानित पूंजी व्यय लगभग ३·७९ करोड़ रुपये था किन्तु वास्तविक व्यय केवल १·७७ करोड़ रुपये ही रहा है । दो करोड़ रुपया अनुपयुक्त ही पड़ा रहा । वर्ष १९५३-५४ के लिये मूल प्राक्कलन ३·९१ करोड़ रुपया था किन्तु संशोधित प्राक्कलन लगभग

[श्री कासलीवाल]

२·५२ करोड़ रुपया ही है । आगामी वर्ष के लिये प्राक्कलित राशि ७·४४ करोड़ रुपया है किन्तु हम रक्षा मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि यह सब धन आगामी वर्ष में खर्च कर लिया जायेगा ।

एक और विषय की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कई बार ऐसा हुआ है कि जब कभी हमने रक्षा प्राक्कलनों में वृद्धि किये जाने का प्रश्न उठाया है तो हमें यह बताया गया है कि हमें सहायक तथा प्रादेशिक सेनाओं की व्यवस्था भी तो करनी है । किन्तु इस विषय में भी हमारी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सीधे विषय पर आना चाहिये । वे मेरी प्रशंसा में समय का व्यर्थ नाश न करें ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : आय व्ययक को इस विचार से उत्साहजनक समझा जा सकता है कि इसमें खादी तथा ग्राम उद्योगों को चला कर ग्रामों में बेकारी को दूर करने की कुछ व्यवस्था की गई है । आय-कर में किसी परिवर्तन के न करने से निजी क्षेत्र को नगरों में बेकारी दूर करने में प्रोत्साहन मिलेगा । इसमें त्रुटियां ये हैं कि हमारे करारोपण का ढांचा बहुत भारी भरकम सा है तथा यही हाल श्रम विधियों का है । इससे व्यापार तथा उद्योग के विकास में रुकावट पड़ती है ।

मुझे यह देख कर खेद होता है कि जहां पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये नोट छाप कर धन की व्यवस्था का समर्थन किया गया है, वहां साबुन तथा जूतों पर कर लगाया गया है । ये वस्तुयें गरीब तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के आये दिन के प्रयोग की हैं ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश को विदेशी सहायता तथा पौण्ड-पावना पर निर्भर न करके अपने साधनों पर रहना होगा । इस के लिये हमें अपने समस्त साधनों का संग्रह करना चाहिये । इस के लिये देश की फ़ालतू मानव शक्ति को प्रयोग में लाया जाना चाहिये । चीन की तरह हमें ऐच्छिक श्रम से लाभ उठाना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री बहुत लोक प्रिय हैं तथा देश में संत तुकड़ो जी जैसे पुरुषार्थी व्यक्तियों के होने से कठिनाई नहीं होनी चाहिये । यदि ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में सहायता देने के लिये कहा जाय तो वे निश्चय ही अपना सहयोग देंगे ।

मेरा राज्य एक बहुत कम विकसित राज्य है । ऐसे राज्यों को तो सर्व प्रथम सहायता दी जानी चाहिये, परन्तु खेद है कि मेरे राज्य को काफी सहायता नहीं दी गई है ।

मैं आशा करती हूं कि माननीय उत्पादन मंत्री दूसरे इस्पात-संयन्त्र के मध्य प्रदेश में लगाये जाने के सम्बन्ध में अपने वचन को पूरा करेंगे तथा किसी मिथ्या तथा प्राविधिक आधार पर इसे टाल नहीं देंगे । बाद की घटनाओं से मालूम होता है कि वहां पर इस्पात संयन्त्र नहीं लगेगा । मैं आशा करती हूं कि यह आशंका निराधार सिद्ध होगी ।

डा० भटनागर ने कहा था कि यदि पानी की खोज की जाय तो मध्य प्रदेश म कई उद्योग चल सकते हैं । परन्तु खेद है कि वेनगंगा, महानदी, पूर्णा, ताप्ती, नर्मदा आदि कई नदियों के होते हुये भी वहां कोई नदी घाटी योजना नहीं चलाई गई है । राज्य सरकार ने वेनगंगा के सर्वेक्षण पर कुछ लाख रुपये व्यय किये भी थे, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल तक नहीं किया है । मेरा राज्य संकटके समय में

दूसरे राज्यों को चावल तथा ज्वार भेज कर केन्द्र की सहायता करता रहा है। यदि केवल बेनगंगा योजना को ही ले लिया जाता तो और अधिक अनाज उपलब्ध हो सकता था। यदि पूर्णा नदी के जल को काम में लाया जाता तो बरार की उपजाऊ भूमि से दो फसलें मिल सकती थीं। इसके अतिरिक्त कागज़ बनाने, सीमेंट बनाने तथा लकड़ी का गूदा आदि तैयार करने के उद्योग चल सकते थे जिनसे मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े हुये राज्य का जीवन-स्तर ऊंचा हो सकता था।

मध्य प्रदेश में कोसा रेशम का उत्पादन भी होता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को साड़ियों तथा दूसरे वस्त्रों में इस रेशम के प्रयोग करने तथा इसकी किस्म में सुधार करने आदि के अभिप्राय से गवेषणा करनी चाहिये। इसी प्रकार हमारे यहां अलसी के बीजों का उत्पादन होता है जिसके रेशे से बनावटी रेशम तैयार हो सकता है। वहां पर मेंगनीज़ की एक बड़ी मात्रा भी पाई जाती है जिसका कच्चे माल के रूप में निर्यात होता है। इसे कैरो-मैंगानीज़ में परिवर्तित करके हम अधिक डालर कमा सकते हैं। साथ ही भाड़ा कम हो जायगा और कुछ सीमा तक बेकारी दूर हो सकेगी।

नागपुर में टेलीफोनों की बड़ी मांग है। जहां कलकत्ता में १४ करोड़ रुपये, दिल्ली में १·४५ करोड़ रुपये तथा बम्बई में ३ करोड़ रुपये का व्यय हो रहा है, वहां मेरे राज्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम केवल १००० नये कनेक्शन चाहते हैं। मैं आशा करती हूं कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी।

आयव्ययक मे दिल्ली में चार करोड़ रुपये की लागत से एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह एक बड़ी उपयोगी योजना है, परन्तु इसकी स्थापना दिल्ली में नहीं होनी चाहिये। कारण यह कि दिल्ली आक्रमण की मार में आ सकता है तथा संसार की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। मेरा सुझाव है कि यह संस्था नागपुर में स्थापित की जानी चाहिये।

आयव्ययक में कुष्ट रोग सम्बन्धी गवेषणा कार्य के लिये पांच लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यद्यपि यह रोग हमारे राज्य में काफी पाया जाता है तो भी वहां इसके लिये कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। अमरावती की संस्था को सहायता की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूं कि सरकार पांच लाख रुपये में से कुछ रुपया इस संस्था को भी अवश्य देगी।

सरकार ने इस वर्ष परिवार आयोजन के लिये ३० लाख रुपये रखे हैं। इस से मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रश्न के महत्व को समझ लिया है। हाल में डा० गिल्डर ने सुझाव दिया था कि जनन-सामर्थ्य को कम करने के लिये भोजन में 'सोयाबीन' के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जायं। मदन तरंग प्रणाली इतनी प्रभावकारी नहीं है।

अन्त में मैं इस तथ्य पर फिर जोर देना चाहती हूं कि मेरे राज्य के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ है। वहां के लिये किसी नदी घाटी योजना, किसी विद्युतकरण की योजना, इस्पात संयन्त्र आदि की योजना के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे यहां इन योजनाओं के लिये काफी साधन हैं जिनके समुचित विकास से हमारा राज्य सब राज्यों से अधिक समृद्ध राज्य हो सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जन साधारण के दृष्टिकोण से यह आयव्ययक निराशा-जनक है। इसका आधार यथार्थ बाद पर नहीं है। इसमें वर्तमान परिस्थिति तथा भावी खतरों को सामने नहीं रखा गया है। नोट छाप कर २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा उससे जन साधारण की सोचनीय दशा और भी बिगड़ेगी। देश आयात के अतिरेक को बढ़ा नहीं रहा है। इससे मध्यम श्रेणी के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आयव्ययक में ग़रीब तथा बेकार व्यक्तियों की सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है।

साबुन तथा जूतों पर अधिक शुल्क के लगाये जाने से साधारण लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा तथा वे इसे पसन्द नहीं करेंगे। पंच वर्षीय योजना की सफलता जनता के सभी वर्गों के ऐच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि उक्त योजना की पूर्ति में सरकार तथा जनता में सहयोग दिखाई नहीं देता है।

एक बड़े विख्यात अर्थ-शास्त्री ने सत्ता-रूढ़ व्यक्तियों द्वारा आलोचना को घृणा की दृष्टि से देखे जाने तथा क्रुद्ध होने की मनोवृत्ति पर खेद प्रगट किया है। हाल के अमेरिकन-पाकिस्तान सैनिक समझौते की प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो, मैं आशा करता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में भारत को ऐसी सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। हमें किसी ऐसी नीति को नहीं अपनाना चाहिये जिससे हम आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ जायें। 'न्यूयार्क टाइम्स' की सूचना के अनुसार भारत ने अमेरिका से तीस शर्मन टैंक और कुछ हैलीकौप्टर खरीदे हैं साथ ही अमेरिका ने भारत को सैनिक सामान सम्बन्धी कुछ विशेष तरीकों को प्राप्त करने के लिये लाइसेंस दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि इन वस्तुओं की खरीद में भारत ने अपने सम्मान को बनाये रखा होगा तथा इनमें कोई शर्तें भी लागू नहीं की गई होंगी। इस पत्र के अनुसार यह सहायता पारस्परिक रक्षा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई है। मैं आशा करता हूं कि भारत को ऐसी सहायता भविष्य में भी मिलती रहेगी।

ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार दो रुखी बातें करती है। उस दिन श्री देश-मुख ने आयव्ययक को प्रस्तुत करते समय कहा था कि छः करोड़ रुपये की राशि सामान्य विकास की व्यवस्था करने के लिये है। परन्तु कुछ ही दिन बाद प्रधान मंत्री ने बड़ा ज़ोरदार भाषण दिया जिससे जनता को खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिये चेतावनी दी गई। निस्सन्देह स्थिति बहुत खतरनाक है तथा इससे अधिकतम राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। कुछ सीमा तक विचारों का मतभेद हो सकता है। ठीक है कि अमेरिका तथा पाकिस्तान का सैनिक गठजोड़ एक ग़लत बात है, परन्तु यह हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री जी की भी महान पराजय है। उनकी नीति विफल सिद्ध हुई है। इतने पर भी हम भारत की तथा-कथित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ता हुआ समझते हैं। इससे प्रधान मंत्री एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्म-संतुष्टि का शिकार हो रहे हैं। मेरी भावना है कि हमारे दूतावासों ने ३६ करोड़ व्यक्तियों के भारत जैसे महान देश की भावनाओं तथा अभिलाषाओं को पश्चिमी प्रजातंत्री देशों तक पहुंचाने में कमी की है। हमारे प्रचार की व्यवस्था भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। पंडित नेहरू ने अमेरिका को दोष दिया है कि उसने छः वर्ष के बाद भी पाकिस्तान को आक्रांता देश घोषित नहीं किया है। परन्तु दूसरे गुट के नेता ने भी तो ऐसा नहीं किया है। अतएव उन मामलों के सम्बन्ध में जिनसे भारत

का गहरा सम्बन्ध है, दोनों गुट एक से ही हैं ।

मेरी ऐसी भावना है कि हमारी नैतिक प्रतिष्ठा के होते हुये भी काश्मीर तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति को गलत समझा गया है । हमारी विदेश नीति से इतना प्रभाव भी नहीं पड़ा है कि भारत से विदेशी बस्तियां समाप्त हो जायें । मुझे आश्चर्य है कि क्या वित्त मंत्री पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के ही सदस्य हैं । यदि ऐसा है तो उनके आयव्ययक में इस गम्भीर स्थिति के लिये क्या व्यवस्था है ? ऐसा करने से क्या लाभ है कि आयव्ययक में रक्षा व्यय को पूर्ववत ही रखा जायगा । आयव्ययक तैयार करने वालों ने भावी खतरों को सामने नहीं रखा है । वित्त मंत्री की भारत पर आक्रमण किये जाने की सम्भावना का सामना करने के लिये क्या योजना है ? जनता को केवल प्रदर्शन तथा सभायें करने के लिये ही नहीं बल्कि युवकों तथा राष्ट्र के सैन्यकरण के लिये आहवान किया जाना चाहिये था । आज भारत का प्रत्येक सच्चा सपूत ठीक हो इतना चिन्तित है । स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये निरन्तर देख रेख करनी पड़ती है । इसके लिये मेरा पहला सुझाव यह है कि एक नागरिक बल की तत्काल स्थापना की जाये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रादेशिक सेना का विस्तार किया जाय । मंत्रालय की कार्यवाहियों सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण में बताया गया है कि सरकार ने एक केन्द्रीय रक्षा समिति बनाई है जिसमें संसद् सदस्य, विख्यात सामाजिक व्यक्ति तथा नियोजकों और मज़दूरों सभी के प्रतिनिधि शामिल हैं । इस समिति की तब से दो बैठकें हो चुकी हैं । डा० मुकर्जी की मृत्यु के बाद मुझे इस समिति का सदस्य बनने के लिये कहा गया था तथा जब से मैं इसका सदस्य बना हूं, इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है । वास्तव में यह समस्या से खिलवाड़ करने से कुछ अधिक नहीं है । इससे जनता को धोखा हो सकता है कि आप कुछ न कुछ कर रहे हैं ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि एक सहायक प्रादेशिक बल की स्थापना की जाय तथा एक उचित दस्ते को प्रशिक्षित किया जाय ।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि देश को शस्त्रों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनाने के लिये एक शस्त्र-निर्माण फैक्टरी की स्थापना की जाय ।

मेरा पांचवा सुझाव यह है कि प्रशासन के ढांचे में भी परिवर्तन किया जाय ।

शिक्षा मंत्रालय ने देश के युवकों में उत्साह भरने के लिये क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं किया है । युवक और युवतियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के स्थान पर हम नाट्य तथा साहित्य अकादमियां चला रहे हैं । साहित्य या नाटक अकादमी से यह गम्भीर समस्या हल नहीं होगी ।

गृहमंत्री अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं करते हैं । वह केवल प्रेस अधिनियम और निवारक निरोध अधिनियम से ही संतुष्ट हैं । देश में गुप्त शत्रु द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने अलीगढ़ में सम्मेलन भी किया था जिसमें भाग लेने के लिये पाकिस्तान से भी लोग पार पत्र या दृष्टांक लेकर आये थे । इसकी रोक थाम के लिये केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग को बढ़ाया जाना चाहिये ।

नेहरू-अली समझौता का वर्णन करके देश के हितों का उपहास नहीं करना चाहिये । पूर्वी पाकिस्तान से लाखों व्यक्ति केवल

[श्री एन० सी० चटर्जी]

और मुसलमान होने के नाते निकाले जाकर बेघर और भिखारी बना दिये गये हैं, जब कि हम पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहां बसाने पर तुले हुये हैं। वह समझौता नष्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश इन लोगों को उत्साहित कर रहा है। उसने कट्टर साम्प्रदायिक लोगों को प्रश्रय दिया है और पालन पोषण किया है। सरकार को यह नीति छोड़कर यथार्थता को अपनाना चाहिये।

हमें बजट इस प्रकार बनाना चाहिये कि हमारी सीमायें सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जा सके। पूर्वी पाकिस्तान के साथ वाले महत्वपूर्ण स्थानों से हिन्दू निकाल दिये गये हैं और पश्चिम बंगाल से अब भी लोग चुपचाप आते जा रहे हैं। हम ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को आश्वासन दिया है इस लिये हमें उनकी रक्षा के निमित्त सीमा सेना स्थापित करनी चाहिये। उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। राजनैतिक विभेदों के होते हुये भी हम आकस्मिकता के समय राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण साथ देंगे।

आइज़न हावर, डलैस अथवा उनका कोई भी सलाहकार यह नहीं समझ सका कि भारतीय जनता दासता अथवा एकाधिकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

हम राजदूतावासों पर इतना अधिक रुपया खर्च करते हैं किन्तु वे इतने अकुशल हैं कि हमारे विचार तक भी ठीक ढंग से व्यक्त नहीं करते हैं। प्रचार तथा सम्पर्क व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेगा। हमने सदा ही सांस्कृतिक तथा आत्मिक आक्रमण का डट कर मुकाबला किया है और धन ऐश्वर्य कभी भी हमें पथ भृष्ट नहीं कर सकता है। हमारे लिये काश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस ले लेना ही अच्छा है। काश्मीर में जनमत संग्रह का नाम लेकर हमें अपने हाथों को कमजोर नहीं बनाना चाहिये। श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने स्पष्ट कहा था कि काश्मीर का भारत में विलय अन्तिम और निश्चित है। अब हमें अपनी स्थिति को अस्थायी अथवा संदेहात्मक नहीं बनाना चाहिये। यदि वित्त मंत्री वास्तव में ही राष्ट्रीय सरकार के मंत्री हैं तो उन्हें बजट इस ढंग से तैयार करना चाहिये था कि काश्मीर का एक तिहाई भाग जो अवैधरूप में पाकिस्तानी सेनाओं के पास है, उसे हम अपने अधिकार में ले आयें। हमें काश्मीर का मामला राष्ट्र संघ से वापस ले लेना चाहिये और अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपनी सीमाओं की रक्षा के निमित्त वहां पर्याप्त सेनायें रखनी चाहियें।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : पिछले बजट में मैं पानों को आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित करना चाहता था, किन्तु वित्त मंत्री ने सुपारी पर कर लगा कर निर्धन जनता को कठिनाई पहुंचाई है। यदि मंत्री महोदय को कलकत्ता व्यापारी संघ का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो मैं आशा रखता हूं कि वह उस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

साबुन पर कर लगाना भी कठिनाई उत्पन्न करना है, क्योंकि अभी भी इस उद्योग को बहुत सी वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इतनी अधिक मात्रा में यहां नहीं बनाई जाती हैं। हमें बजट को धन के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु मनुष्य समाज के दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि हमने देश की मानव शक्ति का कहां तक उपयोग किया है। निस्सन्देह

सामुदायिक तथा अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, किन्तु मैं चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि हम प्रजातंत्र को कहां तक फैला सकने में सफल हुए हैं। हमारा प्रशासन बहुत महंगा है। जब हम ग्राम पंचायतें स्थापित करके उन्हें उत्तरदायित्व सौंप देंगे, तभी वास्तव में देश में प्रजातन्त्र फैल सकता है।

पिछले वर्ष भी मैंने यह बात रखी थी कि डाक वित्त सामान्य राजस्व से पृथक् होना चाहिये, जैसे कि रेलवे वित्त पृथक् है। दोनों वाणिज्यिक तथा लोकोपयोगी विभाग हैं। जब तक डाक विभाग का वित्त पृथक् नहीं होता, तब तक वह अपने कर्मचारियों को सुविधायें नहीं दे सकता है। इस मामले पर माननीय मंत्री तथा मंत्रिमण्डल ध्यानपूर्वक विचार करने की कृपा करें। पुस्तकों पर डाक की दरों के बढ़ जाने से साहित्यिक जगत को बहुत कठिनाई उपन्न हो गई है। मैं आशा करता हूं कि इस पर भी पुनर्विचार किया जायेगा।

होमयोपैथी चिकित्सा पद्धति के विषय में प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि यह वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है, तो इसे अपनाया जाना चाहिये। मेरा यह मत है कि सरकार इसके लिये एक गवेषणा संस्था खोल कर यह पता करे कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं और यदि इसका वैज्ञानिक आधार है, तो इसे करोड़ों भारतीयों की सहायता के निमित्त अपनाया जाना चाहिये।

विश्व स्वास्थ्य संघ ने हैजे के विषय में पता लगाया है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव गंगा के मुहाने वाले क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल सरकार इसे रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही है, किन्तु उसके संसाधन सीमित हैं, इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि कम से कम प्रत्येक गांवों में एक नलकूप लगा कर यह देखे कि क्या इससे महामारी रुकती है या नहीं। सरकार एक एक थाने को लेकर इस योजना का प्रयोग कर सकती है।

पश्चिम बंगाल में गंगा बांध तथा दुर्गपुर योजनायें ऐसी योजनायें हैं जिनकी कार्यान्विति केन्द्र द्वारा ही सम्भव है।

गंगा बांध की उपयोगिता के विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्र के कई मंत्री भी इससे सम्बन्ध रखते हैं और पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक मत से संकल्प पास कर दिया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाये, क्योंकि कलकत्ता एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी पत्तन है।

अन्त में मैं बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के विषय में कुछ शब्द कहूंगा। कहा जाता है कि वे ३१ लाख हैं। किन्तु पूर्वी बंगाल की कुल हिन्दू जनसंख्या में से जो वहां अभी हैं, उनको निकाल कर शेष संख्या का पता करना चाहिये।

श्रीमति सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): इस वर्ष के बजट ने देश में कोई जोश पैदा नहीं किया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट का उद्देश्य योजना की कार्यान्विति है। हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या सरकार के प्रयत्न सफल रहे हैं अथवा नहीं। इसके लिये मैं पहले वर्तमान आर्थिक स्थिति को जांचने का प्रयत्न करूंगी। उहोंने कहा है कि खाद्य उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है और मुद्रास्फीत का नियंत्रण किया गया है। अनाज अवश्य बढ़ गया है किन्तु लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो गई है। लोग पहले की तरह भूखों मर रहे हैं। वह कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन १२८.७ के स्थान पर १३३ हो गया है और

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उद्योग प्रगति कर रहे हैं । किन्तु बेकारी बढ़ रही है । इसलिये आत्म-संतोष के लिये कोई विशेष कारण नहीं है ।

योजना की प्रगति का विचार करते हुए हम देखते हैं कि इस का माप खर्च किये गये धन के द्वारा किया जाता है, वास्तविक रूप से किये गये काम के द्वारा नहीं । इसलिये यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना धन व्यर्थ नष्ट हुआ है ।

सन् १९५१–५२ में योजना का खर्च २६२ करोड़ और १९५२–५३ में ३२२ करोड़ था जबकि वास्तव में २८५ करोड़ ही खर्च हुए थे । १९५३-५४ में बजट ४१३ करोड़ का किन्तु ४०० करोड़ खर्च किये गये थे । इसलिये माननीय वित्त मंत्री की १००० करोड़ की आशा पूर्ण नहीं होगी, हम मुश्किल से ९५० करोड़ खर्च करेंगे । योजना में कुल २२५० करोड़ का बजट किया गया है, और यदि हम तीन वर्षों में १००० करोड़ नहीं खर्च कर सकते, तो हमें प्रतिवर्ष ६५० करोड़ के हिसाब से दो वर्षों में १३०० करोड़ खर्च करने पड़ेंगे । मैं समझती हूं कि सरकार के लिये सफल रूप में इतना धन खर्च करना असम्भव है और पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा ।

अब हम योजना के संसाधनों का विचार करेंगे । २२५० करोड़ रुपये में १२५८ करोड़ मुख्यतया राज्यों के अंशदानों का अनुमान लगाया गया था, किन्तु वह मिल नहीं रहा है । इसी प्रकार रेलवे का अंशदान भी ६० करोड़ कम पड़ गया है । कुल मिला कर एक शीर्ष के अधीन दो तीन करोड़ रुपये की कमी है ।

हम विदेशों से अधिक उधार भी नहीं ले सकते तथा छोटी बचत योजना में भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है । ३६० करोड़ रुपयों की कमी थी, जिसे घाटे के बजट द्वारा पूरा किया जा सकता था । हमारी वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे पौण्ड पावना में से २९० करोड़ रुपये योजना में मिलाये गये थे । मूल योजना में ३६५ करोड़ की कमी थी और योजना विस्तार के लिये १७५ करोड़ मिलाये गये हैं । इस प्रकार बजट किये गये संसाधनों में दो तीन सौ करोड़ रुपयों की कमी है । योजना की संसाधन और खर्च की स्थिति संतोषपूर्ण नहीं है ।

इतनी बड़ी कमी कैसे पूरी की जायेगी । माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था के द्वारा यह किया जायेगा और इससे मुद्रास्फीत नहीं होगा, बल्कि मुद्रा-प्रसार घटेगा । हम इस बात से सहमत नहीं हैं । वस्तुओं के भाव पहले ही बढ़ रहे हैं । २५० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीत होना अनिवार्य प्रतीत होता है । देश के आयात में भी वृद्धि नहीं हो रही है । संभवतः वित्त मंत्री सोचते हैं कि विकास योजनाओं पर बजट की गई रक़म से कम खर्च होगा । यह आश्चर्य की बात है कि विकास योजनाओं के लिये दी गई पूरी राशि खर्च नहीं की गई है । प्रारम्भिक तथा सामाजिक शिक्षा और विकास योजनाओं तथा अन्य कई कार्यों के लिये बजट की गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और वह बच गई है । यह बात माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कही है ।

हम यह जानना चाहते हैं कि आयव्ययक में जिस धन की व्यवस्था की गई है वह व्यय क्यों नहीं किया जा रहा है ? कहां तक सरकार इसके लिए उत्तरदायी है ? मुझे ज्ञात हुआ है कि एक परियोजना विशेष की जांच करने में काफी समय लगा और उसे धन इतनी

देर से दिया गया कि ३१ मार्च तक उस धन को व्यय करना सम्भव नहीं था।

माननीय वित्त मंत्री ने जिन वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही अनुचित है क्योंकि इसका प्रभाव निर्धन तथा मध्यवर्ग की जनता पर पड़ेगा।

कहा जाता है माननीय वित्त मंत्री पूंजी जोड़ने के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों का शोषण कर रहे हैं। कह नहीं सकते कि उनकी यह आशा पूरी होगी अथवा नहीं, किन्तु इतना अवश्य है कि यह नया बोझा जो निर्धनों के कंधों पर रखा जाने वाला है उन्हें दिवालिया कर देगा। प्रत्यक्ष कर न लगाने के बारे में यह कहा जाता है कि वह करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि अप्रत्यक्ष करों के बारे में यह तर्क क्यों लागू नहीं होता है। निर्धन व्यक्तियों पर उनकी क्षमता से अधिक कर लगा दिया गया है और फिर भी उन पर और कर लगाने में वह संकोच नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी आय वालों पर वह इसलिये कर नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। इन करों से निर्धनों को ही क्षति नहीं पहुंचेगी अपितु कुछ उद्योगों को भी क्षति पहुंचेगी। उदाहरण के लिए साबुन उद्योग को ही लीजिये। इस उद्योग में उत्पादन अधिक हो रहा है किन्तु क्रय शक्ति न होने के कारण आज इस उद्योग में संकट आ गया है, फिर इसके ऊपर कर लगने वाला है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि कुछ उद्योग ठप्प हो जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि यह कर हटा दिया जाना चाहिये। यदि सरकार कर लगाना ही चाहती है तो २५० टन से कम उत्पादन करने वाले उद्योगों को इससे मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

यही बात जूता उद्योग की है। बहुत से व्यक्ति नंगे पांव रहते हैं क्योंकि वे जूता नहीं खरीद सकते हैं, फिर इस पर यह कर लगेगा तो क्या दशा होगी। या तो यह कर उपभोक्ता पर पड़ेगा अथवा उद्योग स्वयं इसे देंगे। उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है। रबर का मूल्य ९० रुपये से बढ़ कर १३८ रुपया हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में जूता उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं रही है। सन् १९५० में कुछ कारखाने इसलिये बन्द हो गये क्योंकि उनके पास बहुत सा स्टॉक इकट्ठा हो गया था। कर लगने से तो स्थिति और भी बिगड़ जायगी। यदि यह कर उद्योग वाले उपभोक्ता से लेने लगें तो बिक्री ३० प्रतिशत कम हो जायगी। इन परिस्थितियों में इस कर से उद्योग को काफ़ी आघात पहुंचेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें कठिन परिश्रम करना है, और जब राष्ट्र विकासोन्मुख है तो हमें त्याग भी करना है। हम कठोर परिश्रम और त्याग करने के लिए तैयार हैं। किन्तु जब देश में व्यक्तियों की आय में काफ़ी अन्तर है, जहां के अधिकांश व्यक्ति भुखमरी के शिकार हैं, जहां हम अप्रत्यक्ष कर बराबर लगा रहे हों जिनका प्रभाव निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता हो तो उस स्थिति में समान वितरण की बात कहना तो कोरी विड़म्बनामात्र है। यह आयव्ययक निर्धनों के लिए नहीं अपितु धनी व्यक्तियों की सहायता करता है। अच्छा होता यदि माननीय वित्त मंत्री यह कहते कि "हम उन धनी व्यक्तियों की सहायता करना चाहते हैं, जिनका समर्थन हमें प्राप्त करना है"। तब फिर यह कहने का बहाना नहीं रहता कि यह आयव्ययक साधारण व्यक्तियों की सहायता करता है।

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त ज़िले—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां): सुपारी पर

[श्रीमती खोंगमेन]

आयात शुल्क में वृद्धि करने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करती हूं क्योंकि यह वृद्धि उत्पादकों को प्रोत्साहन देगी और इससे सुपारी उत्पादक भूमि पर निर्भर रहने वाले परिवारों को सहायता मिलेगी। किन्तु सुपारी के परिवहन—और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में—के प्रश्न को प्राथमिक महत्व देना होगा अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। नक़ली रेशम पर निर्यात शुल्क लगाये जाने तथा आयव्ययक में जिन अन्य वस्तुओं का उल्लेख है उन पर कर लगाने का मैं कोई विरोध नहीं करती हूं। यदि जूता उद्योग के कुछ विशिष्ट प्रकार के जूतों पर ही उन्होंने कर लगाया होता तो मुझे कोई झगड़ा नहीं करना था। जूता आवश्यक वस्तु है; उस पर कर लगाने से निधन तथा मध्यवर्गीय व्यक्तियों को काफ़ी क्षति होगी; वैसे तो क्रय शक्ति में कमी हो जाने से ही काफ़ी क्षति हो चुकी है।

साबुन एक आवश्यकता है, इस पर कर नहीं लगाना चाहिये, आय के रूप में करारोपण की प्रतिशतता धनियों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ेगी।

मैं आसाम राज्य के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आसाम भारतवर्ष के सुदुरपूर्व में स्थित है, और इसकी सीमा का ४०० मील से अधिक भाग सामरिक महत्व का है। आये दिन वहां होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी सदन को अच्छी तरह ज्ञान है। अतः सुरक्षा प्रयोजनार्थ व्यय के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता है। आसाम बहुत ही अविकसित राज्य है, और मुझे यह आशा थी कि विकास योजनाओं में इसे प्राथमिकता मिलेगी, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वहां कुछ नहीं हुआ है। हालांकि राज्य कोष को हम दो करोड़ रुपया दे रहे हैं किन्तु मुझे दुख है कि केन्द्र ने नाम के लिए भी हमारे यहां कोई विकास योजना जैसी कि देश के अन्य भागों में की गई है चालू नहीं की गई है। संचार तथा परिवहन की भी अनेकों कठिनाइयों का सामना हम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के नाना प्रकार के आश्वासनों के बावजूद भी संचार तथा परिवहन के साधनों के अभाव के कारण वहां के निवासियों की बाज़ार में बिकने योग्य वस्तुएं वहीं पड़ी रहीं। इन वस्तुओं के परिवहन के लिए नियमित तथा अधिक कार्य वाली योजनायें चालू करके यहां की जनता को उचित एवं वांछित सुविधा दी जानी चाहिये। अन्यथा ये व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं।

संविधान के अधीन भारतवर्ष के २५० लाख आदिम जातीय व्यक्तियों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और अन्य आर्थिक सहायताओं के अतिरिक्त आदिम जातियों के कल्याण के लिए काफ़ी धन अलग रखा गया है। इसका उद्देश्य हमारी जनता के अधिक विकसित एवं सुविधा प्राप्त वर्ग के स्तर तक पिछड़ी आदिम जातियों को उठाना है, और उनको भारतवर्ष के राष्ट्रीय जीवन का एक अंग बनाना है। उपयुक्त व्यक्तियों का चयन आवश्यक है। यही नहीं कि वे व्यवहार कुशल हैं। अपितु जिस क्षेत्र में उनकी नियुक्ति होनी है उस क्षेत्र की भाषा एवं उस क्षेत्र के मानसिक विकास का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिये। किन्तु आजकल तो आदिम जातियों की भाषाओं, रीति रिवाजों, नियमों आदि से अनभिज्ञ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

हमें बताया गया है कि अभी हाल में कुछ प्राधिकारियों का चयन किया गया है जो उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरणों में कार्य करेंगे। इसमें दो दोष हैं। एक तो भर्ती बोर्ड ने यह

समझा था कि सभी आदिम जातियों की भाषा, उनके रीति रिवाज रहन सहन, एक से हैं अतः एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, जिस क्षेत्र में उसकी नियुक्ति हो रही है वहां की भाषा, रीति रिवाज आदि को जाने बिना भी वहां काम चलाने के लिए उपयुक्त है। दूसरे आदिम जाति क्षेत्र के लिए जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है उनमें से कुछ प्राधिकारियों को प्रथक्करण की नीति में विश्वास करने वाला बताया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले चतुर प्राधिकारियों को अथवा निकटवर्ती मैदानों के चतुर प्राधिकारियों को यह कह कर छोड़ दिया गया कि उनकी नियुक्ति करना प्रथक्करण की नीति को पुनर्जीवित करना है। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं कुछ भूल हो गई है। अतः मैं आशा करती हूं कि प्रथक्करण की नीति को जो पुरानी तथा राष्ट्र हित की विरोधी है फिर से नहीं लाया जायगा। अनुसूचित आदिम जातियों का विशेष विभाग दुर्भाग्यवश अनुसूचित जातियों के विभाग से मिल गया है, जबकि दोनों की समस्यायें एक दूसरे से पूर्णतः विभिन्न हैं। संसद् अथवा राज्य विधान मंडलों में जो आदिम जातियों के प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग का न तो कभी स्वागत किया गया है और न कभी सहयोग मांगा ही गया है। आदिम जाति के शिक्षित वर्ग को भारतवर्ष के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जा सकता था।

आदिम जातीय क्षेत्रों के मामलों में, अच्छा होता यदि सरकार विदेशी मानव शास्त्रियों से परामर्श लेने की अपेक्षा संसद् तथा राज्यीय विधान मंडलों में आदिम जाति के प्रतिनिधियों से परामर्श लेती।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदिम जाति वाले क्षेत्रों में असंतोष एवं मुसीबतें बढ़ रही हैं। अवहेलना प्राप्त इन आदिम जाति के व्यक्तियों की जो सामाजिक कार्यकर्त्ता सहायता कर रहे हैं उनके प्रति ग़ैरदायित्वपूर्ण वक्तव्य वहां के प्रशासन करने वालों ने दिये हैं। इन सच्चे तथा सीधे सादे व्यक्तियों का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा उन्हें विरोधी बनाया जा रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्र में एकता तथा पूर्णता लाने के लिए यह आवश्यक है कि इन व्यक्तियों की सहानुभूति एवं विश्वास पाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी भी ऐसे होने चाहियें कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता दें।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व): पिछले छः वर्षों के, १९४८ से १९५३ के, आय व्ययकों को देखने से प्रकट होता है कि हमारे सभी आय व्ययक शुरू में घाटे के दिखाये गये हैं किन्तु बाद में वे अधिक बचत वाले सिद्ध हुए हैं। उसी प्रकार का हमारा यह आय व्ययक भी है। अतः विरोधी पक्ष के सदस्यों को मैं यह आश्वासन देता हूं कि वे इससे निराश न हों।

यह आय व्ययक एक साधारण आय व्ययक नहीं है जिसमें आय तथा व्यय का ठीक ठीक हिसाब रखा गया हो, अपितु आय व्ययक का संतुलन करने का एक प्रयत्न किया गया है। वास्तव में यह एक असाधारण आय व्ययक है और देश की बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को आर्थिक सहायता देने का हमें उपबन्ध करना है। आय-व्ययक के लिए राज्यों की सामान्य आय कभी भी काफ़ी नहीं हो सकती है। या तो भारी मात्रा में करारोपण करना चाहिये अथवा वे घाटे का आय व्ययक बनायें अथवा वे ऋण लें। चूंकि करारोपण जांच समिति अपना कार्य अभी कर रही है अतः करारोपण का कोई क्षेत्र नहीं था अतः उन्होंने घाटे का आय व्ययक बनाया है। अतः वर्ष के अन्त में सम्भवतः हम देखेंगे कि

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

घाटे की यह अर्थ व्यवस्था समाप्त हो जायगी ।

वित्त मंत्री को ४७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी थी, जिसमें से ४८ करोड़ रुपया विदेशी सहायता से मिलने की उन्हें आशा है । इस विदेशी सहायता के मिलने के बारे में कुछ सदस्यों ने सन्देह प्रकट किया है । मान लीजिये कि यह सहायता नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे ? उस स्थिति में हमें अतिरिक्त उपबन्ध करने होंगे, हो सकता है कि असाधारण उपबन्ध भी करने पड़ें । अब हमें अन्य मदों को भी देखना है । छोटी बचत से होने वाली ४५ करोड़ रुपये की आय भी एक मद है । प्रयत्न ऐसे किये जा रहे हैं और सम्भावना है कि हमें ४५ करोड़ रुपये से अधिक मिल सके । आशा है कि विविध विषयों के अन्तर्गत हमें ५६ करोड़ रुपये की आय होगी । इस प्रकार योग १४९ करोड रुपये हो जाता है । इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण से ७५ करोड़ तथा ट्रेजरी बिलों के जारी करने से २५० करोड़ रुपये मिलने की आशा है । जिसमें १४० करोड़ तो पौंड पावने के मिलगे तथा ५३ करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में मिलेंगे; अब कुल १३२ करोड़ शेष रह जाते हैं । बारह करोड़ रुपये की आय जो प्रस्तावित करों से होगी उसको निकाल कर १२० करोड़ रह जाते हैं । राज्य परिषद् में उस दिन वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया था उससे यह प्रकट होता है कि उनके विचार में कुछ मदें और भी ऐसी हैं जिनके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं आने पायेगी ।

ब्रह्मा के साथ हुई चावल वार्ता को माननीय मंत्री जी भूल गये, इससे भी सम्भवतः १८ करोड़ रुपये की आय हो सकती है । कुछ अन्य मदें भी हो सकती हैं । अतः मुद्रास्फीति का जो डर आज दिखाई पड़ता है, हो सकता है कि वह डर वर्ष के समाप्त होते होते निकल जाय ।

कहा जाता है कि भविष्य में ५०० या ६०० करोड़ रुपया ऋण लेना पड़े । जब देश की बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को आर्थिक सहायता देनी है तो यह ऋण अवश्य ही लेना होगा ।

आयात की जाने वाली सुपारी की मात्रा के मूल्य पर आयात शुल्क लगाया गया है जबकि यहां उत्पन्न होने वाली सुपारी पर कोई शुल्क नहीं है । हमारे देश में ३३ लाख मन सुपारी का खर्च है और २२ लाख मन सुपारी यहां उत्पन्न होती है । अतः इस प्रकार केवल ९ लाख मन से कुछ अधिक सुपारी का आयात होता है । अतः २२ लाख मन सुपारी पर सरकार को कुछ नहीं मिलता है । किन्तु उपभोग में आने वाली सभी सुपारी के दाम बढ़ गये हैं । जबकि उपभोक्ता को लगभग २६ करोड़ रुपया देना पड़ता है तो सरकार को केवल ८ करोड़ रुपया मिलता है और वह भी तब जबकि प्रस्तावित कर पूरा पूरा लिया जाता हो । अतः मेरा निवेदन है कि स्थानीय उपज पर भी कर लगाया जाना चाहिये । चूंकि उत्पादन मूल्य अनुपात के अनुसार कम है अतः यहां होने वाले उत्पादन पर भी कर लगना चाहिये । यदि यह कर लगा दिया गया तो जूता तथा अन्य मदों पर कर लगाने के लिए फिर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है ।

साबुन पर लगाया गया कर भी देश के लिये हितकर नहीं है क्योंकि मूल्य अधिक होने के कारण साबुन की मांग यों ही कम हो रही है । यदि मूल्य और अधिक हो जायेंगे तो साबुन की मांग ही नहीं रहेगी । साबुन उद्योग की समस्या तो इस उद्योग के विस्तर किये जाने की है । यदि यह

कर लगा दिया गया तो यह कार्य बिलकुल असंभव हो जायेगा ।

इसी प्रकार जूते के भी दाम बढ़ने से मांग के कम हो जाने की आशंका है । जूतों पर जो कर लगाया जा रहा है उस का भुगतान तो वास्तव में बिचारे उपभोक्ताओं को ही करना पड़ेगा ।

अधिकांश विकास योजनायें राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्यों ने यह काम ज़िलों को सौंप दिया है । आयोजन का कार्य तो वास्तव में ज़िलों में किया जा रहा है तथा जिन लोगों को यह काम सुपुर्द किया गया है उन में इस काम के करने की योग्यता नहीं है । इन योजनाओं को ज़िला अधिकारी अथवा विकास अधिकारी तय्यार करते हैं । उस के बाद वे सरकार के सामने रखी जाती हैं । लोग उनकी अच्छी तरह जांच नहीं कर पाते हैं । इस लिये हमारी योजनायें बहुत दोषपूर्ण हैं ।

राज्यों के पास धन का बहुत अभाव है । मैं उत्तर प्रदेश के सम्बंध में जानता हूं । उत्तर प्रदेश ने केवल ११५ करोड़ रुपये की योजना बनाई है परन्तु उस के पास पैसा नहीं है । उस का ऋण ६१ करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग २०० करोड़ रुपये हो गया है । बेकारी दूर करने के लिये उस ने केन्द्रीय सरकार के पास एक योजना भेजी है जिसके लिये लगभग ४८ करोड़ रुपये की आवश्यकता है । आय व्ययक में अनुदानों के अन्तर्गत ८१६६ लाख रुपये का उपबंध किया गया है । उस में से उन को केवल आठ प्रतिशत अर्थात् ७१ लाख रुपया दिये जाने का निर्णय किया गया है ।

ज़िलों में किये जाने वाले आयोजन की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये । छोटे छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास आरंभ किया जाना चाहिये तथा इस के लिये धन का प्रबंध करना चाहिये । उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करनी चाहिये, उस को विकास योजनाओं के लिये रुपये की आवश्यकता है । रक्षा सम्बंधी उद्योगों को तुरन्त आरंभ कर देना चाहिये । वित्त मंत्री को आय व्ययक में और ठीक आंकड़े देने चाहियें थे । यद्यपि अन्त संतोषजनक होता है फिर भी आरंभ में लोगों को निराश नहीं करना चाहिये । सुपारी के स्थानीय उत्पादन पर उत्पादन-कर आरोपित करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि जैसा माननीय मंत्री ने विश्वास दिलाया है, घाटे की वित्त व्यवस्था का बहुत अधिक सहारा नहीं लेना पड़ेगा । हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के उपाय किये जायें ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, इस वर्ष हमारे वित्त मन्त्री ने जो बजट इस संसद् के सामने पेश किया है, बमुक़ाबले पिछले चार साल के बजट के, इस में प्रगतिशील कह सकता हूं । इस में कोई शक नहीं कि यह बजट विकास का बजट है । इस में भी कोई शक नहीं कि इस बार हमारे वित्त मन्त्री ने अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्त्तन किया है । सभी जानते हैं कि इस सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में मिक्स्ड इकानामी को मंजूर किया है । लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी बावजूद इस बात के कि हमारे देश के बहुत से अर्थ शास्त्री गांधियन इकानामी की ओर आने लगे हैं, फिर भी हमारी सरकार के सामने जो एक कुहासा है वह हटता नहीं मालूम होता है । यह बात सही है कि पिछले वर्ष हम ने कुछ ऐसे क़ानून बनाये हैं कि जिन से मालूम होता है कि हम ने हिन्दुस्तान की दशा को देखते हुए और खास कर बेकारी के सवाल को देखते हुए छोटे छोटे उद्योगों और गृह उद्योगों की तरफ़ ध्यान

[श्री एस० एन० दास]

दिया है । लेकिन फिर भी इस बजट को देखने और वित्त मन्त्री के भाषण को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि अभी भी उन का दिमाग़ अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है ।

मैं इस बजट का पूरे तौर से विरोध नहीं करता हूं । इस में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन से मुझे आशा की झलक दिखाई देती है, और यद्यपि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं । सन् १९५० ई० से इस सभा में बैठते हुए मैं देखता आया हूं कि समय पर हमारी सरकार निर्णय नहीं करती है । मुझे याद है कि पिछले तीन वर्ष में वित्त मन्त्री ने इस ख्याल से धनी और सम्पन्न लोगों पर टैक्स में रिआयत की कि यहां के धनी लोग कैपिटल फार्मेशन में भाग लेंगे । लेकिन पिछले तीन साल की बजट स्पीचें पढ़ने के बाद और इस साल बजट को देखने के बाद मालूम होता है कि अब हमारे वित्त मन्त्री निराश हो गये हैं । फिर भी अभी उन लोगों की तरफ़ उन का ध्यान नहीं गया है ।

मैं अपने वित्त मन्त्री को आज बधाई देता, लेकिन वित्त मन्त्री के भाषण में एक बात पढ़ कर जो मुझे चोट लगी है उस को मैं इस सभा के सामने रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान का चेहरा, बदल रहा है तथा उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है। मुझे मालूम नहीं होता है कि किस इंडिया के उन्होंने दर्शन किये हैं । क्या दिल्ली का चेहरा बदल रहा है ? दिल्ली दिनों दिन चमकती जा रही है । डैवलैप्मेंट स्कीम्स को देखिये तो दिल्ली में डैवलैप्मेंट के लिये बहुत रुपया रखा गया है । लेकिन हिन्दुस्तान, गांव में बसने वाला हिन्दुस्तान, ग़रीबों का हिन्दुस्तान, किसानों का हिन्दुस्तान, उन की झोंपड़ी में जाइये, उन के खाने को देखिये, उन के पहनने को देखिये, उन की दवा दारू का इन्तज़ाम देखिये, उन की शिक्षा का इन्तज़ाम देखिये, तो वहां उनके चेहरे में ज़रा भी खून नहीं मालूम होता । न मालूम हमारे वित्त मंत्री को कैसे मालूम हो गया कि हिन्दुस्तान का चेहरा बदल रहा है । मुझे याद है, मैं ने कहीं सुना, कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि हिन्दुस्तान के योजना कमीशन के मैम्बरों को हमारे साथ कुछ दिनों देहातों में घूमना चाहिये, तब हिन्दुस्तान का सच्चा दर्शन उन को होगा । मालूम नहीं विनोबाजी के उस विचार का उन पर क्या असर पड़ा । मुझे इस बात के कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारे देश के बहुत से अर्थशास्त्री ऐसे हैं कि जिन को हिन्दुस्तान का ज्ञान नहीं है । इसलिये वे जब बजट बनाते हैं तो वे ऐसी विचार धारा में पड़ जाते हैं, ऐसे किताबी ज्ञान में पड़ जाते हैं, कि वे हिन्दुस्तान की वास्तविकता से दूर हो जाते हैं । नतीजा यह होता है कि हिन्दुस्तान में राजनीतिक तौर पर देखें तो हम हज़ार काम करते हैं फिर भी जनता हम से सन्तुष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जहां हम को कोई काम दो वर्ष पहले करना चाहिये था वह अब बाद में करते हैं । नतीजा यह होता है कि :

"का वरषा जब कृषी सुखाने,
समय चूकि पुनि का पछिताने" ।

सभापति जी, समय कम है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को, ख़ास कर के हिन्दुस्तान के वित्त मन्त्री को, जिन के हाथ में थैली है, हिन्दुस्तान के सैंकड़े में ९० गांव में रहने वालों की तरफ़ ध्यान रख कर बजट का निर्माण करना चाहिये । एक बात मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान के नक़शे में सैंकड़े में ९० जहां रहते हैं, वहां दो वर्ष से रिज़र्व बैंक आफ़

इंडिया इस बात की इनक्वायरी कर रहा है कि हिन्दुस्तान में खेती के लिये क्या क्रैडिट हो, किस क़दर हिन्दुस्तान में खेती के लिये क्रैडिट की ज़रूरत है। अभी तक इनक्वायरी हो रही है। एक वर्ष या डेढ़ वर्ष पहले मैं ने प्रश्न किया था कि रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की इनक्वायरी जो हो रही है उस की क्या रिपोर्ट है तो मन्त्री महोदय ने कहा कि रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी, इस के बाद डेढ़ वर्ष बाद मैं ने सवाल किया तो हमारे माननीय उपमंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, "कि रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली है" इस से इस बात का अन्दाज़ा लग जाता है कि हिन्दुस्तान में हम किसानों की तरफ़, ग़रीबों की तरफ़, मज़दूरों की तरफ़ ध्यान कम रखते हैं। दिल्ली जैसे शहरों को सजाने में और उस का चेहरा बनाने में हम ज्यादा ध्यान देते हैं।

सभापति जी, मैं ने अभी ज़िक्र किया कि तीन वर्ष से हमारे वित्त मंत्री कहते आ रहे थे कि हम टैक्स में इसलिये रिआयत करते हैं, बड़े बड़े धनियों के ऊपर, कि वह हिन्दुस्तान में ज्यादा उद्योग चलाने के लिये जो पूंजी की ज़रूरत है, वह सेविंग कर के उस में लगा देंगे। लेकिन अभी तक उन की आंखें नहीं खुली हैं। तीन साल के आंकड़े आप देखिये। हमारे पास इस समय वह आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस में सरकार को बार बार निराशा का ही सामना करना पड़ा है। और फिर आज भी जब सरकार का ध्यान टैक्स लगाने की तरफ़ जाता है तो बड़े बड़े धनी सम्पन्न लोग जिन के पास ज्यादा धन है, उन से लेने की बजाय यह सुपारी पर, कपड़े पर, उस में भी मोटे कपड़े पर और जूतों पर, जिस से मध्यम और नीचे की श्रेणी के लोगों को ही ज्यादा धक्का लगेगा, उन की तरफ़ ही उस का ध्यान जाता है। हिन्दुस्तान के शरीर में खून है, ऐसा नहीं कह सकते कि खून बिलकुल नहीं है। लेकिन एक अंग बड़ा मोटा है, दूसरा अंग पतला है। एक अंग में खून की बहुतायत है, दूसरे अंग में खून की कमी है, इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को सब से पहले जब टैक्स लगाने का वक्त आये तो धनी लोगों के ऊपर, जिन के पास आवश्यकता से अधिक है, उन के ऊपर वह अधिक से अधिक टैक्स लगाये और उन से काम न चले तब जनता की ओर देखें।

सभापतिजी, मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दुस्तानियों को योजना को पूरा करने के लिये यातना भोगनी पड़ेगी। प्लान के साथ पेन (तकलीफ़) होती ही है और टैक्स लगाया जाता है तो आंख से आंसू गिरते ही हैं, चाहे वह धनी हो या ग़रीब। हिन्दुस्तान की जनता को इस पंच वर्षीय योजना को सफलीभूत करने के लिये जहां तक हो सके कठिनाई का मुक़ाबला करना पड़ेगा। इस बात को सभी जानते हैं कि वह कठिनाई का मुक़ाबला तो सकड़ों वर्षों से करता आया है। आज भी योजना को पूरी करना है तो वे जानते हैं कि योजना बिना यातना के नहीं हो सकती। लेकिन हमारी सरकार का क्या कर्त्तव्य है? हमारी सरकार का कर्त्तव्य यह है कि वह देख ले कि हिन्दुस्तान में किस वर्ग के हाथ में, कितने लोगों के हाथ में, आवश्यकता से अधिक है, जिस को ले कर हिन्दुस्तान का विकास किया जा सकता है। इसलिये जब हम लोग दो तीन साल पहले बोलते थे कि हिन्दुस्तान की जो टैक्सेशन पालिसी है उस की जांच करो तब कमीशन अब बिठाया गया है। और, जैसा हमारे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने कहा, इस कमीशन की क्या रिपोर्ट आने वाली है, इस का आभास हम लोगों को कुछ कुछ मिल गया है। आजकल

[श्री एस० एन० दास]

हमारे पास, और मैं समझता हूं कि हमारे और भाइयों के पास भी, कुछ ऐसा साहित्य आता होगा । जो हमारे बड़े बड़े सम्पन्न लोग हैं, जिनके पास संघ है और बहुत पैसा है, वह तरह तरह से विभिन्न दृष्टि से काग़ज़ और साहित्य हमारे पास छाप कर भेजते हैं । उन का आशय है कि धनी वर्ग के हाथ में सम्पत्ति नहीं है, टैक्स के लगाने लायक़ धन नहीं है, उन्हें व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो रहा है इसलिये टैक्स दूसरे तरीक़े से होना चाहिये । लेकिन हिन्दुस्तान के जो ग़रीब हैं, उनकी तरफ़ से बोलने वाले दुर्भाग्य से समझिये अथवा सौभाग्य से हम लोग हैं, अब हम लोग जो बात कहते हैं, उसका असर कहां तक होता है यह तो भगवान जाने, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अर्थ नीति हिन्दुस्तान में जब पंचवर्षीय योजना बनी तो ज़रूरत इस बात की थी कि पहले हिन्दुस्तान की टैक्सेशन पॉलिसी की जांच तुरन्त करनी चाहिये थी । हिन्दुस्तान में टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी का चार वर्ष के बाद बैठना बताता है कि हमें प्लान करने के लिये जितनी तैयारी करनी चाहिये थी हम ने नहीं की । इतनी देर के बाद तो यह टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन बैठा, और उस पर तुर्रा यह कि अभी तक उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है जिससे हम यह ठीक ठीक जान सकें कि हमारे देश में, केन्द्र में, प्रदेशों में या स्थानीय जितने कर लगाये जाते हैं उनका असर देश के किस अंग पर ग़रीब पर, मज़दूर पर, किसानों पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर और बड़े लोगों पर कितना पड़ता है, इसलिये कोई भी नई नीति निर्धारण करने के लिये हमारे पास अब सब आवश्यक आंकड़े उपलब्ध होने चाहियें । जब तक हमारे पास उसके सभी आंकड़े न हों, तब तक हम नई नीति निर्धारण नहीं कर सकते हैं । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह अवश्य कह दिया है कि यह बात नहीं है कि हम और कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इनक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है, इसलिये फ़िलहाल हम कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद लगायेंगे ।

सभापति महोदय, हमारे लिये बजट के जांच करने की कसौटी सबसे पहले यह है कि विधान में हमने अपने लिये जो एक सामाजिक और आर्थिक आदर्श रखा है उस पर हम उस बजट को जो हमारे सामने आये उसे कस कर देखें कि आया वह ठीक उतरता है कि नहीं और हम देखें कि यह बजट हमें विधान में जो हमने अपने डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ़ स्टेट पालिसी में आर्थिक आदर्श दिये हैं उस तरफ़ हमें ले जा रहा है या नहीं । देश में जो आज विषमता पाई जाती है और जिस विषमता को देख कर आचार्य विनोबा भावे गांव गांव घूम कर लोगों के हृदयों में परिवर्तन लाना चाहते हैं और जिस विषमता के बारे में स्वयं गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली के महल और गांव के झोंपड़े में जो विषमता है, जब तक हम उसे दूर नहीं करेंगे तब तक हम संविधान में दिये हुए सामाजिक और आर्थिक आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक यह विषमता दूर नहीं हो पायी है । यह ठीक है कि हमारे और हमारी सरकार के सामने अनेक कठिनाइयां थीं । देश का विभाजन हुआ और लड़ाई से उत्पन्न परिस्थिति का सामना सरकार को करना पड़ रहा था, उस समय कठिनाइयां ज़रूर थीं, लेकिन आज तो वह कठिनाई नहीं है, और अब

हमें आशा करनी चाहिये कि इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार सक्रिय क़दम उठायेगी । मैं तो देहात का रहने वाला हूं और जानता हूं कि खेत जब चौरस होता है समतल होता है तब उसमें उत्पादन बढ़ता है । हम और हमारी सरकार चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़े, लेकिन जब तक खेत समतल न बनाया जाय, उसमें जुताई नहीं हो सकती है और उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह से समाज में जब तक यह आर्थिक विषमता है, एक तरफ़ तो बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं और दूसरी तरफ़ दीन, हीन और ग़रीब लोग हैं जिनके पास न तो खाने को है और न तन ढांकने को कपड़ा है, इस विषमता के क़ायम रखते हुए आप चाहें कि देश में उत्पादन बढ़ जाय, यह नामुमकिन बात है । थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ गया है लेकिन वह देश की समृद्धि का परिचायक नहीं है । देश में उत्पादन बढ़ने से ही समृद्धि होती है यह बात नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि उत्पादन के साथ साथ उसकी खपत किस तरीक़े से होती है । यह ठीक है कि हम अन्न उपजाते हैं, लेकिन देखना यह होता है कि उस अन्न का कितना अंश देश के ग़रीब और भूखे आदमियों को मिल पाता है । हमारी समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पिछले चार पांच वर्ष में हमारा कंज़म्पशन पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) बढ़ा या नहीं और बढ़ा तो कितना बढ़ा । कपड़े का उत्पादन हम करते हैं लेकिन देखना यह है कि हम देश में फ़ी आदमी को कितने गज़ कपड़ा दे सकते हैं ? मेरा ख्याल है कि हमारा जो कपड़े का पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) कंजम्पशन है वह घटा है, तो यह चिन्ह देश के समृद्धिशाली होने का नहीं है । हमारे वित्त मंत्री ने जो यह कहा है कि देश का चेहरा बदल रहा है, मैं समझता हूं कि देश का कोई अंग बदल रहा है, सुन्दर हो रहा है, लेकिन अधिकांश अंग जो देश के अन्दर रहने वाला है, उसके चेहरे में किसी तरह का परिवर्त्तन नहीं आया है । ज़रूरत इस बात की है कि उसके चेहरे पर ध्यान रख कर अपनी योजना बनावें, तभी हम लोगों को संतोष हो सकता है ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (डिन्डीगल): ग्रामीण उद्योगों की सहायता करने के लिये आयव्ययक में किये गये धन के नियतन के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं क्योंकि यह देश ग्रामों का ही देश है । परन्तु करारोपण प्रस्तावों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है । विशेषकर 'साबुन' तथा 'अन्य प्रकार के कपड़ों' पर करारोपण बहुत ही हानिकारक है ।

आज मध्यम वर्ग के लोगों की दशा सब से अधिक शोचनीय है । साबुन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है । पहले यही काम जड़ी बूटियों से लिया जाता था । परन्तु आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जड़ी बूटियों से ऐसे प्रसाधन तय्यार कर सकें । साबुन के कर से न केवल उन लोगों को हानि होगी जो साबुन का प्रयोग करते हैं वरन् कितने ही छोटे छोटे उद्योगों को भी इस के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । बहुत से साबुन के ऐसे छोटे कारख़ाने हैं जिन में कितने ही गांवों के रहने वाले काम करते हैं । मुझे बताया गया है कि इस कर के परिणामस्वरूप ऐसे कारख़ाने ठप्प हो जायेंगे । ऐसा होने पर यह सारे आदमी बेकार हो जायेंगे । इन करों का भार सामान्यतः साबुन बनाने वालों पर नहीं वरन् साबुन का प्रयोग करने वालों पर पड़ेगा । आज मध्यम वर्ग की दशा ऐसी है कि वह साबुन तथा कपड़े पर और अधिक पैसे खर्च करने की सामर्थ्य नहीं रखता है । खाद्यान्नों के दाम ही इतने बढ़ गये हैं कि उस को अपने घर वालों का पेट भरना कठिन हो गया ।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

आज हमारे देश में बेकारी की समस्या भी बहुत गम्भीर है विशेष कर पढ़े लिखे लोगों की बेकारी । हमारे देश को इंजिनियरों की इतनी अधिक आवश्यकता है । पांच छै वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद, हमारे देश के नवयुवक, बड़ी आशा तथा उत्साह के साथ, देश की सेवा करने का अरमान लेकर, इंजीनियरिंग कालिजों से निकलते हैं । वे जानते हैं देश को आज इंजीनियरों की बहुत आवश्यकता है । फिर भी आज कितने ही इंजीनियर नौकरी के लिये सारे देश में दर दर भटक रहे हैं यहां तक कि वे ५० रुपये की दफ़्तर की बाबूगीरी करने के लिये तैयार हो जाते हैं । देश में आये दिन नई नई टेकनिकल संस्थायें खुला करती हैं तथा कितने ही विद्यार्थी उन में शिक्षा प्राप्त करते हैं । यदि सरकार उन लोगों को किसी उपयुक्त कार्य में नहीं लगा सकती है तो सरकार इन कालिजों तथा संस्थाओं को बंद क्यों नहीं कर देती है और ऐसे किसी अन्य प्रकार के शिक्षा केन्द्र क्यों नहीं खोलती है जहां इन को किसी ऐसे कार्य की शिक्षा दी जाये जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध हो । मैं आशा करती हूं कि सरकार १९५४-५५ में इस बेकारी को दूर करने के विशेष प्रयत्न करेगी ।

दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे देश के सामने है वह अत्यधिक जन संख्या की है । मैं जानती हूं कि भारत सरकार ने परिवार आयोजन योजना के लिये ३० लाख रुपये का नियतन किया है । परन्तु प्रश्न तो यह है कि यह रुपया खर्च कैसे किया जायेगा । पहला काम तो यह करना चाहिये कि देश के सभी अस्पतालों में क्लिनिक खोले जायें जहां उन लोगों को परामर्श दिया जाये जो दो तीन बच्चों से अधिक उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं । इस संबंध में उन लोगों को शिक्षा देने के लिये, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सम्बंधी परामर्श देने वाले भेजे जायें ।

हमारे देश में कितने ही ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको इधर उधर फेंक दिया जाता है । इनकी संख्या इतनी अधिक है कि यदि आप ऐसे बच्चों का एक केन्द्र, आज एक बच्चे से आरम्भ करें तो, एक ही सप्ताह में आपका केन्द्र ऐसे बच्चों से भर जायेगा । इस लिये परिवार आयोजन योजना पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

सामाजिक कल्याण बोर्ड हमारे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक योजना बनानी चाहिये कि हम किस प्रकार की संस्थाओं को सहायता देंगे तथा ऐसी संस्थाओं को सहायता पहुंचाने की एजेंसियां कौन कौन सी होंगी । यदि आप शिशु कल्याण को सहायता देना चाहते हैं तो आपके पास उस के लिये एक योजना होनी चाहिये । कुछ ऐसी संस्थायें हैं जहां महिलाओं की सहायता की जाती हैं । इन सब के लिये एक योजना होनी चाहिये । रुपये बांटने के लिये आप कौन सी एजेंसी से काम लेंगे यह भी आप को तै करना चाहिये ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): इस अवसर के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज मैं अपने इस लौकिक जीवन का ७३वां वर्ष आरंभ कर रहा हूं आय-व्ययक सत्र मुझे बड़े दिन की याद दिलाता है जब अतिथेय अपने मित्रों को भोजन कराता है । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सरकारी बेंचों पर तो अतिथेय हैं तथा इस ओर बैठने वाले हम लोग मेज़ को सुशोभित करने वाले मुर्ग के समान हैं ।

वित्त मंत्री ने जब पहले भाषण दिये थे तो वे घाटे की वित्त व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि अब उनका विचार बदल गया है क्योंकि उन्होंने २५० करोड़ की राज हुण्डियां बेचने की व्यवस्था की है । इस का कारण, उनके अनुसार, यह है कि देश की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है । क्या इसका अर्थ यह है कि चूंकि घाटा गत वर्ष की अपेक्षा दुगना हुआ है इस लिये हमारी आर्थिक दशा में दुगना सुधार हुआ है । इस में कोई संदेह नहीं कि देश में उत्पादन अधिक हुआ है, इस के लिये आवश्यक है कि लोगों के हाथ में अधिक पैसा होना चाहिये । परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आर्थिक मौसम भी, ऋतु विज्ञान वेत्ता के मौसम के अनुमान के समान, अनिश्चित हो सकता है । यह सर्व विदित है कि पिछले कई वर्षों से मूल्य देशनांक ऊपर चढ़ रहा है । बेकारी बढ़ गई है, निर्यात गिर गया है तथा हमारे कच्चे माल की मांग गिर रही है । अस्तु मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे घाटे की वित्त व्यवस्था के सम्बंध में बड़ी सावधानी से कार्य करें।

श्रीमान्, मुझे ऐसे विकास कार्यक्रम पसन्द नहीं हैं जिन के लिये हमें नार्वे, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आश्रित रहना पड़े । हमारे प्रधान मंत्री जी के अनुसार, मेरा भी यही विचार है कि हमें इन विषयों में आत्मनिर्भर होना चाहिये ।

श्रीमान्, सरकार बहुत अपव्ययी है । वित्त मंत्री के पास प्रशासन व्यय में कमी करने के लिये कोई शक्ति नहीं है । वह बड़ी चतुराई से धन इकट्ठा करते हैं और वह परिवार पोषण तथा भ्रष्टाचार में गंवा दिया जाता है। विकास कार्यक्रम समयानुसार पूरे नहीं होते हैं और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलनों तथा खादी जैसी सनकों पर धन व्यर्थ नष्ट किया जाता है ।

एक करारोपण जांच समिति नियुक्त की गई है और इस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । अतः मेरा यह विचार है कि नकली रेशम, साबुन, सीमेंट और जूतों पर ये नये कर नहीं लगने चाहियें थे । इस के विरोधस्वरूप पंजाब की रेशम की मिलें बन्द हो गई हैं । कपास पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है और निर्धनों के मोटे कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है । यह भी बिल्कुल अनुचित है ।

वित्त मंत्री त्याग करने को कहते हैं । निस्सन्देह, लोगों को बलिदान के लिये, विशेष रूप से संकट के समय, तैयार रहना चाहिये । मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे इन सब मतभेदों के बावजूद भी हम उस अवस्था में सरकार का साथ देंगे । परन्तु सरकार को भी लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये और सरकार लोगों का विश्वास प्राप्त करने में बिल्कुल असफल रही है ।

इन करारोपण प्रस्तावों का अपर्याप्त आय वाले तथा निश्चित आय वाले लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन के लिये पहले ही अपना निर्वाह करना कठिन हो रहा है ।

अब मैं रक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । इस समय जब कि अमेरिका-पाकिस्तान के सैनिक समझौते के कारण एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है आय-व्ययक में इस के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है । मैं ने कहीं पढ़ा था कि रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि वे रक्षा सम्बन्धी सामान को यहां तैयार करने और इस के लिये उपकरण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे अगले तीन या चार वर्ष में तैयार हो जायेंगे ।

[डा० एन० बी० खरे]

मैं यह पूछता हूं आप गत छै या सात वर्ष तक क्या करते रहे ? आप इतनी देर तक प्रतीक्षा क्यों करते रहे ? संस्कृत में एक कहावत है : 'सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः' अथवा हम हिन्दी में कहते हैं कि :

प्यास लगे तब कुआं खोदो ।

अब मैं गृह विभाग की गुप्तचर सेवा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यह सर्वविदित है कि सारे भारत में पाकिस्तान के गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ है इन परिस्थितियों में सरकार ने छै या सात वर्ष पूर्व भारत छोड़ कर पाकिस्तान गये हुए ७,००० मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बसने की आज्ञा दे दी है । क्या वह यह समझती है कि ये मुसलमान दूध के धुले हैं और विषलिप्त नहीं हैं ? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है ? यदि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सब धर्मों के साथ एक समान निष्पक्षता का व्यवहार करना हो तब तो इस में कोई बुराई नहीं है, किन्तु इस देश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक धर्म वालों को तंग करना है । मैं यह कहूंगा कि इन परिस्थितियों में इन लोगों को यहां बसने की अनुमति देना मानसिक दुर्बलता या अबुद्धिमत्ता का चिह्न है । ईसाई भी धर्मपरिवर्तन कर रहे हैं और उन्होंने नागा देश की मांग की है और गत वर्ष जब हमारे प्रधान मंत्री आसाम गये थे तो उन्होंने वहां उन का अपमान किया था । त्रावनकोर-कोचीन में ज़ोरों से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है । मैं सभी धर्मों के पक्ष में हूं किन्तु यह धर्मपरिवर्तन सद्भावना से नहीं किया जा रहा, यह तो लालच देकर बहकाना है, इस से उस व्यक्ति की भारत के प्रति देशभक्ति को भी धक्का पहुंचता है । अतः इसे रोक देना चाहिये । परन्तु मेरे विचार में वे ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसे एक उर्दू की कविता से बताता हूं :

ऐ हिन्द, तुझको क्यों खाक में न मिलायेंगे हम,
इज्ज़त को तेरी शौक़ से क्यों न घटायेंगे हम
तालीम जैसी पायी है उस राह जायेंगे हम ।
क्रिश्चियन मज़हब की मदद क्यों न करेंगे हम,
साहब ने दी है खाते हैं रोटी डबल जो हम ।

डबल रोटी से मेरा अभिप्राय उस विदेशी सहायता से है जो हमें ईसाई देशों से मिल रही है । प्रधान मंत्री को भी त्रावनकोर-कोचीन में राजनैतिक उद्देश्य के लिये ईसाई प्रचार का प्रयोग करने के विरुद्ध विरोध प्रकट करना पड़ा था ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । दिल्ली में सम्राट नामक एक चलचित्र दिखाया जा रहा है जिस में एक मुसलमान नायक भगवान् श्री कृष्ण की, जिस की कि हम पूजा करते हैं, मूर्ति को तोड़ता है । इस से हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और सरकार को इस भाग को निकालने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । इस में सन्देह नहीं कि हमारा नैतिक पतन हो रहा है और यह भौतिकवाद तथा वर्तमान विज्ञान--चाहे ये हमारी प्रगति के लिये कितने ही आवश्यक क्यों न हों--मानव आत्मा को पवित्र नहीं कर सके हैं । स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है, 'धर्म के बिना भारत कुछ नहीं है; धर्म ही भारत का सार है' और पंडित नेहरू ने भी अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इंडिया' के पृष्ठ ६२५ पर लिखा है : 'आत्मा के लिये, जो कि इस भौतिक जगत से परे है, किसी आध्यात्मिक, नैतिक, आत्मिक और आदर्शवादी विचारधारा आवश्यक प्रतीत होती है, अन्यथा हमारे जीवन में कोई पड़ाव, उद्देश्य या प्रयोजन नहीं रहेगा ।' मैं उन

से इस बात में सहमत हूं । मुझे आशा है कि वे अपनी ही पुस्तक में लिखी हुई नीति का अनुसरण करेंगे ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे दूतावास बिल्कुल व्यर्थ हैं और ये केवल सफ़ेद हाथी हैं । अपने पड़ौसी नेपाल में हम ने अपना सैनिक मिशन भेजा है; वहां हम वहां के लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किन्तु वहां हमारे अपने राष्ट्रजनों का जंगल के ठेकेदारों का अपमान किया जाता है । दक्षिण अफ्रीका में यथापूर्वक स्थिति है इसे सब जानते हैं । यहां वे यह कहते हैं कि हम भारत की भूमि पर विदेशी बस्तियां नहीं रहने देंगे । मुझे यह पता नहीं कि वे उन्हें कैसे यहां से हटायेंगे । लोभ और धोखेबाजी के कारण उन्होंने हमारे सीमान्त पर दो शत्रु देश बना दिये हैं और मुझे मालूम नहीं कि वे किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हम इन विदेशी बस्तिओं को समाप्त कर देंगे ? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनके शरीर में बल नहीं है । ये सब प्रतिज्ञायें थोथी सिद्ध होंगी ।

बर्मा से चावल के सौदे के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में चावल ३५ पौण्ड प्रति टन के भाव से बिकता है, किन्तु भारत सरकार बर्मा से ४८ पौण्ड प्रति टन के भाव से चावल खरीदने को तैयार हो गई है और यह अन्तर भारत ने बर्मा से जो ऋण वसूल करना उस से पूरा किया जायेगा । बर्मा को लाभ हो, चाहे हमारे भारतीय करदाता को हानि रहे यह कोई व्यापारिक सौदा नहीं है; यह तो राजनैतिक सौदा है । बर्मा के मंत्रिमण्डल में एक श्री रशीद मंत्री हैं; वह हमारे बर्मा स्थित राजदूत श्री रऊफ के भाई हैं, । यह तीन रत्नों का सम्मिलन है—रफी, रऊफ और रशीद । इस से बर्मा में सम्भवतः रशीद की प्रतिष्ठा बढ़ जाये, किन्तु हमारे करदाता को हानि होगी ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : माननीय सदस्य ने गलत रत्नों को इकट्ठा किया है ।

डा० एन० बी० खरे : अब में शिक्षा विभाग को लेता हूं । इस शिक्षा विभाग की एक सांस्कृतिक परिषद् है । यह क्या करती है ? इस का एक पुस्तकालय है । निस्सन्देह यह एक अर्ध-सरकारी समिति है--सम्भव है इस में मैं कुछ गलती पर हूं । मुझे बताया गया है कि इस समिति के पुस्तकालय में पांच या छः हज़ार फ़ारसी और अरबी की पुस्तकें हैं, दो हज़ार अंग्रेज़ी की पुस्तकें हैं, किन्तु हिन्दी या संस्कृत की एक भी पुस्तक नहीं है । यदि कोई व्यक्ति वेदान्त दर्शन का प्रचार करने के लिये अन्य देशों को जाना चाहे, जो कि धर्म का अंग नहीं हैं, अपितु विश्व शान्ति के लिये शान्तिपूर्ण या आध्यात्मिक उपाय है, तो सरकार उस की सहायता नहीं करती है । किन्तु यह केवल उन अभिनेत्रियों को भेजने में सहायता करती है जो अपने नितम्बों का प्रदर्शन करती हैं । क्या यही हमारी संस्कृति है ? हम इस अरबी मैकाले को इस विभाग का अध्यक्ष नहीं रखना चाहते हैं ।

अब मैं असैनिक उड्डयन विभाग को लेता हूं । इस विभाग के कर्मचारियों का असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ नामक एक संघ है । उस की यह सीधी सी मांग है कि उन की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये । इस मांग को मान लेना चाहिये ।

इस के बाद मैं विधान विभाग को लेता हूं । मैं ने बहुत से प्रश्न पूछे किन्तु मुझे एक कागज़ के टुकड़े पर (**एक माननीय सदस्य** आज्ञा नहीं दी गई ?) यह लिखा हुआ

[डा० एन० बी० खरे]

मिला। कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक उपाधियां देने के सम्बन्ध में था। कुछ पुर्तगाल के प्रदेश में डच्यू के हवाई अड्डे के सम्बन्ध में थे। एक हमारे पूर्वी अफ्रीका स्थित राजदूत श्री ए० पी० पन्त के सम्बन्ध में था। एक और पाक-अमेरिका सैनिक गठजोड़ तथा कुछ और विषयों जैसे श्रीलंका, शबरीमाला के सम्बन्ध में थे।

श्रीमती खोंगमेन : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहती हूं। जिन प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दी गई है क्या उन्हें माननीय सदस्य सदन के समक्ष रख सकते हैं ?

सभापति महोदय : क्यों नहीं ? इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

डा० एन० बी० खरे : मैं जानता हूं कि हमें अपने सैनिक कर्मचारियों को विशेष रूप से निवृत्ति वेतन के विषय में सन्तुष्ट रखना चाहिये। उन्हें सैनिक निवृत्ति वेतन, अशक्त होने के कारण मिलने वाला निवृत्ति वेतन, पारिवारिक निवृत्ति वेतन या इसी प्रकार का अन्य कोई निवृत्ति वेतन प्राप्त करने में जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के लिये मैं ने सैनिक निवृत्ति-वेतन विधेयक प्रस्तुत किया था। संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति की ओर से एक पत्र भेजा गया जिस में सिफ़ारिश करने से इन्कार कर दिया गया था। इस प्रकार तो यह विधान विभाग कार्य करता है :

"इधर से मारे अब्बा जान,
उधर से मारे चचा जान।
बीच में बच्चा खोता जान,
अल्ला मियां बचा उसकी जान" ॥

डा० अमीन (बड़ौदा-पश्चिम) : वित्त मंत्री की इस बात से सहमत होना कठिन है कि देश की सामान्य आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर सुधरती जा रही है; किन्तु उन की इस बात से सभी सहमत होंगे कि "बेरोज़गारी की समस्या बहुत बढ़ गई है।"

बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण हमारी जनसंख्या में शीघ्रता से वृद्धि होना भी है। हमारी पंचवर्षीय योजना में बेरोज़गारी को दूर करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जायेंगे जनसंख्या में अबाध वृद्धि के कारण वे सब निष्फल हो जायेंगे। कोल्हापुर में नन्दी की एक मूर्ति है 'जिस के विषय में यह कहा जाता है कि वह वर्ष भर में आधा इंच बढ़ जाती है और अगले वर्ष ३/५ इंच घट जाती है। इस प्रकार कुल वृद्धि कुछ भी नहीं होती है। यही अवस्था हमारी योजनाओं की होगी। बर्ट्रेंड रसेल ने भी अपनी पुस्तक "इम्पैक्ट आफ़ साइंस आन सोसाइटी" में लिखा है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि को रोका नहीं गया, तो सामान्यतया जीवन का स्तर गिर जायेगा।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राज्यों ने योजना को पूरा करने में उतना उत्साह नहीं दिखाया जितनी कि उन से आशा थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, राज्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि जब तक वे अपने सनकीपन को छोड़ कर देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये धन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उन्हें केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी। केन्द्रीय सरकार का इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि एक-एक पाई का सदुपयोग किया जाये। एक राज्य ने एक निकम्मे जामाता की कम्पनी को ४०० नल-कूप लगाने का ठेका दिया था। इस कम्पनी ने ४०० में से २४ नल-कूप लगाये जिस में से २० कुएं खराब सिद्ध हुए।

अब मैं १९५४-५५ के आय-व्ययक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कपड़े पर

उत्पादन शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं पर और बोझ पड़ेगा । उपभोक्ताओं को पहले ही बिक्री कर देना पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में जनता से अधिक से अधिक कर वसूल करने में होड़ लगी हुई है । कपड़े का मूल्य बढ़ जाने से इस की खपत घट जायेगी और ६·५ करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व नहीं प्राप्त हो सकेगा । नक़ली रेशम के कपड़े पर नया उत्पादन शुल्क लगाने से उन की शुष्कता का पता लगता है । सुपारी पर तो राहु का प्रकोप प्रतीत होता है । इस पर प्रति वर्ष शुल्क बढ़ जाता है । सुपारी पान का मसाला है, जो कि निर्धन स्त्रियों के लिए लिपस्टिक का काम देता है । लिपस्टिक को छोड़ कर पान पर कर लगाना प्रसाधन के कृत्रिम साधनों के प्रति अभिरुची को प्रदर्शित करता है । साबुन पर लगाया गया शुल्क तो लोगों की सफाई पर शुल्क है । जूतों के कर से जन साधारण की कठिनाई बढ़ेगी ।

भाग ख के वित्त मंत्री के भाषण का अन्तिम सन्दर्भ तो चुनाव का एक घोषणा-पत्र सा प्रतीत होता है । इस में १९४७ के बाद से सरकार के कार्यों का विस्तृत ब्योरा दिया हुआ है । यदि हम अपने साधनों का अच्छी प्रकार प्रयोग करते तो इन्हीं साधनों और धन से हम और अधिक प्रगति कर सकते थे । कुछ मामलों में परियोजनाओं का व्यय अनुमानित व्यय से बढ़ गया है । कई ऐसे उदाहरण हैं जिन में सार्वजनिक धन का अच्छी प्रकार प्रयोग नहीं किया गया है । औद्योगिक वित्त निगम को ही लीजिये, जिसके सम्बन्ध में सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है । सरकार को अपनी सफलताओं तथा असफलताओं की प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिये, बल्कि इसे जनता के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री पटनायक ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : नई संसद के प्रथम सत्र से गत दो वर्षों से विभिन्न विभागों में अधिक सहयोग के सुझाव दिये जाते रहे हैं जिससे कि कार्यकुशलता के साथ साथ बचत भी हो सके, किन्तु इन सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । हम ने सोचा था कि हाल ही में अमेरिका की पाकिस्तान को सहायता के बारे में प्रधान मंत्री के वक्तव्यों के कारण इस में सम्भवतः कुछ परिवर्तन हो जाये, किन्तु इस का कोई प्रभाव हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वित्त मंत्री और उन के मंत्रालय ने इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया है कि पाकिस्तान को अमरीका से प्राप्त होने वाले हथियारों और अन्य सामान का परिणाम क्या होगा । हमारा आयव्ययक बिल्कुल पुराने ढंग का है, जब कि वर्त्तमान परिस्थिति में उसे बिल्कुल दूसरे ही ढंग का होना चाहिये था । आय व्ययक बनाने में इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये था कि व्यय को इस प्रकार आयोजित किया जाय कि बिना हथियारों को अधिकाधिक मात्रा में एकत्र करने की दौड़ में सम्मिलित हुए और बिना युद्ध का वातावरण पैदा किये, हम अपने वर्तमान औसत के भीतर अपने विकास कार्यक्रमों को चला सकें और साथ ही साथ युद्ध काल के लिये हमारी रक्षा-शक्ति अधिकतम हो । हमारे आय व्ययक का यही आधार होना चाहिये था । मैं तो यह कहता हूं कि भिन्न भिन्न विभागीय कार्यों में एक सामंजस्य स्थापित कर के हम आय व्ययक बनाने के पुराने ढंग को इस प्रकार बदल सकते हैं कि हमें विदेशी सहायता का मुंह न ताकना पड़े और हम अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े हो सकें । ऐसा करना बहुत आवश्यक है कम से कम वर्तमान परिस्थिति में । हमारे वित्त मंत्री को उक्त

[श्री यू० सी० पटनायक]

बातों का ध्यान रख कर एक भिन्न प्रकार का रक्षा-आयव्ययक बनाना चाहिये था ।

विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व मैं उन सामुदायिक परियोजनाओं, विकास क्षेत्रों आदि के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं, जिन के लिये रक्षा मंत्री आयव्ययक अनुदान की मांग कर रहे हैं । मैं विशेष रूप से भांजनगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में कहूंगा । वहां पर तेरह महीनों में ३.४८ लाख रुपये व्यय किये गये हैं, जिस में से सिंचाई परियोजना पर केवल ६,००० रुपये व्यय किये गये हैं । अभी तक जनता के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है, कोई युवक-संगठन आरम्भ नहीं किये गये हैं, यद्यपि चीज़ों के ख़रीदने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, और विदेशों से आने वाली ट्रकों और अन्य सामानों पर ३.४२ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । फिर भी बहुत से आवश्यक सामान की कमी है । कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों में उत्साह पैदा करने के लिये बहुत कम काम हुआ हैं । चीज़ों को अमरीकी दृष्टिकोण से देखने का यह एक उदाहरण है । इन परियोजनाओं में बहुत से अमरीकी सलाहकार भरे हुए हैं और इन का काम अमरीकी ढंग पर चल रहा है जिसे भारतीय नहीं कहा जा सकता है । हमें सर्व प्रथम किसानों की जल सम्बन्धी सुविधाओं तथा उन की अन्य आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देना चाहिये था । इमारतों और अमरीका से आने वाली बड़ी बड़ी ट्रकों से उन का काम नहीं चल सकता है । इसी प्रकार हमें इन परियोजना क्षेत्रों के युवक और युवतियों को संगठित करने तथा स्थानीय संगठनों और अखाड़ों से लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये था ।

जिस प्रकार से इन परियोजनाओं और हमारे प्रशासनिक पुनर्गठन के कार्यों में बहुत से अमरीकी सलाहकार भरे पड़े हैं, उसी प्रकार हमारे रक्षा संगठन में विभिन्न हैसियतों में अनेक ब्रिटिश सलाहकार जमे हुए हैं । वर्तमान परिस्थिति को और अमरीका से पाकिस्तान को मिलने वाली सैनिक सहायता को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये ताकि वे हमारे हितों के विरुद्ध कोई बात न कर सकें । इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा की गई शरारतों के सम्बन्ध में बहुत से बात प्रकट हुई हैं । अतः इस दिशा में सतर्कता अत्यन्त आवश्यक है ।

अब मैं देश की आन्तरिक रक्षा अथवा गृह-रक्षा के प्रश्न पर आता हूं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । पता नहीं यह विषय किस मंत्रालय के अधीन आता है । युद्ध काल में १९३९ से १९४४ तक हमारे देश में गृह-रक्षा का एक संगठन था, जिस में असैनिक रक्षा, हवाई आक्रमण से बचाव, नागरिक रक्षक, आग बुझाने वाले, प्राथमिक चिकित्सा आदि चीज़ें सम्मिलित थीं यद्यपि ये चीज़ें कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थीं यह व्यवस्था १९४४–४५ में समाप्त कर दी गई थी । मैं समझता हूं कि देश का वास्तविक बचाव गृह-रक्षा शक्तियों से ही होता है, जिसे आप नागरिकों की सेना कह सकते हैं । अतः एक नागरिक सेना अथवा गृह-रक्षा संगठन की आज बहुत आवश्यकता है । यह चीज़ भिन्न भिन्न विभागीय प्रयत्नों के सामंजस्य से बिना अधिक व्यय के की जा सकती है । मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या इस देश में यदि कोई चौतरफ़ा आक्रमण एक साथ हो, तो उस का सामना करने लिये गृह-रक्षा के क्या प्रबन्ध हैं ? गुप्तचरों के विरुद्ध आप के क्या प्रबन्ध हैं ? इन सब चीज़ों के लिये व्यापक प्रबन्धों की भारी आवश्यकता है, ताकि विध्वंसक कार्यवाही करने वालों को पकड़ा जा सके और जनता में फैलने वाली घबड़ाहट एवं उत्तेजना को शांत किया जा सके । इस

और सारे मंत्रिमण्डल को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये ।

अभी उस दिन माननीय गृह-मंत्री ने वादविवाद का उत्तर देते हुए राइफिल संगठनों, सहायक प्रादेशिक सेना तथा अन्य असैनिक बलों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह बहुत उत्साहजनक था । परन्तु खेद है कि आय व्ययक में इस की कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं की गई है । यह एक अजीब सी और अनुचित बात है । किसी भी आकस्मिकता के लिये हमें सारे देश को तैयार रखना चाहिये ।

खेद है कि हमारे आयव्ययक बनाने वाले अधिकारी अभी तक उन अंग्रेज़ों और अमरीकनों का पूरा विश्वास करते हैं, जो असैनिक और सैनिक दोनों ही दिशाओं में हमारे सलाहकार हैं ।

अन्त में मैं छंटनी के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । इस के कारण हमारी अत्यधिक महत्व वाली सेवाओं में भारी असंतोष फैल रहा है । मैं समझता हूं कि अन्तर्विभागीय सहयोग और सामंजस्य से यह असंतोष और परेशानी दूर की जा सकती है । जब रक्षा संगठन के कर्मचारियों की छंटनी की जाय तो उन्हें अन्य सरकारी विभागों में वैकल्पिक नौकरियां दी जा सकती हैं बजाय इस के कि उन नौकरियों के लिये नये लोगों को भर्ती किया जाय ।

इस के पश्चात् सभा बुधवार, १७ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।